रजिस्ट्री सं० डी-222

REGISTERED No. D-222

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 26] नई दिल्ली, शनिवार, जून 26, 1971 (आषाढ़ 5, 1893)

No. 26] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 26, 1971 (ASADHA 5, 1893)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## नोटिस

## (NOTICE)

नीचे लिखे भारत के असाधारण राजपत्र 8 फरवरी 1971 तक प्रकाशित किये गये है :—

The undermentioned *Gazettes of India Extraordinary* were published up to 8th February 1971 :—

| अंक (Issue No.) | संख्या और तिथि (No. and Date) | द्वारा जारी किया गया (Issued by) | विषय (Subject) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |

शून्य

—NIL—

ऊपर लिखे असाधारण राजपत्रों की प्रतियां प्रकाशन प्रबन्धक, सिविल लाइन्स दिल्ली के नाम मांग-पत्र भेजने पर भेज दी जाएंगी । मांग-पत्र प्रबन्धक के पास इन राजपत्रों के जारी होने की तिथि से दस दिन के भीतर पहुंच जाने चाहिएं ।

Copies of the *Gazette Extraordinary* mentioned above will be supplied on indent to the Manager of Publications, Civil Lines, Delhi. Indents should be submitted so as to reach the Manager within ten days of the date of issue of these Gazettes.

## विषय-सूची


| | पृष्ठ |
|---|---|
| भाग I—खंड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . . | 495 |
| भाग I—खंड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मन्त्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं | 891 |
| भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . | 67 |
| भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . | 705 |
| भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम . . . | — |
| भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयकों संबंधी प्रवर समितियों की रिपोर्टें . . | — |
| भाग II—खंड 3—उप-खंड (i)—(रक्षा मन्त्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं) . . . | 2373 |
| भाग II—खंड 3—उप-खंड (ii)—रक्षा मन्त्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मन्त्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं . | 3275 |
| भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश . | 387 |
| भाग III—खंड 1—महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के अधीन तथा संलग्न कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं | 783 |
| भाग III—खंड 2—एकत्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिसें | 225 |
| भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं . | 87 |
| भाग III—खंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिसें शामिल हैं . . . | 1797 |
| भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिसें . | 123 |
| पूरक संख्या 25— | |
| 12 जून 1971 को समाप्त होने वाले सप्ताह की महामारी सम्बंधी साप्ताहिक रिपोर्ट | 1001 |
| 22 मई 1971 को समाप्त होने वाले सप्ताह के दौरान भारत में 30,000 तथा उससे अधिक आबादी के शहरों में जन्म तथा बड़ी बीमारियों से हुई मृत्यु सम्बन्धी आंकड़े . | 1011 |


## CONTENTS


| | |
|---|---|
| PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court .. .. .. | 495 |
| PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court .. .. .. | 891 |
| PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence .. .. .. .. | 67 |
| PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence | 705 |
| PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations .. .. .. | — |
| PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills .. .. .. | — |
| PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) .. .. | 2373 |
| PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) .. | 3275 |
| PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence .. | 387 |
| PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India .. | 783 |
| PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Offices, Calcutta .. | 225 |
| PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners | 87 |
| PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies .. .. .. .. | 1797 |
| PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies .. .. | 123 |
| SUPPLEMENT NO. 25 | |
| Weekly Epidemiological Reports for weeks ending 12th June 1971 .. .. | 1001 |
| Births and Deaths from Principal diseases in towns with a population of 30,000 and over in India during week ending 22nd May 1971 | 1011 |

## भाग I—खण्ड 1

## (PART I—SECTION 1)

**(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं**

**[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]**

### मंत्रिमंडल सचिवालय

### (कार्मिक विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 26 जून 1971

**नियम**

सं० 15/2/71-ए० आई० एस० (1)—निम्नलिखित सेवाओं में 1 नवम्बर, 1962 के बाद सशस्त्र सेना में कमीशन प्राप्त निर्मुक्त आपातकालीन आयुक्त, अफसरों/अल्पकालीन सेवा आयुक्त अफसरों के लिए आरक्षित रिक्तियों को चुनाव के द्वारा भरने के लिए 1971 में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के नियम संबंधित मंत्रालयों की, और भारतीय लेखा-परीक्षा और लेखा सेवा के संबंध में भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की, सहमति से आम जानकारी के लिए प्रकाशित किए जा रहे हैं :

(1) भारतीय प्रशासनिक सेवा,

(2) भारतीय विदेश सेवा,

(3) भारतीय पुलिस सेवा,

(4) केन्द्रीय सूचना सेवा, ग्रेड 2, श्रेणी 1,

(5) भारतीय लेखा-परीक्षा और लेखा सेवा,

(6) भारतीय सीमा-शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क सेवा,

(7) भारतीय रक्षा लेखा सेवा,

(8) भारतीय आय कर सेवा (श्रेणी 1),

(9) भारतीय आर्डनेन्स फैक्टरी सेवा, श्रेणी-1 (सहायक प्रबंधक गैर-तकनीकी),

(10) भारतीय डाक सेवा,

(11) भारतीय रेलवे लेखा सेवा,

(12) सैनिक भूमि (मिलिटरी लैण्ड्स) और छावनी सेवा, श्रेणी 1,

(13) भारतीय रेलवे यातायात सेवा,

(14) दिल्ली, तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पुलिस सेवा, श्रेणी 2,

(15) केन्द्रीय सचिवालय सेवा, अनुभाग अधिकारी, ग्रेड श्रेणी 2,

(16) सीमा शुल्क मुल्य निरूपक (एप्रेज़र) सेवा श्रेणी 2,

(17) दिल्ली तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सिविल सेवा श्रेणी 3,

(18) भारतीय विदेश सेवा, शाखा (ख) अनुभाग अधिकारी, ग्रेड 2,

(19) रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा श्रेणी 2 और

(20) दिल्ली, हिमाचल प्रदेश तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह सिविल सेवा, क्लास 2,

(21) सैनिक भूमि मिलिटरी (लैण्ड्स और छावनी) सेवा, श्रेणी 2,

(22) मनीपुर, पुलिस सेवा, श्रेणी 2

(23) त्रिपुरा पुलिस सेवा, श्रेणी 2

(24) मनीपुर सिविल सेवा, श्रेणी 2

(25) त्रिपुरा सिविल सेवा, श्रेणी 2

(26) गोआ, दमन व दियु सिविल सेवा, श्रेणी 2 तथा

(27) पांडिचरी सिविल सेवा, श्रेणी 2।

उम्मीदवार उपर्युक्त सेवाओं में से किसी एक अथवा एक से अधिक सेवाओं के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में बैठना चाहता हो उनका उल्लेख अपने आवेदन पत्र में कर दें। उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती है कि किसी भी ऐसी सेवा में उनकी नियुक्ति के संबंध में विचार नहीं किया जाएगा जिसका उल्लेख वे अपने आवेदन पत्र में नहीं करेंगे।

**ध्यान दें (1) :** उम्मीदवारों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने आवेदन-पत्रों में उन सेवा के अधिमान-क्रम का स्पष्ट उल्लेख करें जिनके लिए वे प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के इच्छुक हैं। उन्हें यह सलाह दी जाती है कि वे अपनी इच्छानुसार जितनी सेवाओं का चाहें उल्लेख करें जिससे नियुक्तियां करते समय, योग्यता क्रम में उनके स्थान की दृष्टि में रखते हुए, उनके अधिमानों का भी समुचित ध्यान रखा जा सके।

**ध्यान दें (2) :** उम्मीदवार द्वारा अपने आवेदन-पत्र में मूलतः उल्लिखित सेवाओं में किसी अन्य सेवा का नाम जोड़ने अथवा उनके अधिमान-क्रम में कोई परिवर्तन करने से संबंधित किसी ऐसे अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा जो 31 दिसम्बर 1971 को या उस के पूर्व आयोग के

कार्यालय में नहीं प्राप्त हो जाता। परीक्षा के लिखित भाग के आधार पर भारतीय प्रशासन सेवा/भारतीय पुलिस सेवा की मौखिक परीक्षा के लिए सफल हो जाने वाले उम्मीदवार से मंत्रिमंडल सचिवालय (कार्मिक विभाग) इस बात के लिए कहेगा कि वह उस विभाग को उन विभिन्न राज्यों के लिए तरजीह दे जिनमें वह आवंटित होना चाहता है।

2. परीक्षा के परिणामस्वरूप भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या आयोग द्वारा जारी किए जाने वाले नोटिस में निर्धारित की जाएगी। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित पद आरक्षित किए जाएंगे।

अनुसूचित जातियों में आदिम जातियों से अभिप्राय निम्नांकित में उल्लिखित जातियों/आदिम जातियों में से किसी एक से है; बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के साथ पठित अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति सूचियां (संशोधन) आदेश, 1966 द्वारा यथासंशोधित संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950, संविधान (अनुसूचित जाति) (भाग "ग" राज्य) आदेश, 1951, संविधान (अनुसूचित आदिम जाति) आदेश, 1950 और संविधान अनुसूचित आदिम जाति (भाग "ग" राज्य) आदेश, 1951 संविधान (जम्मू और काश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956, संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप समुह) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1959 संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1962 और संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964 तथा संविधान (अनुसूचित आदिम जातियों) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967, संविधान (गोआ दमन व दियु) अनुसूचित जाति आदेश, 1968, संविधान (गोआ, दमन व दियु) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1968 और संविधान (नागालैण्ड) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1970।

3. संघ लोक सेवा आयोग यह परीक्षा नियमों के परिशिष्ट 2 में निर्धारित विधि से लेगा। परीक्षा की तारीख और स्थान आयोग द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।

4. इन नियमों में की गई व्यवस्थाओं के अनुसार वे सारे आपातकालीन राज्यादेश प्राप्त अधिकारी, जिन्हें प्रथम नवम्बर, 1962 के पश्चात् राज्यादेश प्राप्त हुआ था और जो इस अधिसूचना की तारीख से पहले सन् 1971 के दौरान रिलीज हो चुके हों, या इसके पश्चात् सन् 1972 के अन्त तक रिलीज होने हों, इस परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे।

यह व्यवस्था की जाती है कि प्रथम नवम्बर, 1962 के पश्चात् सेना में भर्ती हुए आपातकालीन राज्यादेश प्राप्त अधिकारी/लघु अवधि राज्यादेश प्राप्त अधिकारी जो 1971 से पहले रिलीज हुए हों, वे नियम 8 की व्यवस्था के अनुसार इस परीक्षा में बैठने के पात्र नहीं होंगे।

**नोट** 1: इन नियमों के उद्देश्य से "रिलीज" का तात्पर्य निम्नलिखित होगा:

(1) आपातकालीन राज्यादेश प्राप्त अधिकारियों से संबंधित एक प्रावस्थाभाजित प्रोग्राम के अनुसार वास्तविक रिलीज,

(2) लघु अवधि राज्यादेश प्राप्त अधिकारियों के संबंध में उनकी सेवा की अवधि समाप्त होने पर वास्तविक रिलीज,

(3) सैनिक सेवा के कारण हुई शारीरिक अपंगता।

यह रिलीज सेना में सेवा अवधि की समाप्ति पर हुई हो, न कि प्रशिक्षण के दौरान या उसकी समाप्ति पर, और वास्तविक सेवा में लिए जाने से पूर्व ऐसे प्रशिक्षण की अवधि को हिसाब में जाने के लिए स्वीकार किए गए लघु राज्यादेश के दौरान या उससे बाद में न हुई हों। दुर्व्यवहार या अदक्षता या अपनी ही प्रार्थना पर रिलीज हुए अधिकारियों के मामले इसके अधीन नहीं आते।

**नोट** 2: रिपोर्ट में आये वाक्यांश "निर्मुक्त होने के निर्धारित वर्ष" का निम्नलिखित अर्थ है:

(1) जहां तक इसका संबंध आपातकालीन कमीशंड अधिकारियों से है, वह वर्ष जिसमें वे रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत प्रावस्थाभाजित कार्यक्रम के अनुसार निर्मुक्त होने हों; तथा

(2) जहां तक वह अल्प सेवा कमीशंड अधिकारियों संबंध है का वर्ष जबकि अल्प सेवा कमीशंड अधिकारियों की 3 या 5 वर्ष की, जैसी भी स्थिति हो, सामान्य अवधि समाप्त होती हो।

**नोट** 3: यदि प्रार्थना-पत्र भेजने के पश्चात् किसी व्यक्ति की सेना में स्थायी राज्यादेश मिल जाए या वह सेना से त्याग-पत्र दे दें, या दुर्व्यवहार, अदक्षता के कारण या अपनी ही प्रार्थना पर वह रिलीज हो जाए, तो परीक्षा के लिए उसकी उम्मीदवारी रद्द हो जाएगी।

**नोट** 4: केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या सरकारी औद्योगिक संस्थाओं में नियुक्त इंजीनियर और डाक्टर जिन्हें अनिवार्य सेवा योजना के अधीन कम-से-कम एक निर्धारित अवधि तक सेवा करनी ही होती है, और जिन्हें ऐसे सेवाकाल में संबंधित नियमों के अधीन लघु अवधि राज्यादेश दिया जाता है, वे इस परीक्षा में बैठने के पात्र नहीं होंगे।

**नोट** 5: सेना के वालन्टीयर रिजर्व फोर्स के वे अधिकारी, जो अस्थायी सेवा के लिए बुलाए गए हों, इस परीक्षा में बैठने के पात्र नहीं होंगे।

5. (1) भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा का उम्मीदवार भारत का नागरिक अवश्य हो।

(2) अन्य सेवा के उम्मीदवार को या तो—

(क) भारत का नागरिक होना चाहिए, या

(ख) सिक्किम की प्रजा, या

(ग) नेपाल की प्रजा, या

(घ) भूटान की प्रजा, या

(ङ) ऐसी तिब्बती शरणार्थी, जो भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पहली जनवरी, 1962 से पहले भारत आ गया हो, या

(च) मूल रूप से भारतीय व्यक्ति जो भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पाकिस्तान, बर्मा, लंका और पूर्वी अफ्रीका में कीन्या, उगांडा, टेंजानिया (भूतपूर्व टंगानिका और जंजीबार) के संयुक्त गणराज्य से आया हो।

परन्तु ऊपर की (ग), (घ) और (च) कोटियों के अन्तर्गत आने वाले उम्मीदवार के पास भारत सरकार द्वारा किया गया पात्रता (एलिजिबिलिटी) प्रमाण-पत्र होना चाहिए, लेकिन नीचे लिखे प्रकार के उम्मीदवारों के लिए पात्रता प्रमाण-पत्र आवश्यक नहीं होगा :

(1) वे व्यक्ति जो 19 जुलाई 1948 से पहले पाकिस्तान से भारत में आ गये हों और तब से आमतौर से भारत में रह रहे हों।

(2) वे व्यक्ति जो 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद पाकिस्तान से भारत में आ गए हों जिहोंने संविधान के अनुच्छेद (आर्टिकल) 6 के अधीन स्वयं को भारत के नागरिक के रूप में रजिस्टर करा लिया हो।

(3) ऊपर की (च) कोटि के वे गैर-नागरिक जो संविधान लागू होने की तारीख अर्थात् 27 जनवरी 1950 से पहले भारत सरकार की सेवा में आए और तब से लगातार नौकरी कर रहे हैं और जिनके सेवाकाल का क्रम नहीं टूटा है लेकिन यदि किसी व्यक्ति के सेवाकाल का क्रम टूट गया हो और उसने 26 जनवरी 1950 के बाद उक्त सेवा दौबारा शुरू की हो तो उसे भी औरों की तरह पात्रता प्रमाण-पत्र देना होगा।

एक और शर्त भी है कि उपर्युक्त (ग), (घ) और (ङ) कोटियों के उम्मीदवारों भारतीय विदेश सेवा में नियुक्ति के पात्र नहीं माने जाएंगे।

परीक्षा में उस उम्मीदवार को भी बैठने दिया जा सकता है जिसके लिए पात्रता प्रमाण-पत्र आवष्यक हो और उसे सरकार द्वारा आवश्यक प्रमाण-पत्र दिए जाने की शर्त के साथ अंतिम (प्रोविज़नल) रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है।

6. (क) उम्मीदवार ने जिस वर्ष में सशस्त्र सेना में कमीशन पूर्व प्रशिक्षण आरम्भ किया उस वर्ष के अगस्त तक उसकी आयु 24 वर्ष से कम होनी चाहिए या जिन्हें (राज्यादेशोत्तर प्रशिक्षण में) राज्यादेश मिला हो।

यह व्यवस्था की जाती है कि निम्नलिखित नियम 9(ख) के अधीन इस परीक्षा में बैठने के हेतु प्रार्थना-पत्र भेजने वाले उम्मीदवार को उल्लिखित तारीख को निम्नलिखित आयु का नहीं होना चाहिए :

(1) जिस वर्ष किसी व्यक्ति ने राज्यादेश पूर्व प्रशिक्षण में प्रवेश लिया हो या (राज्यादेश प्रशिक्षण में) राज्यादेश प्राप्त किया हो, उस वर्ष सेना में सम्मिलित होने से यदि उसके अध्ययन में व्यवधान न पड़ जाता, तो वह निम्नांकित नियम 9(क) में विहित योग्यता की परीक्षा में बैठने का पात्र होता। इन के मामले में 24 वर्ष।

(2) जिस वर्ष किसी व्यक्ति ने राज्यादेश पूर्व प्रशिक्षण में प्रवेश लिया हो या (राज्यादेशोत्तर प्रशिक्षण में) राज्यादेश प्राप्त किया हो, सेना में सम्मिलित होने से यदि उनके अध्ययन में व्यवधान न पड़ जाता, तो वह अगले वर्ष निम्नांकित नियम 9(क) में विहित योग्यता की परीक्षा में बैठने का पात्र होता। इन के मामले में 23 वर्ष।

(3) जिस वर्ष लिया हो या (राज्यादेशोत्तर प्रशिक्षण में) राज्यादेश प्राप्त किया हो, सेना में सम्मिलित होने से यदि उसके अध्ययन में व्यवधान न पड़ जाता, तो वह उससे दूसरे वर्ष निम्नांकित नियम 9(क) में विहित योग्यता की किसी परीक्षा में बैठने का पात्र होता। इन के मामले में 22 वर्ष।

(4) जिस वर्ष किसी व्यक्ति ने राज्यादेश पूर्व प्रशिक्षण में प्रवेश लिया हो या (राज्यादेशोत्तर प्रशिक्षण में) राज्यादेश प्राप्त किया हो, सेना में सम्मिलित होने से यदि उसके अध्ययन में व्यवधान न पड़ जाता, तो वह उससे तीसरे वर्ष निम्नांकित में नियम 9(क) में विहित योग्यता की किसी परीक्षा में बैठने का पात्र होता। इनके मामलों में 20 वर्ष।

(5) जिस वर्ष किसी व्यक्ति ने राज्यादेश पूर्व प्रशिक्षण में प्रवेश लिया हो या (राज्यादेशोत्तर प्रशिक्षण में) राज्यादेश प्राप्त किया हो, सेना में सम्मिलित होने से यदि उसके अध्ययन में व्यवधान न पड़ जाता, तो वह उससे चौथे वर्ष निम्नांकित नियम 9(क) में विहित योग्यता की किसी परीक्षा में बैठने का पात्र होता। इनके मामलों में 20 वर्ष।

(6) जिस वर्ष किसी व्यक्ति ने राज्यादेश पूर्व प्रशिक्षण में प्रवेश लिया हो या (राज्यादेशोत्तर प्रशिक्षण में) राज्यादेश प्राप्त किया हो, सेना में सम्मिलित होने से यदि उसके अध्ययन में व्यवधान न पड़ जाता, तो वह उससे पांचवें वर्ष निम्नांकित

न पड़ जाता, तो वह उससे पांचवें वर्ष निम्नांकित नियम

9(क) में विहित योग्यता की किसी परीक्षा में बैठने का पात्र होता ।

इसके मामलों में 19 वर्ष ।

(ख) ऊपर निर्धारित आयु सीमा में छूट दी जा सकती है :—

(1) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का हो तो अधिक से अधिक पांच वर्ष,

(2) यदि उम्मीदवार पूर्वी पाकिस्तान से 1 जनवरी, 1964 को या उसके बाद भारत में आया वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष ।

(3) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित आदिम जाति का हो और वह 1 जनवरी, 1964 को या उसके पूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आया वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो तो अधिक से अधिक आठ वर्ष ।

(4) यदि उम्मीदवार संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी का निवासी हो तथा उसने कभी न कभी फ्रांसीसी के माध्यम से शिक्षा प्राप्त की हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष,

(5) यदि उम्मीदवार अक्तूबर, 1964 के भारत श्रीलंका समझौते के अधीन 3 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद, श्रीलंका से वास्तव में प्रत्यावर्तित हो कर, भारत में आया हुआ मूल रूप से भारतीय व्यक्ति हो, तो अधिक से अधिक तीन वर्ष,

(6) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित आदिम जाति का हो और साथ ही अक्तूबर 1964 के भारत-श्रीलंका समझौते के अधीन, नवम्बर, 1964 को या उसके बाद श्रीलंका से वास्तव में प्रत्यावर्तित होकर, भारत में आया हुआ मूल रूप से भारतीय व्यक्ति हो तो अधिक से अधिक आठ वर्ष,

(7) यदि उम्मीदवार गोआ, दमन और दियु के संघ राज्य क्षेत्र का निवासी हो, तो अधिक से अधिक तीन वर्ष,

(8) यदि उम्मीदवार कीन्या, उगांडा, या टेंजानिया (भूतपूर्व टेंगानिका तथा जंजीबार) के संयुक्त गणराज्य से आया हुआ मूलरूप से भारतीय व्यक्ति हो, तो अधिक से अधिक तीन वर्ष,

(9) यदि उम्मीदवार 1 जून, 1963 को या उसके बाद बर्मा से वास्तव में प्रत्यावर्तित होकर, भारत में आया हुआ मूलरूप से भारतीय व्यक्ति हो, तो अधिक से अधिक तीन वर्ष,

(10) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित आदिम जाति का हो और साथ ही 1 जून, 1963 को या उसके बाद, बर्मा से प्रत्यावर्तित होकर, भारत में आया हुआ मूलरूप से भारतीय व्यक्ति हो, तो अधिक से अधिक आठ वर्ष,

(11) रक्षा सेनाओं के उन विक्लांग कर्मचारियों के मामलों में अधिक से अधिक वर्ष तक जो किसी शत्रु देश से अथवा उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों में हुए संघर्ष के दौरान विक्लांग हुए तथा उसके परिणामस्वरूप निर्मुक्त किए गए,

(12) रक्षा सेवाओं के ऐसे विक्लांग कर्मचारियों में अधिक से अधिक 8 वर्ष जो कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के हैं तथा जो किसी शत्रु देश से अथवा उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों में हुए संघर्ष के दौरान विक्लांग हुए तथा उसके परिणामस्वरूप निर्मुक्त किए गए,

(13) जिस उम्मीदवार ने सशस्त्र सेना के कमीशन पूर्व प्रशिक्षण में 1963 में प्रवेश किया था, या जिन्हें (राज्यादेशोत्तर प्रशिक्षण में) राज्यादेश मिलाहो । वह यदि पाकिस्तान से आया हुआ वास्तविक विस्थापित व्यक्ति है, उसके मामले में अधिक से अधिक तीन वर्ष । यह छूट परीक्षा के लिए प्राप्त प्रथम अवसर तक ही सीमित रहेगी ।

(14) जिस उम्मीदवार ने सशस्त्र सेना के कमीशन-पूर्व प्रशिक्षण में 1963 में प्रवेश किया था या जिन्हें (राज्यादेशोत्तर प्रशिक्षण में) राज्यादेश मिला हो, वह यदि अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित आदिम जाति का है, तथा साथ ही पाकिस्तान से आया हुआ वास्तविक विस्थापित व्यक्ति है तो उसके मामले में अधिक से अधिक आठ वर्ष । यह छूट परीक्षा के लिए प्राप्त अवसर तक ही सीमित रहेगी ।

(15) जिस उम्मीदवार ने सशस्त्र सेना के कमीशनपूर्व प्रशिक्षण में 1963 या 1964 या 1965 में प्रवेश किया है या जिन्हें (राज्यादेशोत्तर प्रशिक्षण में) राज्यादेश मिला हो वह यदि अंडमान और निकोबार द्वीप-समूह का निवासी है तो उसके मामले में अधिकतम चार वर्ष यह सुविधा राज्यादेश पूर्व प्रशिक्षण में सम्मिलित होने वाले या 1965 में (राज्यादेशोत्तर प्रशिक्षण में) राज्यादेश प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों के संबंध में परीक्षा में बैठने के लिए मिलने वाले प्रथम अवसर तक ही सीमित होगी, तथा

(16) यदि किसी उम्मीदवार ने राज्यादेश मिलने से पूर्व के प्रशिक्षण में प्रवेश लिया हो या उसे 1963 अथवा 1964 व 1965 में (राज्यादेशोत्तर प्रशिक्षण की स्थिति में) राज्यादेश मिला हो, और भारतीय नागरिक हो तथा लंका से पुनर्वासित हो ।

जो उम्मीदवार राज्यादेश पूर्व प्रशिक्षण में सम्मिलित हुए हों, या जिन्हें 1965 में हुए (राज्यादेशोत्तर प्रशिक्षण में) राज्यादेश मिला हो, उनके संबंध में इस परीक्षा प्रथम अवसर के लिए ही सुविधा सीमित है।

**नोट 1** :—नियम 6(क) के परन्तुक के क्रम संख्या (2), (3), (4), (5), तथा (6) में उल्लिखित उम्मीदवारों पर नियम 6(ख) के खण्ड (13) तथा (14) के उपबंध लागू नहीं होंगे।

**नोट 2** :—नियम 6 के परन्तुक के क्रम संख्या (3), (4), (5), तथा (6) में उल्लिखित उन उम्मीदवारों पर नियम 6(ख) के खण्ड (15) तथा (16) के निहित उपबन्ध लागू नहीं होंगे, जिन्होंने राज्यादेश पूर्व प्रशिक्षण में प्रवेश लिया हो या जिन्हें 1963 में हुए (राज्यादेशोत्तर प्रशिक्षण में) राज्यादेश मिला हो।

नियम 6(क) के परन्तुक के क्रम संख्या (2) में उल्लिखित उन उम्मीदवारों पर नियम 6(ख) के खण्ड (15) तथा (16) में निहित उपबंध लागू नहीं होंगे, जिन्होंने 1964 के पश्चात् राज्यादेश पूर्व प्रशिक्षण में प्रवेश लिया हो या जिन्हें (राज्यादेशोत्तर प्रशिक्षण में) राज्यादेश मिला हो।

उपर्युक्त परिस्थिति को छोड़ कर निर्धारित आयु सीमा में किसी हालत में छूट नहीं दी जा सकती।

7. किसी भी उम्मीदवार को प्रतियोगिता-परीक्षा में दो बार से अधिक बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी, यह प्रतिबन्ध 1966 में होने वाली परीक्षा से लागू होगा।

परन्तु उस उम्मीदवार को प्रतियोगिता परीक्षा में केवल एक ही बार बैठने की अनुमति दी जाएगी जो उस वर्ष 1 अगस्त को, जिसमें उसने सशस्त्र सेना में कमीशन पूर्व प्रशिक्षण आरम्भ किया था या जिन्हें (राज्यादेशोत्तर प्रशिक्षण में) राज्यादेश मिला हो। उपर्युक्त नियम 6 में उल्लिखित आयु का नहीं हुआ था किन्तु जिस वर्ष में उसने कमीशन पूर्व प्रशिक्षण आरम्भ किया था उसके बाद में वर्ष के 1 अगस्त को उस आयु का ही हो गया था।

**नोट** 1—यदि कोई उम्मीदवार किसी एक या एक से अधिक विषयों में वस्तुतः परीक्षा देता है तो यह मान लिया जायेगा कि वह प्रतियोगिता परीक्षा में भाग ले चुका है।

**नोट** 2—यदि किसी उम्मीदवार ने आ० प्र० से० आदि (रिलीज्ड आपतकालिक कमीशंड/अल्प सेवा कमीशंड अधिकारी) की 1971 से पहले ली गई परीक्षा दी हो तो उसके उस प्रयत्न को भी, इस विनियम के अधीन उम्मीदवारें के प्रयत्नों की गणना करते समय, ध्यान में रखा जायगा।

8. इन नियमों की व्यवस्थाओं के अंतर्गत:—

(1) यदि कोई उम्मीदवार परीक्षा में केवल एक ही बार बैठने का पात्र हो तो उसे अपने निर्मुक्त होने के पहले वाले की परीक्षा में बैठना चाहिए।

(2) यदि कोई उम्मीदवार परीक्षा में दो बार बैठने का पात्र हो तो उसे अपने निर्मुक्त होने के वर्ष और उसके पहले वर्ष की परीक्षाओं मे बैठना चाहिए।

बशर्ते कि सैनिक सेवा के कारण विकलांग हुए उम्मीदवार इस नियम के नीचे टिप्पणियों में उल्लिखित अपवादों के अनुसार सन् 1971 में होने वाली परीक्षा में बैठे।

(1) यदि वह सन् 1970 की परीक्षा के लिए प्रार्थनापत्र प्राप्त करने की विहित अंतिम तारीख के पश्चात् 1970 के दौरान विकलांग हुआ हो, अथवा सन् 1971 की परीक्षा के लिए प्रार्थनापत्र प्राप्त होने के लिए अंतिम तारीख से पहले सन् 1971 के दौरान विकलांग हुआ हो और यह अवसर लेने के लिए पात्र हो तो यह उसका केवल मात्र अवसर होगा,

(2) यदि वह सन् 1970 की परीक्षा के लिए प्रार्थना पत्र प्राप्त करने की विहित अंतिम तारीख के पश्चात् सन् 1970 के दौरान विकलांग हुआ तो, अथवा सन् 1971 की परीक्षा के लिए प्रार्थना पत्र प्राप्त होने के लिए अंतिम तारीख से पहले सन् 1971 के दौरान विकलांग हुआ हो और दो अवसर लेने के लिए प हो तो यह उसका पहला अवसर होगा,

(3) यदि वह सन् 1969 की परीक्षा के लिए प्रार्थना पत्र प्राप्त करने की विहित अंतिम तारीख के पश्चात् सन् 1969 के दौरान विकलांग हुआ हो, अथवा सन् 1970 की परीक्षा के लिए प्रार्थना पत्र प्राप्त होने के लिए अंतिम तारीख से पहले सन् 1970 के दौरान विकलांग हुआ हो और दो अवसर लेने के लिए पात्र हो तो यह उसका दूसरा अवसर होगा।

(4) यदि वह सन् 1970 की परीक्षा के लिए प्रार्थनापत्र प्राप्त करने की विहित अंतिम तारीख के पश्चात सन् 1970 के दौरान विकलांग हुआ हो और भारत सरकार रक्षा मंत्रालय द्वारा स्वीकृति प्रावस्था भाजित कायक्रम के अनुसार (आपातकालिक कमीशंड अधिकारियों के मामलों में) सन् 1971 के दौरान रिलीज होने वाला हो अथवा (अल्प सेवा कमीशंड अधिकारियों के मामलों में) यथास्थिति 3 या 5 वर्ष की सामान्य सेवा अवधि समाप्त होने के पश्चात् सन् 1970 के दौरान रिलीज होना हो तो उनका यह दूसरा अवसर होगा।

**टिप्पणी** 1—इस नियम के परन्तुक (क) में विहित व्यवस्था उन उम्मीदवारों पर लागू नहीं होगी जो सन् 1969, 1970 तथा 1971 के दौरान सैनिक सेवा अवधि में विकलांग हुए उन उम्मीदवारों पर लागू नहीं होगा जो भारत सरकार रक्षा मंत्रालय द्वारा स्वीकृति प्रावस्था भाजित कार्यक्रम के अनुसार (आपातकालिक कमीशंड अधिकारियों के मामलों में) क्रमशः 1969, 1970 तथा 1971 के दौरान विकलांग हुए हों अथवा (अल्प सेवा कमीशंड अधिकारियों के मामलों में) यथास्थिति 3 या 5 वर्ष की सामान्य सेवा अवधि पूरी होने पर क्रमशः सन् 1969 तथा 1970 के दौरान रिलीज होने हों।

**टिप्पणी** 2—इस नियम के परन्तुक (क) के खण्ड (1) अथवा (2) में विहित व्यवस्था उन उम्मीदवारों पर लागू नहीं होगी जो भारत सरकार रक्षा मंत्रालय द्वारा स्वीकृत कार्यक्रम के अनुसार (आपातकालिक

कमीशंड अधिकारियों के मामले में) सन् 1970 के दौरान सैनिक सेवा अवधि में विक्लांग हुए हों या (अल्प सेवा कमीशंड अधिकारियों के मामलों में यथास्थिति 3 या 5 वर्ष की सामान्य सेवा अवधि के पश्चात् सन् 1971 के दौरान रिलीज होने हों

**टिप्पण**:—इस नियम के परन्तुक (क) के खण्ड (3) में विहित व्यवस्था उन उम्मीदवारों पर लागू नहीं होगी जो भारत सरकार रक्षा मंत्रालय द्वारा स्वीकृत प्रावस्था भाजित कार्यक्रम के अनुसार सन् 1969 के दौरान सैनिक सेवा अवधि में विक्लांग हुए हों या (अल्प सेवा कमीशंड अधिकारियों के मामलों में) यथा स्थिति 3 या 5 वर्ष की सामान्य सेवा अवधि के पश्चात् सन् 1970 के दौरान रिलीज होने हों ।

(ख) जिस अल्प सेवा कमीशंड अधिकारी की यथा स्थिति 3 या 5 वर्ष की सामान्य सेवा अवधि आगे बढ़ा दी गई हो और ठीक समय पर सूचना न मिलने के कारण वह 1970 से पहले ली गई परीक्षाओं में न बैठा हो तो रिलीज होने के निर्धारित वर्ष के आधार पर पात्र होने की अवस्था में यदि वह दूसरे अवसर का उपयोग करने के लिए भी पात्र हो तो दूसरी पारी के रूप में वह सन् 1971 में होने वाली परीक्षा में बैठ सकता है ।

9(क). उम्मीदवार के पास परिशिष्ट 1 में बताए गए किसी भी विश्वविद्यालय की डिग्री होनी चाहिए या परिशिष्ट 1(क) में उल्लिखित कोई भी योग्यता होनी चाहिए,

**बशर्ते कि**—

(1) संघ लोक सेवा आयोग अपवादस्वरूप ऐसे उम्मीदवार को भी योग्यता प्राप्त उम्मीदवार मान सकता है जिसके पास ऊपर बताई गई योग्यताएं नहीं हैं परन्तु जिसने ऐसी अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षाएं उत्तीर्ण की हैं जिनके स्तर से आयोग की राय में उसके परीक्षा में प्रवेश पाने का औचित्य प्रकट होता है ।

(2) जो उम्मीदवार अन्यथा योग्यता प्राप्त है परन्तु जिसने ऐसे विदेशी विश्वविद्यालय से डिग्री प्राप्त की है जो परिशिष्ट 1 में सम्मिलित नहीं है, वह भी आयोग के पास आवेदन कर सकता है और आयोग के विवेक से उस परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है ।

(ख) जो उम्मीदवार सशस्त्र सेना में आपातिक कमीशन अल्पकालीन सेवा कमीशन प्राप्ति के लिए सेवा चयन बोर्ड के सम्मुख प्रस्तुत होने के समय, इस नियम के उप नियम (क) में निर्धारित कोई योग्यता प्राप्त करने के लिए किसी विश्वविद्यालय/विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किसी संस्था में अध्ययन कर रहा था, परन्तु जो सशस्त्र सेना में नियुक्त हो जाने के कारण अपना अध्ययन जारी नहीं रख सका और इस प्रकार ऐसी योजना प्राप्त नहीं हुई, वह उम्मीदवार भी इस परीक्षा में बैठने का पात्र होगा ।

नोट—जो उम्मीदवार किसी ऐसी परीक्षा में बैठा है जिसमें उत्तीर्ण होने से वह इस नियम के उप-नियम (क) के अनुसार इस परीक्षा में बैठने के लिए पात्र हो जायेगा, परन्तु जिस परीक्षा का परिणाम प्राप्त नहीं हुआ है, वह भी इस परीक्षा में बैठने के लिए आवेदन कर सकता है । जो उम्मीदवार ऐसी अर्हक परीक्षा में बैठना चाहता है वह भी आवेदन कर सकता है, बशर्ते कि वह अर्हक परीक्षा इस परीक्षा के आरम्भ होने से पहले ही पूर्ण हो जाए । ऐसे उम्मीदवारों को इस परीक्षा में बैठने दिया जाएगा, जो अन्यथा इसके लिए पात्र होंगे, परन्तु यह प्रवेश अस्थायी माना जाएगा और उसे रद्द किया जा सकेगा, यदि उक्त परीक्षा के उत्तीर्ण कर लेने का प्रमाण यथाशीघ्र और इस परीक्षा के आरम्भ होने के बाद किसी भी स्थिति में दो महीने तक प्रस्तुत नहीं करेंगे ।

10. यदि पिछली परीक्षा के परिणाम के आधार पर किसी उम्मीदवार को भारतीय प्रशासनिक सेवा या भारतीय विदेश सेवा में नियुक्ति हो जाती है तो वह इस परीक्षा में बैठने का पात्र नहीं होगा ।

यदि पिछली परीक्षा के परिणाम के आधार पर किसी उम्मीदवार की नियुक्ति नीचे स्तम्भ (2) में उल्लिखित किसी सेवा में हो जाती है तो वह इस परीक्षा में केवल उन्हीं सेवाओं के लिए बैठने का पात्र होगा जो उक्त सेवा के सामने नीचे स्तम्भ (3) में दी हुई हैं :—

| क्रम सं० | जिस सेवा में नियुक्ति हुई | जिन सेवाओं के लिए परीक्षा में बैठने का पात्र है |
|---|---|---|
| 1. | भारतीय पुलिस सेवा | भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा तथा अन्य केन्द्रीय सेवाएं क्लास-1 |
| 2. | केन्द्रीय सेवाएं, क्लास 1 (भारतीय विदेश सेवा को छोड़कर) | भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा |
| 3. | केन्द्रीय सेवाएं, क्लास-2 दिल्ली, अंडमान, निकोबार द्वीप समूह सिविल सेवा, मनीपुर सिविल सेवा, त्रिपुरा सिविल सेवा, गोआ, दमन व दियु सिविल सेवा, पांडिचेरी सिविल सेवा, दिल्ली और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पुलिस सेवा, मनीपुर पुलिस सेवा और त्रिपुरा पुलिस सेवा । | भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय विदेश सेवा तथा अन्य केन्द्रीय क्लास-1 |

11. सशस्त्र सेवाओं में कार्य कर रहे उम्मीदवार को चाहिए कि वह इस परीक्षा के लिए अपना आवेदन पत्र अपने यूनिट को कमांड करने वाले अफसर के सामने प्रस्तुत कर दें, जो उसे संघ लोक सेवा आयोग के पास भेज देगा । उम्मीदवार जो स्वयं अपने यूनिट का समादिष्ट अधिकारी है, अपने से वरिष्ट अधिकारी की मार्फत आवेदन पत्र भेजें ।

सरकारी सेवा में लगे अन्य सभी उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठने के लिए अपने विभाग के अध्यक्ष से पूर्व अनुमति अवश्य प्राप्त कर लेनी चाहिए ।

12. परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार की पात्रता या अपात्रता के बारे में आयोग का निर्णय अंतिम होगा ।

13. किसी उम्मीदवार को परीक्षा में तब तक नहीं बैठने दिया जाएगा, जब तक कि उसके पास आयोग का प्रवेश पत्र (सर्टिफिकेट आफ एडमिशन) नहीं होगा ।

14. यदि कोई उम्मीदवार किसी भी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए पैरवी करने की कोई कोशिश करेगा तो उसे परीक्षा में बैठने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा ।

15. किसी दूसरे व्यक्ति से परीक्षा दिलवाने अथवा जाली या फेर बदल किए प्रमाण पत्र पेश करने अथवा गलत या झूठी बात बताने अथवा किसी तथ्य को छिपाने या परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित उपाय अपनाने परीक्षा भवन में कोई अनुचित उपाय या अपनाने या अपनाने की चेष्टा करने अथवा परीक्षा भवन में किसी तरह का अनुचित आचरण करने पर आयोग ने यदि किसी उम्मीदवार को अपराधी घोषित किया है तो उम्मीदवार के विरुद्ध दाण्डिक अभियोजन के अतिरिक्त निम्नलिखित कार्यवाही की जा सकती है :—

(क) (1) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा, उम्मीदवारों के चुनाव के लिए आयोजित किसी परीक्षा में सम्मिलित होने अथवा किसी साक्षात्कार में उपस्थित होने से, तथा

(2) केन्द्रीय सरकार द्वारा सरकार के अंतर्गत नौकरियों से, उसको सदा के लिए अथवा किसी विशेष अवधि के लिए वारित किया जा सकता है ।

(ख) यदि वह पहले से ही सरकार की सेवा में हो तो उचित नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही हो सकती है ।

16. आयोग लिखित परीक्षा में अपने निर्णय पर निर्धारित न्यूनतम अर्हता-अंक (Qualifying Marks) प्राप्त उम्मीदवारों को मौखिक परीक्षा के लिए बुलाएगा ।

17. परीक्षा के बाद, आयोग उम्मीदवारों के द्वारा प्राप्त कुल आंकड़ों के आधार पर योग्यता-क्रम से उनकी सूची बनाएगा और उसी क्रम से उन उम्मीदवारों में से जितने लोगों को आयोग अपने निर्णय के अनुसार परीक्षा के आधार पर अर्हता प्राप्त समझेगा, उन्हें इन रिक्तियों पर नियुक्त करने के लिए सिफारिश करेगा ।

लेकिन शर्त यह है कि आयोग, जिस सीमा तक अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिये आरक्षित स्थान सामान्य योग्यता के आधार पर नहीं भरे जा सकते उस सीमा तक अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति के उम्मीदवारों को योग्यता स्तर में ढील दे कर चुनने की सिफारिश करे जिससे कि आरक्षित कोटे में होने वाली कमी पूरी की जा सके, बशर्ते ये प्रत्याशी सेवाओं में नियुक्त के लिये पात्र हों, भले ही परीक्षा में उनका योग्यता क्रम कुछ भी हो ।

18(क). यदि परीक्षाफल के आधार पर, निर्मुक्त आपातकालीन आयुक्त/अल्पकालीन सेवा आयुक्त अफसरों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में अर्हता प्राप्त उम्मीदवार नहीं होंगे, तो अपूरित रिक्तियों को इस संबंध में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित विधि से भरा जाएगा ।

(ख) अगर योग्यता प्राप्त उम्मीदवारों की संख्या निर्मुक्त आपातकालीन कमीशंड अफसरों/अल्पसेवा कमीशंड अफसरों के लिये आरक्षित स्थानों से अधिक हो तो ऐसी स्थिति जिन लोगों को नियुक्त नहीं किया गया है उनके नाम प्रतीक्षा सूचियों पर रखे जाएंगे जिससे उन्हें, बाद के वर्षों में उनके लिये आरक्षित कोटे के पदों पर नियुक्त किया जा सकें ।

19. हरेक उम्मीदवार को परीक्षाफल की सूचना किस रूप में और किस प्रकार की जाए, इसका निर्णय आयोग स्वयं करेगा । आयोग परीक्षाफल के बारे में किसी भी उम्मीदवार से पत्राचार नहीं करेगा ।

20. इस परीक्षा परिणामों के आधार पर नियुक्तियां करते समय उम्मीदवारों की उन प्राथमिकताओं को ध्यान में रखा जाएगा जो उन्होंने प्रार्थना पत्र भेजते समय व्यक्त की हों ।

बशर्ते कि यदि कोई उम्मीदवार पिछली परीक्षा के परिणामों के आधार पर भारतीय प्रशासनिक सेवा अथवा भारतीय विदेश सेवा में नियुक्त हो जाता है तो इस परीक्षा के परिणामों के आधार पर किसी अन्य सेवा के लिए उसकी नियुक्ति पर विचार नहीं किया जाएगा ।

और बशर्ते कि यदि कोई उम्मीदवार पिछली परीक्षा के परिणामों के आधार पर स्तम्भ (2) में उल्लिखित किसी सेवा में नियुक्त हो जाता है तो इस परीक्षा के परिणामों के आधार पर नीचे स्तम्भ (3) में उसी सेवा के सामने उल्लिखित सेवाओं के लिए ही उसकी नियुक्ति पर विचार किया जाएगा ।

| क्रम सं० | जिस सेवा में नियुक्ति हुई | जिस सेवा में नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा |
|---|---|---|
| 1. | भारतीय पुलिस सेवा | भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा और अन्य केन्द्रीय सेवाएं, श्रेणी-1 |
| 2. | केन्द्रीय सेवाएं, श्रेणी-1 (भारतीय विदेश सेवा को छोड़कर) | भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय विदेश सेवा और भारतीय पुलिस सेवा । |
| 3. | केन्द्रीय सेवाएं, श्रेणी-2 दिल्ली और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सिविल सेवा तथा दिल्ली और निकोबार द्वीप समूह पुलिस सेवा । | भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, और अन्य केन्द्रीय सेवाएं श्रेणी-1 । |

21. परीक्षा में पास हो जाने से नियुक्ति का अधिकार तब तक नहीं मिलता जब तक कि सरकार आवश्यक जांच के बाद संतुष्ट न हो जाए कि उम्मीदवार इस सेवा में नियुक्ति के लिए हर प्रकार से योग्य है ।

22. उम्मीदवार को मानसिक और शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होना चाहिए और उसमें कोई ऐसा शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए जिससे वह संबंधित सेवा के अधिकारी के रूप में कर्त्तव्यों को कुशलता पूर्वक न निभा सके। यदि सरकार या सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित डाक्टरी परीक्षा के बीच किसी उम्मीदवार के बारे में यह ज्ञात हो कि वह इन आवश्यकताओं को पूरी नहीं कर सकता तो उसकी नियुक्ति नहीं की जाएगी। आयोग द्वारा मौखिक परीक्षा के लिए बुलाए गए उम्मीदवार की डाक्टरी परीक्षा कराई जा सकती है।

**नोट**:—बाद में निराश न होना पड़े इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र भेजने से पहले सिविल सर्जन के स्तर के सरकारी चिकित्सा अधिकारी से अपनी जांच करवाएं। नियुक्ति से पहले उम्मीदवारों की किस प्रकार की डाक्टरी जांच होगी और उसके लिए स्वास्थ्य का स्तर किस प्रकार का होना चाहिए, इसके ब्यौरे इन नियमों के परिशिष्ट 12 में दिए गए हैं। रक्षा सेवाओं के विकलांग कर्मचारियों के मामले में उन मामलों के संबंध में प्रत्येक सेवा की अपेक्षाओं के अनुरूप छूट दी जाएगी।

23. (क) जिस स्त्री/जिस पुरुष ने ऐसे पुरुष/ऐसी महिला से विवाह करने का करार किया हो अथवा विवाह कर लिया हो, जिसका पति/जिसकी पत्नी जीवित हो, अथवा,

(ख) जिस पुरुष/जिस पत्नी ने जीवित पत्नी/पति के होते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह करने का करार किया हो अथवा विवाह कर लिया हो, वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/होगी,

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार इस बात से सन्तुष्ट हो कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति पर अथवा जिससे विवाह किया गया हो उस पर लागू होने वाले वैयक्तिक कानून के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के अन्य कारण हैं, तो ऐसे व्यक्ति को इस नियम से छूट दे सकती है।

24. भारतीय विदेश सेवा में नियुक्त अधिकारियों को किसी भी हालत में भारतीय नागरिकता प्राप्त व्यक्तियों को छोड़कर विवाह करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

25. उम्मीदवारों को सूचित किया जाता है कि सेवा में भर्ती होने से पहले ही हिन्दी का कुछ ज्ञान होना उन विभागीय परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने की दृष्टि से लाभदायक होगा जो उम्मीदवारों को सेवा में भर्ती होने के बाद देनी पड़ती है।

26. इस परीक्षा के आधार पर जिन सेवाओं में भर्ती की जानी है उसके संक्षिप्त विवरण परिशिष्ट 3 में दिए गए हैं।

बी० नरसिंह,
अवर सचिव

## परिशिष्ट I

## भारत सरकार द्वारा अनुमोदित विश्वविद्यालयों की सूची

(नियम 9 के अनुसार)

### भारतीय विश्वविद्यालय

कोई भी ऐसा विश्वविद्यालय जो भारत के केन्द्रीय या राज्य विधान मण्डल के अधिनियम से निगमित किया गया हो और अन्य शिक्षा संस्थान जो संसद् के अधिनियम से स्थापित किया गया हो अथवा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 3 के अन्तर्गत विश्वविद्यालय मान लिये जाने की घोषणा हो चुकी है।

### बर्मा के विश्वविद्यालय

रंगून विश्वविद्यालय और मांडले विश्वविद्यालय।

### इंगलैंड और वेल्स के विश्वविद्यालय

बर्मिंघम, ब्रिस्टल, केम्ब्रिज, डहमे, लीड्स लिवरपुल, लंदन। मैंचेस्टर, आक्सफोर्ड, रीडिंग, शफील्ड और वेल्स के विश्वविद्यालय।

### स्काटलैंड के विश्वविद्यालय

एवरडीन, एडिनबरा, ग्लास्गो और सेंट एन्ड्रयूज विश्वविद्यालय।

### आयरलैंड के विश्वविद्यालय

डबलिन विश्वविद्यालय (ट्रिनिटी कालेज)।

नेशनल यूनिवर्सिटी, डबलिन।

क्वीन्स यनिवर्सिटी, बेलफास्ट।

### पाकिस्तान के विश्वविद्यालय

पंजाब विश्वविद्यालय।

ढाका विश्वविद्यालय।

सिंध विश्वविद्यालय।

### राजशाही विश्वविद्यालय

### नेपाल का विश्वविद्यालय

त्रिभुवन विश्वविद्यालय काठमाण्डू।

## परिशिष्ट 1-क

## परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए अनुमोदन योग्यताओं की सूची

(नियम 9 के अनुसार)

1. शास्त्री, काशी विद्यापीठ, वाराणसी।

2. फ्रांसीसी परीक्षा (Propedentique)।

3. उच्च ग्राम शिक्षा की राष्ट्रीय परिषद् (नेशनल कौंसिल आफ रूरल हायर एज्यूकेशन) से ग्राम सेवाओं में डिप्लोमा।

4. विश्वभारतीय विश्वविद्यालय का उच्च ग्राम सेवाओं में डिप्लोमा।

5. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ऑल इंडिया कौंसिल फॉर टैकनिकल एज्यूकेशन से वाणिज्य में डिप्लोमा।

6. केन्द्रीय सरकार के अधीन वरिष्ठ सेवाओं और पदों पर भर्ती के लिए सरकार से मान्यता प्राप्त अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् का इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में राष्ट्रीय डिप्लोमा ।

7. श्रीअरबिन्द अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा केन्द्र पांडिचेरी का "उच्च पाठ्यक्रम", यदि "पूर्ण छात्र" (फुल स्टूडेंट) के रूप में यह पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया गया हो ।

8. भारतीय खान विद्यालय, धनबाद, से खनन इंजीनियरी में डिप्लोमा ।

9. मानविकी और प्राकृतिक विज्ञानों के क्षेत्र में उपाधिपत्र यू० एस० एस० आर० में उच्च शैक्षिक स्थापना से अनुप्रमाणित उपाधि-गृहण बिना प्रथम वैज्ञानिक शोध प्रबन्ध का पक्ष लिये हुए परन्तु राज्य की परीक्षाएं पास की हों ।

10. शास्त्री (अंग्रेजी विषय के साथ) या पुराना शास्त्री या अंग्रेजी सहित अतिरिक्त विषयों में विशेष परीक्षा सहित सम्पूर्ण शास्त्री परीक्षा अर्थात् वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी की वरिष्ठ शास्त्री परीक्षा ।

11. गुरुकुल विश्वविद्यालय, कांगड़ी, हरिद्वार की अलंकार डिग्री ।

## परिशिष्ट II

### परीक्षा की रूपरेखा

1. प्रतियोगिता-परीक्षा के निम्नलिखित भाग होंगे :—

(क) तीन विषयों में लिखित परीक्षा जिसका विवरण नीचे पैरा 2 में दिया हुआ है । इसके पूर्णांक 450 होंगे ।

(ख) उन उम्मीदवारों के लिए मौखिक परीक्षा जिन्हें आयोग इस प्रयोजन के लिए बुलाएगा । इसके पूर्णांक 250 होंगे और इनमें से 50 अंक सशस्त्र सेना के सेवा-वृत्त के मूल्यांकन के लिए रखे जायेंगे ।

2. लिखित परीक्षा के विषय, निर्धारित समय और प्रत्येक विषय के पूर्णांक इस प्रकार होंगे :—

| विषय | निर्धारित समय | पूर्णांक |
|---|---|---|
| (I) निबन्ध | 3 घंटे | 150 |
| (II) सामान्य अंग्रेजी | 3 घंटे | 150 |
| (III) सामान्य ज्ञान | 3 घंटे | 150 |

3. परीक्षा का पाठ्यविवरण संलग्न अनुसूची के अनुसार होगा । लिखित परीक्षा के प्रत्येक विषय के लिए वही प्रश्न-पत्र होंगे जो इस परीक्षा के साथ ही ली जाने वाली नियमित भारतीय प्रशासनिक सेवा आदि परीक्षा की योजना के अनुसार उपयुक्त विषयों के लिए होंगे ।

4(क) ऊपर के पैरा 2 के क्रमशः (i) और (ii) के 'निबंध' तथा 'सामान्य ज्ञान' के प्रश्न पत्रों के उत्तर अंग्रेजी अथवा संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित किसी भाषा में दिए जा सकते हैं, अर्थात् असमिया, बंगला, गुजराती, हिन्दी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगू तथा उर्दू । अंग्रेजी के अतिरिक्त विकल्प रूप में किसी अन्य भाषा में उत्तर देने वाले उम्मीदवारों को वही भाषा दोनों पत्रों के लिए चुनी होगी । विकल्प सम्पूर्ण पत्र के लिए लागू होगा न कि उस के किसी अंश के लिए ।

(ख) ऊपर के पैरा 2 के क्रमशः (ii) के सामान्य अंग्रेजी के उत्तर अंग्रेजी में दिए जाने चाहिए ।

**टिप्पणी I** :—ऊपर दिए पैरा 4(क) में अंग्रेजी के अतिरिक्त किसी भाषा में प्रश्न पत्र (ओ०) के उत्तर देने के इच्छुक उम्मीदवार को आवेदन-पत्र के कालम 33 में संबंधित भाषा का नाम संबंधित प्रश्न पत्र (प्रश्न पत्रों) के सामने देना चाहिए । यदि दिए हुए कालमों में एक या दोनों प्रश्न पत्रों के संबंध में कोई अंदराज नहीं किया जाता है तो यह समझा जाएगा कि प्रश्न पत्र/प्रश्न पत्रों के उत्तर अंग्रेजी में दिए जाएंगे । एक बार दिया गया विकल्प अन्तिम समझा जाएगा और परिवर्तन अथवा परिवर्धन के लिए कोई अनुरोध नहीं माना जाएगा ।

**टिप्पणी II** :—ऊपर दिए पैरा 4(क) में संविधान की आठवीं अनुसूची में दी गई किसी भाषा में विकल्प रूप से प्रश्न पत्र (प्रश्न पत्रों) के उत्तर देने वाले उम्मीदवार अपने उत्तर क्रमशः निम्नलिखित लिपि में देंगे :—

| भाषा | लिपि |
|---|---|
| 1. असमिया | असमिया |
| 2. बंगला | बंगला |
| 3. गुजराती | गुजराती |
| 4. हिन्दी | देवनागरी |
| 5. कन्नड़ | कन्नड़ |
| 6. कश्मीरी | फारसी |
| 7. मलयालम | मलयालम |
| 8. मराठी | देवनागरी |
| 9. उड़िया | उड़िया |
| 10. पंजाबी | गुरुमुखी |
| 11. संस्कृत | देवनागरी |
| *12. सिंधी | देवनागरी अथवा अरबी |
| 13. तमिल | तमिल |
| 14. तेलुगू | तेलुगू |
| 15. उर्दू | फारसी |

*ऊपर पैरा 1(क) में दिए गए प्रश्न-पत्र (प्रश्न पत्रों) के उत्तर देने के लिए सिंधी का विकल्प देने वाले उम्मीदवारों को आवेदन पत्र के कालम 32 में उस विशेष लिपि (देवनागरी या अरबी) का नाम लिखना चाहिए जिस में वे उत्तर लिखेंगे ।

5. उम्मीदवारों को प्रश्नों का उत्तर अपने हाथ से लिखना होगा। उन्हें किसी भी हालत में उनकी ओर से उत्तर लिखने के लिए किसी अन्य व्यक्ति की सहायता लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

6. आयोग अपने निर्णय से परीक्षा के किसी एक या सभी विषयों के अर्हता अंक (क्वालिफाइंग मार्कस) निर्धारित कर सकता है।

7. यदि किसी उम्मीदवार की लिखावट आसानी से पढ़ने लायक नहीं होगी तो इसके लिये उसे अन्यथा प्राप्त कुल अंकों में से कुछ अंक काट लिए जायेंगे।

8. उम्मीदवारों को प्रत्येक विषय में दिए गए नम्बरों में से आयोग द्वारा निर्धारित नम्बर इसीलिए काट लिए जायेंगे कि कहीं सतही ज्ञान को तो कोई महत्व नहीं दिया गया है।

9. परीक्षा के सभी विषयों में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि अभिव्यक्ति कम-से-कम शब्दों में क्रमबद्ध तथा प्रभावपूर्ण ढंग से और ठीक-ठीक की गई है।

**अनसूची**

**भाग—(क)**

[परिशिष्ट II की धारा II की उप-धारा (क) के अनुसार]

1. **निबंध**—उम्मीदवारों से एक निबंध लिखने की अपेक्षा की जाएगी। चुनाव के लिये कई विषय दिये जायेंगे। उनसे आशा की जाएगी कि वे निबंध के विषय की परिधि में ही अपने विचारों को क्रम से व्यस्थित करें और संक्षेप में लिखें। प्रभावपूर्ण और ठीक-ठीक भावाभिव्यक्ति का प्रश्रम दिया जाएगा।

2. **सामान्य अंग्रेजी**—प्रश्न इस प्रकार के होंगे जिनसे उम्मीदवारों के अंग्रेजी भाषा के ज्ञान तथा शब्दों के सुन्दर उपयोग की सामर्थ्य का पता चले। कुछ प्रश्न इस प्रकार भी रखे जायेंगे जिससे उनकी तर्कणशक्ति, उनकी निहितार्थ को ग्रहण कर सकने की सामर्थ्य तथा महत्वपूर्ण और कम महत्व वाले कार्य में अन्तर समझ सकने की योग्यता की परीक्षा हो सके। जैसाकि आमतौर पर होता है संक्षेप सार-लेखन के लिए लेखांक दिए जायेंगे। संक्षिप्त एवं प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति के लिए श्रय दिया जाएगा।

3. **सामान्य ज्ञान**—सामयिक घटनाओं के, और ऐसी बातें जो प्रतिदिन देखते-और अनुभव करते हैं, उसके वैज्ञानिक दृष्टि से ज्ञान सहित जिसकी ऐसी शिक्षित व्यक्ति से आशा की जा सकती है कि जिसने वैज्ञानिक विषय का विशेष अध्ययन न किया हो। इस प्रश्न में भारतीय इतिहास और भूगोल के ऐसे प्रश्न भी होंगे जिनका उत्तर उम्मीदवारों को विशेष अध्ययन के बिना ही आना चाहिए। इस प्रश्न पत्र में महात्मा गांधी के उपदेशों से सम्बन्धित प्रश्न भी होंगे।

**भाग—(ख)**

[परिशिष्ट 2 की धारा 1 की उप-धारा (ख) के अनुसार]

**व्यक्तित्व परीक्षा**—एक बोर्ड जम्मीदावार का इंटरव्यू लेगा। इस बोर्ड के सामने उम्मीदवार के कैरियर का वृत होगी। उससे सामान्य रुचि की बातों पर प्रश्न पूछे जायेंगे। यह इंटरव्यू इस उद्देश्य से होगा कि सक्षम और निष्पक्ष प्रेक्षकों का बोर्ड यह जान सके कि जिस सेवा या सेवाओं के लिये उम्मीदवार ने आवेदन-पत्र दिया है, उसके/उनके लिये यह व्यक्तित्व की दृष्टि से उपयुक्त है या नहीं। यह परीक्षा उम्मीदवार की मानसिक क्षमता को जांचने के अभिप्राय से की जाती है। मोटे तौर पर इस परीक्षा का प्रयोजन वास्तव में न केवल उसके बौद्धिक गुणों का, अपितु उसके सामाजिक लक्षणों और सामाजिक घटनाओं में उसकी रुचि का भी मूल्यांकन करना है। इसमें उम्मीदवार की मानसिक सतर्कता आलोचनात्मक ग्रहण शक्ति, स्पष्ट और तर्कसंगत प्रतिपादन करने की शक्ति, संतुलति निर्णय की शक्ति, रुचि की विविधता और गहराई, नेतृत्व और सामाजिक संगठन की योग्यता, बौद्धिक और नैतिक ईमानदारी आदि की भी जांच की जाती है।

2. इंटरव्यू में पूरी तरह से प्रति परीक्षा (Cross Examination) की प्रणाली नहीं अपनाई जाती। उसमें स्वाभाविक वार्तालाप के माध्यम से उम्मीदवार के मानसिक गुणों का उद्घाटन करने का प्रयत्न किया जाता है, परन्तु यह वार्तालाप एक विशेष दिशा में और एक विशेष प्रयोजन से लिया जाता है।

3. व्यक्तित्व परीक्षा उम्मीदवारों के विशेष या सामान्य ज्ञान की जांच करने के प्रयोजन से नहीं की जाती, क्योंकि उनकी जांच को लिखित प्रश्न-पत्र में पहले ही हो जाती है। उम्मीदवारों से आशा की जाती है कि वे केवल अपने विद्याध्ययन के विशेष विषयों में ही समझ-बूझ के साथ रुचि न लें, परन्तु वे उन घटनाओं में भी, जो उनके चारों ओर अपने राज्य या देश के भीतर और बाहर घट रही है, तथा आधुनिक विचारधाओं में और उन नई खोजों में भी रुचि ले जो एक सुशिक्षित युवक में जिज्ञासा उत्पन्न करती है।

**परिशिष्ट III**

इस परीक्षा के द्वारा जिन सेवाओं में भर्ती की जा रही है उसका संक्षिप्त ब्यौरा :—

1. **भारतीय प्रशासनिक सेवा—(क)** नियुक्तियां परख पर की जाएंगी जिसकी अवधि दो वर्ष की होगी और उसे बढ़ाया भी जा सकेगा। सफल उम्मीदवार को परख की अवधि में, भारत सरकार के निर्णय के अनुसार निश्चित स्थान पर और निश्चित रीति से कार्य करना होगा और निश्चित परीक्षाएं पास करनी होंगी।

(ख) यदि सरकार की राय में किसी परखाधीन अधिकारी का कार्य या आचरण संतोषजनक न हो या उसे देखते हुए उसके कार्य-कुशल होने की संभावना न हो तो सरकार उसे तत्काल सेवा-मुक्त कर सकती है।

(ग) परख अवधि के समाप्त होने पर, सरकार अधिकारी को उसकी नियुक्ति पर पक्का कर सकती है या यदि सरकार की राय में उसका कार्य, या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे या तो सेवा-मुक्त कर सकती है या उसकी परख अवधि को, जितना उचित समझे, बढ़ा सकती है।

(घ) यदि सरकार ने सेवा में नियुक्ति करने की अपनी शक्ति किसी अधिकारी को सौंप रखी हो तो वह अधिकारी, ऊपर खण्ड (ख) और (ग) के अन्तर्गत, सरकार की किसी भी शक्ति का प्रयोग कर सकता है।

(ङ) भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, से केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अन्तर्गत, भारत में या विदेश में किसी भी स्थान पर सेवाएं ली जा सकती हैं ।

(ख) **वेतन-मान**—

जूनियर—रु० 400–400–500–40–700–कु० रो०–30–1000 (18 वर्ष)

**सीनियर**—

(i) **समय-मान**—रु० 900 (छठे या पहले)–50–1000–60–1600–50–1800 (22 वर्ष)

(ii) **सलेक्शन ग्रेड**—1800–100–2000

इनके अतिरिक्त अधिसमय-मान पद भी होते हैं जिनका वेतन रु० 2150 से रु० 3500 तक होता है और जिन पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की पदोन्नति हो सकती है ।

महंगाई भत्ता समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार मिलेगा ।

परखाधीन अधिकारियों की सेवा जूनियर समय में प्रारम्भ होगी और उन्हें परख पर बिताई गई अवधि को समय-मान में वेतन-वृद्धि छुट्टी या पेंशन के लिए गिनने की अनुमति होगी ।

(छ) **भविष्य निधि**—भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, अखिल भारतीय सेवा (भविष्य निधि) नियमावली, 1955 से शासित होते हैं ।

(ज) **छुट्टी**—भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अखिल भारतीय सेवा (छुट्टी) नियमावली, 1955 से शासित होते हैं ।

(झ) **डाक्टरी परिचर्या**—भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को अखिल भारतीय, सेवा (डाक्टरी परिचर्या) नियमावली, 1954 के अन्तर्गत अनुमत्य डाक्टरी परिचर्या की सुविधाएं पाने का हक है ।

(ञ) **सेवा निवृत्ति लाभ**—प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्ति किए गए भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु-व-सेवा-निवृत्ति लाभ) नियमावली 1958 द्वारा शासित होते हैं ।

2. **भारतीय विदेश सेवा**—(क) नियुक्ति परख पर की जायेगी जिसकी अवधि आमतौर पर 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी । सफल उम्मीदवारों को भारत में लगभग 21 मास तक प्रशिक्षण लेना होगा । इसके बाद उन्हें तृतीय सचिव या उप-कौंसुल बनाकर उन भारतीयों मिशनों में भेज दिया जायेगा जिनकी भाषाएं उनके लिए अनिवार्य भाषाओं के रूप में नियत की गई हों । प्रशिक्षण की अवधि में परखाधीन अधिकारियों को एक या अधिक विभागीय परीक्षाएं पास करनी होंगी, इसके बाद ही वे सेवा में पक्के हो सकेंगे ।

(ख) सरकार के लिए संतोषजनक रूप से परख-अवधि के समाप्त होने और निर्धारित परीक्षाएं पास करने पर ही परखाधीन अधिकारी को उसकी नियुक्ति पर पक्का किया जायेगा । परन्तु यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे सेवा-मुक्त कर सकती है या परख-अवधि को, जितना उचित समझे, बढ़ा सकती है या यदि उसका कोई मूल पद (सब्स्टेंटिव पोस्ट) हो तो उस पर वापस भेज सकती है ।

(ग) यदि सरकार की राय में, किसी परखाधीन अधिकारी का कार्य या आचरण संतोषजनक न हो या उसे देखते हुए उसके विदेश सेवा के लिए उपयुक्त होने की संभावना न हो तो सरकार उसे तत्काल सेवा-मुक्त कर सकती है या यदि उसका कोई मूल पद हो तो उसे उस पर वापस भेज सकती है ।

(घ) **वेतनमान**—

**जूनियर**—रु० 400–400–500–40–700–कु० रो०–30–1000 ।

**सीनियर**—रु० 900 (छठे वर्ष या पहले)—50–1000–60–1500–50–1800 ।

इनके अतिरिक्त अधिसमय-मान पद पर भी होते हैं जिनका वेतन रु० 1800 से रु० 3500 तक होता है और जिन पर भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों की पदोन्नति हो सकती है ।

(ङ) परख-अवधि में परखाधीन अधिकारी को इस प्रकार वेतन मिलेगा :—

पहले वर्ष—रु० 400 प्रति मास ।

दूसरे वर्ष—रु० 400 प्रति मास ।

तीसरे वर्ष—रु० 500 प्रति मास ।

**नोट—1.** परखाधीन अधिकारी की परख पर बिताई गई अवधि, समय-मान में वेतन-वृद्धि, छुट्टी या पेंशन के लिए गिनने की अनुमति होगी ।

**नोट—2.** परखाधीन अधिकारी को परख-अवधि में वार्षिक वेतन-वृद्धि तभी मिलेगी जबकि वह निर्धारित परीक्षाएं (यदि कोई हो) पास कर लेगा और सरकार को संतोषप्रद प्रगति करके दिखाएगा । विभागीय परीक्षाएं पास करके अग्रिम वेतन-वृद्धियां भी अर्जित की जा सकती हैं ।

**नोट—3.** परिवीक्षाधीन के तौर पर नियुक्ति से पूर्व सावधि पद के अतिरिक्त मूल रूप से स्थायी पद पर रहने वाले सरकारी कर्मचारी का वेतन एफ० आर० 22–बी० (1) के अधीन दिया जाएगा ।

(च) भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी से भारत में या भारत के बाहर किसी भी स्थान पर सेवाएं ली जा सकती हैं ।

(छ) विदेश में सेवा करते समय, भारतीय, विदेश सेवा के अधिकारियों को उनकी हैसियत (Status) के अनुसार विदेश भत्ते मिलेंगे जिससे कि वे नौकर-चाकरों और जीवन-निर्वाह के बढ़े हुए खर्च को पूरा कर सकें और आतिथ्य (इंटरटेनमेन्ट) सम्बन्धी अपनी विशेष जिम्मेदारियों को भी निभा सकें । इसके अतिरिक्त विदेश में सेवा करते समय, भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों को निम्नलिखित रियायतें भी मिलेंगे :—

(i) हैसियत के अनुसार मुफ्त सुसज्जित मकान ।

(ii) सहायता प्राप्त डाक्टरी परिचर्या योजना (Assisted Medical Attendence Scheme) के अन्तर्गत डाक्टरी परिचर्या की सुविधाएं ।

(iii) भारत आने के लिये वापसी हवाई यात्रा का किराया, जो अधिक-से-अधिक दो बार और विशेष आपाती

स्थितियों (emergencies) में ही दिया जायेगा, जैसे—भारत में स्थित किसी निकटतम सम्बन्धी की मृत्यु या सख्त बीमारी अथवा पुत्री का विवाह ।

(iv) भारत में पढ़ने वाले 8 से 18 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों के लिए वर्ष में एक बार वापसी हवाई यात्रा का किराया, ताकि वे लम्बी छुट्टियों में माता-पिता से मिल सकें । परन्तु इस रियायत पर कुछ शर्तें लागू होंगी ।

(v) 5 से 18 वर्ष तक की आयु वाले अधिक-से-अधिक दो बच्चों के लिए समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर शिक्षा/भत्ता ।

(vi) विदेश में प्रशिक्षण के लिए जीते समय और सेवा में पक्का होने पर सज्जा-भत्ता (Outfit Allowance) अधिकारी की सेवा काल की विभिन्न अवस्थाओं में भी निर्धारित नियमों के अनुसार दिया जाता है । साधारण सज्जा-भत्ते के अतिरिक्त, विशेष सज्जा-भत्ता भी उन अधिकारियों को दिया जा सकता है जिन्हें असाधारण रूप से कठोर जलवायु वाले देशों में तैनात किया जाए ।

(vii) विदेश में कम-से-कम दो वर्ष सेवा करने के बाद, अधिकारियों, उनके परिवारों और नौकरों के लिए छुट्टी पर घर जाने का किराया ।

(ज) समय-समय पर संशोधित पुनरीक्षित छुट्टी नियमावली, 1933 कुछ तरमीमों के साथ, इस सेवा के सदस्यों पर लागू होगी । विदेश में की गई सेवा के लिये भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों को, भारतीय विदेश सेवा (PLCA) नियमावली 1961 के अतर्गत अतिरिक्त छुट्टियां मिलेंगे, जो पुनरीक्षित छुट्टी नियमावली के अन्तर्गत मिलने वाली छुट्टी के 50 प्रतिशत तक होंगी ।

**(झ) भविष्य निधि**—भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी, समन्वय भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवाएं) नियमावली, 1960 द्वारा शासित होते हैं ।

**(ञ) सेवा निवृत्ति लाभ**—प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्त किए गए भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी उदारीकृत (Liberalised) पेंशन नियमावली 1950 द्वारा शासित होते हैं ।

(ट) भारत में रहते समय, अधिकारियों को वे ही रियायतें मिलेंगी जो उनके समकक्ष या समान हैसियत (Status) वाले सरकारी कर्मचारियों को मिल सकती हैं ।

**3. भारतीय पुलिस सेवा**—(क) नियुक्ति परख पर की जायेगी जिसकी अवधि दो वर्ष होगी और उसे बढ़ाया भी जा सकेगा । सफल उम्मीदवारों को परख की अवधि में भारत सरकार के निर्णय के अनुसार निश्चित स्थान पर और निश्चित रीति से कार्य करना होगा और निश्चित परीक्षाएं पास करनी होंगी ।

(ख), (ग), (घ) जैसा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के खण्ड (ख), (ग) और (घ) में दिया गया है ।

(ङ) भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी से केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अन्तर्गत भारत में या विदेश में, किसी भी स्थान पर सेवाएं ली जा सकती हैं ।

**(च) वेतनमान**—

**जूनियर**—रु० 400-400-450-30-600-35-670-कु० रो०-35-950 (18 वर्ष)

**सीनियर**—रु० 740 (छठे वर्ष या पहले)-40-1100-50/2-1250-50-1300 (22 वर्ष)

**सलेक्शन ग्रेड**—रु० 1400

पुलिस उप-महानिरीक्षक—रु० 1600-100-2000 ।

पुलिस कमिश्नर, कलकत्ता और बम्बई—रु० 1800-100-2000 ।

पुलिस महानिरीक्षक—रु० 2500-125/2-2750

निदेशक, खुफिया ब्यरो—रु० 3000 ।

महंगाई भत्ता समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार मिलेगा ।

(छ), (ज), (झ), (ञ) जैसा कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के खंड (छ), (झ) और (ञ) में दिया गया है ।

**4. दिल्ली और अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह पुलिस सेवा श्रेणी 2**

(क) नियुक्तियां दो वर्ष के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगी जो सक्षम प्राधिकारी के निर्णय के अनुसार बढ़ाई भी जा सकती हैं । परख पर नियुक्त उम्मीदवार को केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा और विभागीय परीक्षाएं देनी होंगी ।

(ख) यदि सरकार की राय में, किसी परखाधीन अधिकारी का कार्य या आचरण संतोषजनक न हो या उसे देखते हुए उसके कार्यकुशल होने की संभावना न हो, तो सरकार उसे तत्काल सेवा-मुक्त कर सकती है ।

(ग) जब यह घोषित कर दिया जाएगा कि अमुक अधिकारी ने संतोषजनक रूप से अपनी परख-अवधि समाप्त कर ली है तो उसे सेवा में पक्का कर दिया जायेगा । यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे या तो सेवा-मुक्त कर सकती है या उसकी परख-अवधि को, जितना उचित समझे, बढ़ा सकती है ।

(घ) दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह पुलिस सेवा के अधिकारी को दिल्ली-प्रशासन या अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह की सरकार के अंतर्गत सेवा करनी होगी । उससे भारत सरकार के किसी पुलिस खुफिया विभाग में भी सेवा ली जा सकती है ।

**(ङ) वेतनमान**—

ग्रेड I (सिलेक्शन ग्रेड)—1000 रु० स्थिर ।

ग्रेड II—समय मान—350-25-500-30-590-दे० अ०-30-800 रु० ।

किसी प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामों के आधार पर भर्ती किये जाने वाले व्यक्ति, को सेवा में नियुक्ति पर समय वेतनमान का न्यूनतम वेतन प्राप्त होगा बशर्ते यदि वह सेवा में नियुक्ति से पहले मूल रूप से सावधिक पद के अतिरिक्त स्थायी पद पर कार्य करता था, सेवा में परिवीक्षा की अवधि में उसका वेतन मूल नियम 22—ख (i) के परंतुक के अधीन विनियमित किया जायेगा । सेवा में नियुक्त किए ।

(च) सेवा के अधिकारियों को परिशोचित केन्द्रीय वेतन-मान प्राप्त करने वाले कर्मचारियों पर लागू केन्द्रीय सरकार की दरों पर महंगाई भत्ता प्राप्त करने का हक होगा ।

(छ) महंगाई भत्ता और महंगाई वेतन के अतिरिक्त, इस सेवा के अधिकारियों को, प्रतिकर ( नगर) भत्ता, मकान किराया भत्ता और पहाड़ी स्थानों तथा सुदूर स्थानों में रहने-सहने के बढ़े खर्च को पूरा करने के लिये अन्य भत्ते दिए जाये, यदि उन्हें ड्यूटी पर या प्रशिक्षण के लिए ऐसे स्थानों पर भेजा जाएगा और उन स्थानों के लिए भत्ते अनुमत्य होंगे ।

(ज) इस सेवा के अधिकारी दिल्ली, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह पुलिस सेवा नियमावली 1971 और इस नियमावली को लागू करने के प्रयोजन से केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जाने वाली हिदायतें अथवा बनाए जाने वाले विनियम लागू होंगे। जो मामले विशिष्ट रूप से उक्त नियमों या विनियमों अथवा उनके अन्तर्गत दिए गए आदेशों या विशेष आदेशों के अन्तर्गत नहीं आते, उनमें से अधिकारी उन नियमों, विनियमों, और आदेशों द्वारा शासित होंगे जो संघ के कार्यों से सम्बन्धित सेवा करने वाले तदनुरूप (Corresponding) अधिकारियों पर लागू होते हैं ।

5. केन्द्रीय सूचना सेवा ग्रेड-2 (श्रेणी-1) —

(क) केन्द्रीय सूचना सेवा के पद, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न माध्यम संगठनों (media organisation) में भारत भर में है । इन पदों के लिए पत्रकारिता और ऐसी ही अन्य व्यावसायिक योग्यता तथा किसी समाचार-पत्र या समाचार एजेंसी या प्रकाशन संस्था के कार्य का अनुभव होना जरूरी है । यह सेवा पहली मार्च, 1960 को बनाई गई थी ।

(ख) इस सेवा में इस समय निम्नलिखित ग्रेड है :

| ग्रेड | वेतनमान |
|---|---|
| श्रेणी I | |
| सलेक्शन ग्रेड | रु० 2500—125/2—2750 |
| सीनियर प्रशासनिक ग्रेड | |
| (सीनियर मान) | रु० 1800—100—2000 |
| (जूनियर मान) | रु० 1600—100—1800 |
| जूनियर प्रशासनिक ग्रेड | |
| (सीनियर मान) | रु० 1300—60—1600 |
| (जूनियर मान) | रु० 1100—50—1400 |
| ग्रेडII | रु० 400—400—450—30—600—35—670—कु० रो०—35—850। |
| श्रेणी 2 (राजपत्रित) | |
| ग्रेड III | रु० 350—35—500—30—590—कु० लो०—30—800 |
| श्रेणी 2 (राजपत्रित) | |
| ग्रेड IV | रु० 270—10—290—15—410—कु० रो०—15—485 । |

(ग) सेवा के निम्नलिखित ग्रेडों में सीधी भर्ती नीचे स्पष्ट की गई प्रतिशतता के अनुसार की जाती है :—

| | |
|---|---|
| कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (कनिष्ठ वेतनक्रम) | 12% |
| ग्रेट I | 25% |
| ग्रेड II स्थाई पदों का | 50% |
| ग्रेड IV | 100% |

ग्रेड III की रिक्तियां उन अधिकारियों में से प्रवरण द्वारा भरी जाती हैं जिनके लिए आयोग ने नियम 5 के अधीन ऐसे ग्रेड में ड्यूटी पद पर नियुक्त करने के लिए सिफारिश की है जो ग्रेड III से कम न हो और ऐसे अधिकारी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न हों, तो जिन अधिकारियों की ग्रेड IV में ड्यूटी पद पर अनुमोदित सेवा लगातार पांच वर्ष की हो चुकी है उनमें से विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों पर प्रवरण के आधार पर, पदोन्नति द्वारा ये रिक्तियां भरी जायेंगी ।

ग्रेड II की 50% स्थायी तथा समस्त अस्थायी रिक्तियां, ग्रेड I की 75% रिक्तियों और कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (कनिष्ठ वेतनक्रम) की 87½% रिक्तियां तुरन्त नीचे के ग्रेड में ड्यूटी पोस्टों पर नियुक्ति अधिकारियों में से चयन द्वारा पदोन्नति के आधार पर भरी जाती है ।

सलैक्शन ग्रेड, वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (वरिष्ठ वेतनक्रम) तथा वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (कनिष्ठ वेतन क्रम और कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (वरिष्ठ वेतनक्रम) की रिक्तियां सम्बन्धित ग्रेड से तुरन्त नीचे के ग्रेड में ड्यूटी पोस्टों पर नियुक्त अधिकारियों में से चयन द्वारा भरी जाती है । यदि ऐसी पदोन्नति के लिये कोई उपयुक्त अधिकारी उपलब्ध नहीं होता तो सलेक्शन ग्रेड तथा वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड ऐसी रिक्तियों में संघ लोग सेवा आयोग के परामर्श से नियुक्ति की जायेगी। कनिष्ट प्रशासनिक ग्रेड (वरिष्ठ वेतनक्रम) की रिक्तियों उक्त ग्रेड के कनिष्ठ वेतनक्रम में ड्यूटी पोस्टों पर नियुक्त अधिकारियों में से वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर भरी जायेंगी ।

सरकार किसी ग्रेड में उस ग्रेड की संख्या के अधिक से अधिक 10% तक संघ लोग सेवा आयोग के परामर्श से, ऐसी निश्चित की गई अवधि के लिए जो 5 वर्ष से अधिक न होगी, राज्यों के प्रकार संगठनों के अधिकारियों की प्रतिनियुक्त द्वारा भर सकती है । पदोन्नति अथवा सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों की संख्या निर्धारित करते समय इस प्रकार भरे गये पदो को ध्यान में रखा जाती है ।

उक्त श्रेणियों की शेष रिक्तयां तथा चयन ग्रेड, सीनियर प्रशासन ग्रेड एवं ग्रेड-III की रिक्तियां भी तुरन्त निचली श्रेणियों में 'ड्यूटी' पदों पर काम कर रहे अधिकारियों में से चयन द्वारा पदोन्नति करके भरी जाती है । जूनियर प्रशासन ग्रेड के सीनियर

वेतनमान की रिक्तियों उक्त ग्रेड के जूनियर वेतनमान में ड्यूटी पदों पर कार्य रहे अधिकारियों में से 'वरिष्ठता' तथा "सुयोग्यता" (सीनियरिटी-कम फिटनेस) के आधार पर पदोन्नति करके भरी जाती है ।

(घ) (i) ग्रेड II में सीधे भरती किए गए उम्मीदवार दो वर्ष तक परिवीक्षाधीन रहेंगे । परिवीक्षा काल में उन्हें भारतीय लोक संचार संस्थान (इंडिया इंस्टीट्यिूट आफ मास कम्युनिकेशन) किसी समाचार पत्र अथवा समाचार एजेंसी तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न माध्यम एककों में और राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में प्रशिक्षण दिया जायेगा । प्रशिक्षण की कुल अवधि लगभग 15 मास होगी । प्रशिक्षण की अवधि तथा स्वरूप में सरकार परिवर्तन कर सकती है । प्रशिक्षण के दौरान उन्हें राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी की 'पाठ्यक्रम संपूर्ति परीक्षा" (एंड आफ-द-कोर्स-टेस्ट) भारतीय लोक संचार संस्थान की प्रथम प्रशिक्षण और द्वितीय विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी । विभागीय परीक्षा में भाषा ज्ञान की परीक्षा भी सम्मिलित रहेगी । विभागीय परीक्षा में असफल होने पर उम्मीदवार को सेवा से मुक्त किया जा सकता है अथवा उस स्थायी पद पर प्रत्यावर्तित किया जा सकता है जिस पर उसकी पदधारिता हो ।

(ii) परख-अवधि की समाप्ति पर, यदि स्थायी पद उपलब्ध हो तो सरकार सीधे भर्ती वाले अधिकारियों को, वर्तमान नियमों के अनुसार उनकी नियुक्ति में पक्का कर सकती है यदि परखाधीन अधिकारी का कार्य और आचरण सन्तोषजनक न रहा तो उसे सेवा मुक्त किया जा सकता है या परख की अवधि उतने समय के लिये बढ़ायी जा सकती है जितना कि सरकार ठीक समझे । यदि उसका कार्य और आचरण से उसके कार्यकुशल होने की सम्भावना न हो तो उससे तत्काल सेवा-मुक्त किया जा सकता है ।

(iii) परिवीक्षाधीनों को प्रारम्भ में ग्रेड II के वेतनमान में न्यूनतम वेतन मिलेगा । प्रथम विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने के बाद परिवीक्षाधीनों को वेतन बढ़ा कर केन्द्रीय सूचना सेवा के ग्रेड II के वेतन क्रम में रू० 450 कर दिया जायगा । द्वितीय विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने पर उसका वेतन रु० 480 से अधिक वृद्धि तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि वह अपनी सेवा के 4 वर्ष पूरे नहीं कर लेता अथवा अन्य आवश्यक समझी गई शर्तें को पूरा नहीं कर लेता । यदि कोई परिवीक्षाधीन राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी की "पाठ्यक्रम-संपूर्ति परीक्षा" में उत्तीर्ण नहीं हुआ हो तो उसकी प्रथम वार्षिक वेतन-वृद्धि को, जिस तारीख को यह मिली होती उससे एक वर्ष के लिए अथवा विभागीय विनियमों के अधीन दूसरी वार्षिक वेतन वृद्धि अर्जित होने की तारीख तक, दोनों में से जो पहले हो रोक दिया जायगा ।

(iv) जो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षा के आधार पर नियुक्ति से पूर्व, मौलिक आधार पर सांविधिक पद के अतिरिक्त किसी स्थायी पद पर नियुक्त था उसका वेतन मूल नियम 22ख (1) की व्यवस्थाओं के अधीन विनियमित होगा ।

(ङ) सरकार इस सेवा के किसी भी सदस्य को किसी विशिष्ट अवधि तक, संघ राज्य क्षेत्र की प्रचार संगठन में किसी पद पर रख सकती है ।

(च) सरकार, किसी अधिकारी को सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के अन्तर्गत किसी भी संगठन में किसी क्षेत्रीय पद पर रख सकती है ।

(छ) जहां तक छुट्टी पेंशन और सेवा की अन्य शर्तों का सम्बन्ध है केन्द्रीय सूचना सेवा के अधिकारियों को श्रेणी I और श्रेणी II के अन्य अधिकारियों के समान समझा जायगा ।

परिवीक्षाधीनों को यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिये कि उनकी नियुक्ति केन्द्रीय सूचना सेवा के गठन में समय-समय पर भारत सरकार द्वारा आवश्यक समझ कर किए जाने वाले प्रत्येक परिवर्तन के अधीन होंगी और इस प्रकार के परिवर्तनों के फलस्वरूप उन्हें किसी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया जायगा ।

**5. भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा ।**

**6. भारतीय सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क ।**

**7. भारतीय रक्षा लेखा सेवा ।**

(क) नियुक्ति परख पर की जाएगी जिसकी अवधि 2 वर्ष की होगी । परन्तु यह अवधि बढ़ाई भी जा सकती है यदि परखाधीन अधिकारी ने निर्धारित परीक्षाएं पास करके, अपने आपको पक्का किए जाने (Confirmation) के योग्य सिद्ध न किया हो । यदि कोई अधिकारी तीन वर्ष की अवधि में विभागीय परीक्षाएं पास करने में लगातार असफल होता रहा तो उसकी नियुक्ति खत्म कर दी जायगी ।

(ख) यदि, यथा-स्थिति सरकार या नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की राय में, परखाधीन अधिकारी का कार्य या आचरण असंतोषजनक हो या उसे देखते हुए उसके कार्यकुशल होने की सम्भावना न हो तो सरकार उसे तत्काल सेवा मुक्त कर सकती है ।

(ग) परख अवधि के समाप्त होने पर, यथा स्थिति, सरकार या नियन्त्रक और महालेखा परीक्षा अधिकारी को उसकी नियुक्ति पर पक्का कर सकती है/सकता है या यदि यथा-स्थिति सरकार या नियन्त्रक और महा-लेखा-परीक्षक की राय में उसका कार्य या आचरण असन्तोषजनक रहा हो तो उसे या तो सेवा-मुक्त कर सकती/सकता है या उसकी परख अवधि को जितना उचित समझे, बढ़ा सकती/सकता है परन्तु अस्थायी रूप से खाली जगहों पर की गई नियुक्तियों के सम्बन्ध में पक्का करने का दावा नहीं किया जा सकेगा ।

(घ) लेखा परीक्षा के लेखा सेवा से अलग किय जाने की सम्भावना को ध्यान में रखते हुये, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा में परिवर्तन हो सकते है और कोई उम्मीदवार जो इस सेवा के लिए चुना जाय इस परिवर्तन से होने वाले परिणाम के आधार पर कोई दावा नहीं करेगा और उन्हे अलग किये गये केन्द्रीय और राज्य सरकार और नियन्त्रक और महा-लेखा परीक्षक के अन्तर्गत सांविधिक लेखा परीक्षा कार्यालय में काम करना पड़ेगा और केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के अन्तर्गत अलग किए गए लेखा कार्यालयों के संवर्ग में अन्तिम रूप से रहना होगा/पड़ेगा ।

(ङ) भारतीय रक्षा लेखा सेवा के अधिकारियों से भारत में कहीं भी सेवा ली जा सकती है और उन्हें क्षेत्र-सेवा (फील्ड सर्विस) पर भारत में या भारत से बाहर भी भेजा जा सकता है ।

(च) वेतन मान—

भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा—

भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा का समय-मान—

रु० 400–400–450–30–510–कु० रो०–700–40–1100–50/2–1250 ।

जूनियर प्रशासनिक ग्रेड—रु० 1300–60–1600 ।

महालेखापाल—रु० 1800–100–2000–125—2250 ।

अपर उप नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक ग्रेड-1 2,500–125/2–2,750 रु०

**नोट 1**—परखाधीन अधिकारियों की सेवा, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा के समय-मान में कम-से-कम वेतन से प्रारम्भ होगी और वेतन-वृद्धि के प्रयोजन से उनकी सेवा कार्यग्रहण की तारीख से गिनी जायगी ।

**नोट 2**—परखाधीन अधिकारियों का 400 रु० से ऊपर का वेतन तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि वे समय समय पर विहित नियमों के अनुसार विभागीय परीक्षाएं पास नहीं कर लेंगे ।

**नोट 3**—परखाधीन अधिकारियों की सेवा, ग्रेड II के समय-मान में कम-से-कम वेतन से प्रारम्भ होगी । यदि कोई परखाधीन अधिकारी राष्ट्रीय प्रशासनिक एकादमी, मसूरी की पाठ्यक्रमान्त परीक्षा पास नहीं करता तो उसकी रु० 450 तक ले जाने वाली वेतन-वृद्धि एक साल के लिये उसकी वेतन-वृद्धि की तारीख स्थगित कर दी जायगी अथवा विभागीय नियमों के अनुसार उसकी दूसरी वेतन-वृद्धि जब पड़ने वाली हो और इन दोनों में से जो पहले पड़े तब तक वेतन-वृद्धि स्थगित रहेगी ।

**नोट 4**—जो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षा के आधार पर नियुक्ति से पूर्व, मौलिक आधार पर सावधिक पद के अतिरिक्त किसी स्थायी पद पर नियुक्त था उसका वेतनमूल नियम 22-ख (1) की व्यवस्थाओं के अधीन नियमित होगा ।

8. **भारतीय सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क सेवा -**

| | |
|---|---|
| अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, कलास 1, सहायक कलक्टर, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क, सहायक कलक्टर, सीमाशुल्क । | रु० 400-400-450-30-510-द० रो०-700–40–1100-50/2/-1250 । |
| डिप्टी कलक्टर, सीमा शुल्क डिप्टी कलक्टर, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अतिरिक्त कलक्टर, अपिलेट कलक्टर । | रु० 1100–50–1300–60–1600 । |
| कलक्टर, सीमा शुल्क कलक्टर, केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क | रु० 1800–100–2000–125–2250 । |

(क) नियुक्तियां 2 वर्ष के लिए परिवीक्षा के आधार पर की जाएंगी किन्तु यदि परिवीक्षाधीन अधिकारी निर्धारित विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण करके स्थायीकरण का हकदार नहीं हो जाता तो उक्त अवधि को बढ़ाया भी जा सकता है । तीन वर्ष की अवधि में विभागीय प्रतियोगिताओं को उत्तीर्ण न कर लेने पर नियुक्ति रद्द भी की जा सकती है ।

(ख) यदि सरकार की राय में किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का कार्य अथवा आचरण संतोषजनक नहीं है अथवा उसके सक्षम अधिकारी बनने की सम्भावना नहीं है तो सरकार उसे तुरन्त सेवा-मुक्त कर सकती है ।

(ग) परिवीक्षाधीन अधिकारी का परिवीक्षाकाल पूर्ण होने पर सरकार उसकी नियुक्ति को स्थायी कर सकती है अथवा यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक नहीं रहा है तो सरकार या तो उसे सेवा-मुक्त कर सकती है अथवा उसके परिवीक्षाकाल में अपनी इच्छानुसार वृद्धि कर सकती है किन्तु अस्थायी रिक्तियों पर नियुक्ति किये जाने पर स्थायीकरण सम्बन्धी उसका कोई दावा नहीं स्वीकार किया जायेगा ।

(घ) भारतीय सीमा-शुल्क तथा उत्पादन शुल्क सेवा क्लास I के अधिकारी को भारत के किसी भी भाग में सेवा करनी होगी तथा भारत में ही "फील्ड सर्विस" भी करनी होगी ।

**नोट 1**—एक परिवीक्षाधीन अधिकारी को प्रारम्भ में रु0400 400–450–30–510–द0 रो0–700– 40–1100 50/2–1250 के समय वेतन में न्यूनतम वेतन मिलेगा तथा वार्षिक वृद्धि के लिए अपने सेवा काल को वह कार्यभार ग्रहण करने 22-ख (1) की तारीख से मानेगा ।

**नोट 2**—परिवीक्षाधीन अधिकारी को समय वेतन मान में रु0 400 से अधिक वेतन तब नहीं दिया जायगा जब तक कि वह समय समय पर निर्धारित किए जानेवाले नियमों के अनुसार निर्धारित विभागीय परीक्षाएं उत्तीर्ण नहीं कर लेता /लेती ।

**नोट 3**—जो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षा के आधार पर भारतीय सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन कर सेवा, श्रेणी 1 में नियुक्त से पूर्व, मौलिक आधार पर सावधिक पद के अतिरिक्त किसी स्थाई पद पर नियुक्त था उसका वेतन मूल्य नियम की व्यवस्थाओ के अधीन विनियमत होगा ।

**नोट 4**—परिवीक्षा की अवधि में अधिकारी को विभागीय प्रशिक्षण के लिए केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग, सीमा शुल्क विभाग मादक पदार्थ (नारकोटिक्स) विभाग में तथा बुनियादी पाठ्य क्रम प्रशिक्षण (फाउंडेशन कोर्सट्रेनिंग) के लिए राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी में नियुक्त किया जायगा । मसूरी में प्रशिक्षण समाप्त कर लेने पर उसे "पाठ्यक्रम संपूर्ति परीक्षा" उत्तीर्ण करनी होगी । उसे विभागीय परीक्षा के खण्ड I और खण्ड II में भी सफलता प्राप्त करनी होगी । पाठ्यक्रम संपूर्ति परीक्षा और विभागीय परीक्षा के किसी एक खण्ड में उत्तीर्ण हो जाने के बाद उसका वेतन पहिली अग्रिम वेतन वृद्धि देकर रू० 450 कर दिया जायगा विभागीय परीक्षा के दोनों खण्डों में उत्तीर्ण होजाने पर उसका वेतन दूसरी अग्रिम वेतन वृद्धि देकर रू० 480 कर दिया जायगा । वेतन में रु० 480 से अधिक वृद्धि तब तक नही की जायगी जब तक कि वह अपनी सेवा के चार वर्ष पूरे नहीं कर लेता अथवा अन्य आवश्यक समझी जाने वाली शर्तों को पूरा नहीं कर लेता ।

यदि कोई परिवीक्षाधीन अधिकारी "पाठ्यक्रम संपूर्ति परीक्षा" उत्तीर्ण नहीं करता तो उसके प्रथम अग्रिम वेतन-वृद्धि को, जिस तारीख से वह मिली होती उससे एक वर्ष के लिए अथवा विभागीय विनियमों के अधीन दूसरी अग्रिम वेतन-वृद्धि अर्जित होने की तारीख तक, दोनों में से जो भी पहले हो, रोक दिया जायगा ।

**नोट 5**—परिवीक्षाधीन अधिकारियों को यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि उनकी नियुक्ति भारतीय सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क सेवा, क्लास I के गठन में समय-समय पर भारत सरकार द्वारा आवश्यक समझ कर किए जाने वाले प्रत्येक परिवर्तन के अधीन होगी और इस प्रकार के परिवर्तन के फलस्वरूप उन्हें किसी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया जाएगा ।

**भारतीय रक्षा लेखा सेवा :**

**समय-मान—**

रु० 400-400-450-480-कु० रो०-700-40-1100 1100-1150-1150-1200-1200-1250 ।

**जूनियर प्रशासनिक ग्रेड—**

रु० 1300-60-1600 ।

रु० 1600-100-1800 (सेलेक्शन ग्रेड)

**सीनियर प्रशासनिक ग्रेड—**

रु० 1800-100-2000-125-2250 ।

**रक्षा लेखा महानियंत्रक**—रु० 2750 (नियत) ।

**नोट 1**—परखाधीन अधिकारियों की सेवा, समयमान में कम-से-कम वेतन से प्रारम्भ होगी और वेतन वृद्धि के प्रयोजन से, उनकी कार्यग्रहण की तारीख से गिनती जायेगी ।

उसका वेतन मूल नियम 22-ख(1) की व्यवस्थाओं के अधीन विनियमित होगा जो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षा के आधार पर नियुक्ति से पूर्व, मौलिक आधार पर सावधिक पद के अतिरिक्त किसी स्थायी पद पर नियुक्त था ।

**नोट 2**—परखाधीन अधिकारियों को 400 रुपये से ऊपर का वेतन तब तक नहीं मिलेगा, जब तक कि समय-समय पर लागू होने वाले नियमों के अनुसार विभागीय परीक्षा पास नहीं कर लेंगे, इसके अलावा यदि कोई भी अधिकारी जो राष्ट्रीय प्रशासनिक एकादमी, मसूरी की पाठ्यक्रमान्त परीक्षा नही पास करता उसकी पहली वेतन-वृद्धि जो उसे विभागीय परीक्षा का खण्ड पास कर लेने पर प्राप्त होता उसकी तिथि एक वर्ष के लिए स्थगित कर दी जाएगी अथवा खण्ड II पास कर लेने के बाद जो उसे दूसरी वेतन-वृद्धि मिलती और इन दोनों में जो भी अवधि पहले पड़े तब तक स्थगित रहेंगी ।

9. **भारतीय आयकर सेवा श्रेणी** I—(क) नियुक्ति परख पर की जायगी जिसकी अवधि 2 वर्ष की होगी । परन्तु वह अवधि बढ़ाई भी जा सकती है, यदि परखाधीन अधिकारी, निर्धारित विभागीय परीक्षाएं पास करके अपने आपको पक्का किए जाने (Confirmation) के योग्य सिद्ध न कर सके । यदि कोई अधिकारी तीन वर्ष की अवधि में विभागीय परीक्षाएं पास करने में लगातार असफल होता रहा तो उसकी नियुक्ति खत्म कर दी जाएगी ।

(ख) यदि सरकार की राय में, परखाधीन अधिकारी का कार्य या आचरण असंतोषजनक हो या उसे देखते हुए उसके कार्य-कुशल होने की सम्भावना न हो तो सरकार उसे तत्काल सेवा-मुक्त कर सकती है ।

(ग) परख-अवधि के समाप्त होने पर, सरकार अधिकारी को उसकी नियुक्ति पर पक्का कर सकती है, या यदि सरकार की राय में, उसका कार्य या आचरण असंतोषजनक रहा हो तो उसे या तो सेवा-मुक्त कर सकती है या उसकी परखा-अवधि को, जितना उचित समझे, बढ़ा सकती है—परन्तु अस्थायी रूप से खाली जगहों पर की गई नियुक्तितों के सम्बन्ध में, पक्का करने का दावा नहीं किया जा सकेगा ।

(घ) यदि सरकार ने सेवा में नियुक्तियां करने की अपनी शक्ति किसी अधिकारी को सौंप रखी हैं तो वह अधिकारी ऊपर के खण्डों में उल्लिखित सरकार की कोई भी शक्ति का प्रयोग कर सकता है ।

**(ङ) वेतनमान :—**

आयकर अधिकारी, श्रेणी I—

रु० 400-400-450-30-510-कु० रो०-700-40-1100 50-2-1250 ।

आयकर सहायक आयुक्त—रु० 1300-60-1600 ।

आय-कर के अपर आयुक्त—

रु० 1600-100-1800 ।

आय-कर आयुक्त—रु० 1800-100-2000-125-2250 ।

परखाधीन अवधि में अधिकारी को राष्ट्रीय प्रशासनिक एकादमी, मसूरी तथा आयकर प्रशिक्षण कालेज, नागपुर में प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा । मसूरी में प्रशिक्षण समाप्त होने पर उसे पाठ्यक्रमान्त परीक्षा पास करनी होगी । इसके अतिरिक्त परखाधीन अवधि में विभागीय परीक्षा खण्ड I और खण्ड II भी पास करने होंगे । पाठ्यक्रमान्त परीक्षा तथा विभागीय परीक्षा खण्ड I पास कर लेने पर वेतन बढ़ाकर 450 रु० कर दिया जाएगा । विभागीय परीक्षा खण्ड II पास कर लेने पर वेतन बढ़ाकर रु० 480 कर दिया जाएगा । रु० 480 के स्तर के ऊपर वेतन तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि उस अधिकारी की सेवा 4 वर्ष पूरी न हो चुकी हो या दूसरी ऐसी शर्तों के अधीन होगा जो आवश्यक समझा जाए ।

यदि वह एकादमी की पाठ्यक्रमान्त परीक्षा पास नहीं कर लेता तो एक वर्ष के लिए उसकी वेतन-वृद्धि स्थगित कर दी जाएगी अथवा उस तारीख तक जब कि विभागीय नियमों के अन्तर्गत उसे दूसरी वेतन-वृद्धि मिलने वाली हो और इन दोनों में से जो भी अवधि पहले पड़े तब तक स्थगित रहेगी ।

**नोट 1**—परखाधीन अधिकारी को 400 रु० से ऊपर का वेतन तब तक नहीं मिलेगा जब तक वह समय-समय पर विहित नियमों के अनुसार विभागीय परीक्षाएं पास नहीं कर लेगा ।

**नोट 2**—परखाधीन अधिकारियों को भलीभांति समझ लेना चाहिए कि उनकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा आयकर सेवा श्रेणी-I के गठन में किए जाने वाले किसी भी ऐसे परिवर्तन से प्रभावित हो सकेगी जो कि समय-समय पर उचित समझे जाने के बाद भारत सरकार द्वारा किया जायेगा और वह उस प्रकार के परिवर्तनों के फलस्वरूप प्रतिकर का दावा नहीं कर सकेंगे।

10. **भारतीय आर्डनेंस फैक्टरी सेवा, श्रेणी-1 (गैर तकनीकी संवर्ग**

(क) चुने हुए उम्मीदवार, सहायक प्रबंधक (परखाधीन) के रूप में नियुक्त किये जायेंगे परख की अवधि 2 वर्ष होगी जिसे आर्डनेन्स फैक्टरियों के महानिदेशकों की सिफारिश पर सरकार द्वारा कम अथवा अधिक किया जा सकेगा। सहायक प्रबंधक (परखाधीन) को सरकार द्वारा दिया जाने वाला कोई भी प्रशिक्षण लेना पड़ेगा, और सरकार द्वारा निर्धारित की जाने वाली विभागीय तथा भाषा परीक्षाएं भी देनी पड़ सकती हैं। भाषा परीक्षाओं में हिन्दी की परीक्षा शामिल होगी। परख की अवधि समाप्त होने पर सरकार अधिकारी को उसकी नियुक्ति पर स्थायी कर देगी। किन्तु यदि परख की अवधि के दौरान या उसके अन्त में उसका कार्य तथा आचरण सरकार के विचार में असंतोषजनक रहा हो, तो सरकार चाहे तो उसे सेवा से निकाल सकेगी और चाहे उसकी परख की अवधि को उतनी अवधि के लिए बढ़ा सकेगी जितनी वह ठीक समझे। किन्तु सेवा समाप्ति के आदेश देने से पूर्व सक्षम अधिकारी द्वारा संबंधित अधिकारी को उन कारणों से अवगत कराया जायगा। जिनके आधार पर उसे सेवा मुक्त करने का विचार किया गया और उसके विरुद्ध कारण बताने का अवसर दिया जायेगा।

(ख) भारतीय आर्डनेन्स फैक्टरी सेवा में सहायक प्रबंधक (परखाधीन) 400-400-450-30-600-35-670 द० रो०-35-950 रु० के निर्धारित वेतन क्रम में वेतन प्राप्त करेंगे, परख की अवधि के दौरान उन्हें विभाग की विभिन्न शाखाओं में और मसूरी की राष्ट्रीय प्रशासन आकादमी में एक आधारित पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण लेना पड़ेगा। पाठ्यक्रमान्त परीक्षा तथा विभागीय परीक्षा पास करने पर उन्हें अग्रिम वेतन वृद्धि प्राप्त करने का अधिकार होगा जिससे उनका वेतन पहली तथा दूसरी विभागीय परीक्षा के अंतिम पत्र की तारीख से बढ़ा कर 450 रु० और 480 रु० प्रतिमास हो जायेगा। आगे वेतन वृद्धियों का विनियमन समय मान के अन्तर्गत उनकी स्थिति के अनुसार तथा उनके उस ग्रेड में स्थायी किये जाने के बाद होगा।

यदि कोई सहायक प्रबन्धक (परखाधीन) राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, मसूरी की पाठ्यक्रमान्त परीक्षा पास नहीं करता तो जिस तारीख को उसे पहली वेतन-वृद्धि प्राप्त होती उस तारीख से एक वर्ष के लिये अथवा विभागीय नियमों के अन्तर्गत दूसरी वेतन वृद्धि प्राप्त होने वाली हो, इन दोनों में से जो भी अवधि पहले पड़े तब तक स्थगित रहेगी।

(ग) (1) चुने हुए उम्मीदवारों को यदि उस से कहा जाय तो, सशस्त्र सेना में, यदि प्रशिक्षण में कोई अवधि लगी हो तो ऐसी अवधि को मिलाकर कम से कम चार वर्ष की अवधि के लिए सेवा करनी पड़ेगी, किन्तु ऐसे व्यक्ति को (1) नियुक्ति की तारीख से 10 वर्ष गुजरने के बाद उपर्युक्त सेवा नहीं करनी होगी और (2) चालीस वर्ष हो जाने के बाद उपर्युक्त सेवा नहीं करनी होगी।

(2) इन उम्मीदवारों पर रक्षा सेवाओं में सिविलियन (क्षेत्र सेवा उत्तरदायित्व) नियम, 1957 भी लागू होंगे जो 9 मार्च, 1957 को का० आ० नि० सं० 92 के अधीन प्रकाशित हुए थे। उनमें दिये गये स्वास्थ्य मानकों के अनुसार उनकी स्वस्थ्य परीक्षा की जायेगी।

(घ) उनको दिये जाने वाले वेतन क्रम इस प्रकार हैं :—

| | कनिष्ठ वेतन मान |
|---|---|
| सहायक प्रबंधक तकनीकी स्टाफ अधिकारी | 400-400-450-30-600-35-670-द० रो० 35-950 रु० वरिष्ठ वेतन मान |
| उप प्रबंधक /उपसहायक महानिदेशक आर्डनेन्स फैक्टरी | 700-40-1100-50/2-1250 रु०। |
| प्रबंधक/वरिष्ठ उपसहायक महानिदेशक आर्डनेन्स फैक्टरी | 1100-50-1400 रु० |
| उप महाप्रबंधक/सहायक निदेशक आर्डनेन्स फैक्टरी ग्रेड-2 | 1300-60-1600-100-1800 रु० |
| सहायक महानिदेशक आर्डनेन्स फैक्टरी ग्रेड-1 | 1800-100-2000 रु० |
| उप महानिदेशक आर्डनेन्स फैक्टरी | 2000-125-2,250 रु० |

11. **भारतीय डाक सेवा**

(क) चुने हुए उम्मीदवारों को इस विभाग में प्रशिक्षण लेना होगा। जिसकी अवधि, आमतौर पर, दो वर्ष से अधिक नही होगी इस अवधि में इन्हें निर्धारित विभागीय परीक्षा पास करनी होगी

(ख) यदि सरकार की राय में, किसी प्रशिक्षणाधीन अधिकारी का कार्य या आचरण संतोषजनक न हो, या उसे देखते हुए उसके कार्यकुशल होने की सम्भावना न हो तो सरकार उसे तत्काल सेवा मुक्त कर सकती है ।

(ग) परख-अवधि के समाप्त होने पर, सरकार अधिकारी को उसकी नियुक्ति पर पक्का कर सकती है, या यदि सरकार की राय में उसका कार्य आचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे या तो सेवा-मुक्त कर सकती है या उसकी परख-अवधि को, जितना उचित समझे, बढ़ा सकती है, परन्तु अस्थायी रूप से खाली जगहों पर की गई नियुक्तियों के सम्बन्ध में पक्का करने का दावा नहीं किया जा सकेगा ।

(घ) यदि सरकार ने सेवा में नियुक्तियां करने की अपनी शक्ति किसी अधिकारी को सौंप रखी हो तो वह अधिकारी ऊपर के खण्डों में उल्लिखित सरकार की कोई भी शक्ति का प्रयोग कर सकता है ।

**वेतनमान**

समय-मान 400-400-450-30-510-कु० रो० -700-40-1100-50/2-1250 (प्रशिक्षणाधीन अधिकारी इस समय-मान में वेतन लेंगे) ।

डाक सेवा निदेशक : 1300-60-1600 ।

महापोस्टमास्टर : रु० 1800-100-2000-125-2250 ।

सदस्य, डाक तार बोर्ड : रु० 2250-125/2-2750 ।

Senior Members, Post and Telegraph Board Rs. 300

(च) भारतीय डाक सेवा श्रेणी I के परखाधीन अधिकारी रु० 400-400-450-30-480-510-कु० रो० -700-40-1100-50/2-1250 के निश्चित मान में अपना वेतन प्राप्त करेंगे । परखाधीन अवधि में उस विभाग को विभिन्न शाखाओं तथा राष्ट्रीय प्रशासनिक एकादमी मसूरी के आधारात्मक पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण लेना पड़ेगा । मसूरी में प्रशिक्षण समाप्त होने पर उन्हें पाठ्यक्रमान्त परीक्षा पास करनी होंगी । विभागीय नियमों के अन्तर्गत विहित विभागीय परीक्षाएं भी इन्हें पास करनी होंगी ।

पाठ्यक्रमान्त परीक्षा तथा विभागीय परीक्षा पास कर लेने पर उनके वेतन बढ़ा कर रु० 450 कर दिया जाएगा । दो वर्ष की परखाधीन अवधि समाप्त कर लेने और स्थायी किए जाने के बाद उनका वेतन 480 रु० के स्तर पर निश्चित कर दिया जाएगा । समय-मान के अन्तर्गत उनकी स्थिति के अनुसार इस के बाद उनका वेतन निश्चित होता रहेगा ।

यदि कोई परखाधीन अधिकारी राष्ट्रीय प्रशासनिक एकादमी, मसूरी की पाठ्यक्रमान्त तरीक्षा पास नहीं करता तो जिस तारीख को उसे पहली वेतन-वृद्धि प्राप्त होती उस तारीख से एक वर्ष के लिए स्थगित कर दी जाएगी अथवा विभागीय नियमों के अन्तर्गत उसे जब दूसरी वेतन-वृद्धि प्राप्त होने वाली हो और इन दोनों जो भी अवधि पहले पड़े, तब तक स्थगित रहेगी ।

जो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षा के आधार पर नियुक्ति से पूर्व, मौलिक आधार पर सांवधिक पद के अतिरिक्त किसी स्थायी पद पर नियुक्त था, उसका वेतन मूल नियम 22 (ख)(1) की व्यवस्थाओं के अधीन विनियमित होगा ।

(छ) परखाधीन अधिकारियों को यह भली भांति समझ लेना चाहिए कि उनकी नियुक्ति भारत सरकार द्वारा भारतीय डाक सेवा श्रेणी 1 के गठन में किए जाने वाले किसी भी ऐसे परिवर्तन से प्रभावित हो सकेगी जो कि समय-समय पर उचित समझे जाने के बाद, भारत सरकार द्वारा किया जाएगा और वे इस प्रकार के परिवर्तनों के फलस्वरूप प्रतिकर का दावा नहीं कर सकेंगे । चुने हुए उम्मीदवारों को, सरकार निर्देशानुसार सैन्य डाक सेवा के अन्तर्गत भारत अथवा विदेश में कार्य करना होगा ।

**12. भारतीय रेलवे लेखा सेवा**

(क) नियुक्ति परख पर की जाएगी, जिसकी अवधि 2 वर्ष की होगी । इस अवधि में दोनों में से किसी भी ओर से तीन महीने का नोटिस देकर सेवा समाप्त की जा सकेगी, परख अवधि बढ़ाई जा सकेगी, यदि परखाधीन अधिकारी निर्धारित विभागीय परीक्षाएं, पास करके अपने आपको पक्का करने के योग्य सिद्ध नहीं कर देगा । सरकार ऐसे परखाधीन अधिकारी की नियुक्ति खत्म कर सकती है जो अपनी नियुक्ति की तारीख से तीन वर्ष के भीतर सभी विभागीय परीक्षाएं पास नहीं कर लेता ।

(ख) भारतीय रेलवे लेखा सेवा के परखाधीन अधिकारियों को भी रेलवे स्टाफ कालेज, बड़ौदा में प्रशिक्षण लेना होगा और कालेज प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित परीक्षा पास करनी होगी । इस कालेज में परीक्षा देना अनिवार्य है और एक बार असफल होने पर दूसरा अवसर तभी मिल सकता है जब कि अपवादिक परिस्थितियां हों और अधिकारी का कार्य ऐसा हो कि उसे यह छूट दी जा सकती हो । हालांकि, दो वर्ष का प्रशिक्षण संतोषजनक रूप से पूरा करने पर, उन्हें किसी कार्यकारी पद (Working Post) पर लगाया जा सकता है । परन्तु उन्हें तब तक पक्का नहीं किया जाता जब तक कि वे रेलवे स्टाफ कालेज, बड़ौदा की परीक्षा और ऊंची तथा नीची विभागीय परीक्षाएं पास नहीं कर लेते ।

(ग) परखाधीन अधिकारियों को देवनागरी लिपि में हिन्दी की अनुमोदित स्तर की एक परीक्षा पहले ही या परखावधि में पास कर लेनी चाहिए । यह परीक्षा या तो गृह मंत्रालय की ओर से शिक्षा निदेशालय, दिल्ली द्वारा संचालित 'प्रवीण' हिन्दी परीक्षा हो या केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त कोई समकक्ष परीक्षा हो । किसी भी परखाधीन अधिकारी को तब तक पक्का नहीं किया जा सकता या उसका वेतन 450 रु० नहीं किया जा सकता जब तक कि वह परीक्षा पास नहीं कर लेता । ऐसा न करने पर सेवा समाप्त की जा सकती है । इसमें कोई छूट नहीं दी जा सकती ।

(घ) इन नियमों के अनुसार भर्ती किए गए भारतीय रेलवे लेखा-सेवा अधिकारी के (परखाधीन) भी (क) पेंशन के लाभों के पात्र होंगे, और (ख) समय-समय पर संशोधित राज्य रेलवे भविष्य निधि (अंशदान रहित) के नियमों के अंतर्गत इस निधि में अभिदान कर सकेंगे।

(ङ) इन नियमों के अधीन भर्ती किए गए अधिकारी समय-समय पर लागू उदार बनाए गए छुट्टी के नियमों के अनुसार छुट्टी के पात्र होंगे। परन्तु, वेतन आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, छुट्टी के नियमों में परिवर्तन किए जा सकते हैं। उन्हें वर्तमान छुट्टी नियमों को अपनाए रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि सरकार ऐसा निर्णय करेगी।

(च) यदि किसी ऐसे कारण से जो कि उसके वश के बाहर न हो; भारतीय रेलवे लेखा सेवा का कोई परखाधीन प्राधिकारी परख या प्रशिक्षण में ही छोड़ना चाहे तो उसे अपने प्रशिक्षण का सारा खर्च और परख-अवधि में उसे दी गई सब रकमें वापस करनी होंगी।

(छ) यदि सरकार की राय में, किसी परखाधीन अधिकारी का कार्य या आचरण संतोषजनक हो या उसे देखते हुए उसके कार्यकुशल होने की सम्भावना न हो, तो सरकार उसे तत्काल सेवा-मुक्त कर सकती है।

(ज) परख अवधि के समाप्त होने पर, सरकार अधिकारी को उसकी नियुक्ति पर पक्का कर सकती है या यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे या तो सेवा-मुक्त कर सकती है या उसकी परख-वधि को, जितना उचित समझे, बढ़ा सकती है।

(1) **वेतन-मान** :—

(क) जूनियर :—रु० 400—400—450—30—600—35—670—द० रो०—35—950 (प्राधिकृत मान)।
सीनियर :—रु० 700 (छटे वर्ग या पहले) 40—1100 50/2—1250 (प्राधिकृत मान)
जूनियर प्रशासनिक ग्रेड :—रु० 1300—60—1600 (प्राधिकृत मान)।
इंटरमीडियेट प्रशासनिक ग्रेड :—रु० 1600—100—1800।
सीनियर प्रशासनिक ग्रेड :—2,000—100—2,500।

(ख) यदि परखाधीन अधिकारी अपनी दो वर्ष की परख अवधि में निर्धारित विभागीय परीक्षाएं पास नहीं कर सकेगा, तो रु० 400 से रु० 450 तक की उसकी वेतन-वृद्धि रोक दी जाएगी और परख-अवधि बढ़ा दी जाएगी। जब वह विभागीय परीक्षाएं पास कर लेगा और उसके बाद जब पक्का कर दिया जाएगा, तो अन्तिम विभागीय परीक्षा समाप्त होने की तारीख के बाद अगले दिन से पक्का वेतन समय-मान में उस अवस्था (Stage) पर नियत कर दिया जाएगा जो उसे अन्यथा मिला होता पर उसे वेतन का बकाया नहीं मिलेगा। ऐसे मामलों में, भावी वेतन वृद्धियों की तारीख पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

परख-अवधि में परखाधीन अधिकारी ज्यों ही निर्धारित परीक्षाएं पास कर लेगा, त्यों ही उसको रु० 400—950 के जूनियर मान में रु० 400 से रु० 450 और रु० 450 से रु० 480 की, अग्रिम वृद्धियां मिल सकेंगी। अग्रिम वृद्धियां मिलने के बाद, सेवा के वर्ष को ध्यान में रखते हुए अधिकारी का वेतन, वेतनमान में उसकी सामान्य स्थिति के अनुसार विनियमित कर दिया जाएगा।

यदि कोई परखाधीन अधिकारी राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, मसूरी की पाठ्यक्रम परीक्षा पास नहीं करता तो जिस तारीख को उसे पहली वेतन वृद्धि प्राप्त हो तो उस तारीख से एक वर्ष के लिए स्थगित कर दी जाएगी अथवा विभागीय नियमों के अन्तर्गत उसे जब दूसरी वेतन-वृद्धि प्राप्त होने वाली हो और इन दोनों में से जो भी अवधि पहले पड़े, तब तक स्थगित रहेगी।

नोट 1—परखाधीन अधिकारियों की सेवा जूनियर मान में कम से कम वेतन से प्रारम्भ होंगे और वेतन-वृद्धि के प्रयोजन से, वह उनकी कार्यग्रहण की तारीख से गिनी जाएगी। परन्तु उन्हें निर्धारित विभागीय परीक्षा या परीक्षाएं पास करनी होंगी और उसके बाद ही उनका वेतन समयमान में रु० 400 प्रति मास से रु० 450 प्रति मास किया जा सकेगा।

नोट 2—तथापि, जो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षाधीन के रूप में नियुक्ति से पहले सावधिक पद के अतिरिक्त अन्य स्थायी पद पर मूल रूप से कार्य करता था, उसका वेतन नियम 2018 ब (1) नियम II (मू०ति० 22-ख), में दिए गए उपबन्धों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

13. **सैनिक भूमि और छावनी (सेवा श्रेणी I और श्रेणी II)**

(क) नियुक्ति के लिए चुना गया उम्मीदवार परख पर रखा जाएगा जिनकी अवधि आमतौर पर 2 वर्ष से अधिक नहीं होगी। इस अवधि में उसे छावनी और भूमि प्रशासन में सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा, जिसकी अवधि छः महीने से कम नहीं होगी।

(ख) परख-अवधि में उम्मीदवार को निर्धारित विभागीय परीक्षाएं पास करनी होंगी।

(ग) (1) यदि सरकार की राय में परखाधीन अधिकारी का कार्य या आचरण संतोषजनक न हो या उसे देखते हुए उसके कार्यकुशल होने की सम्भावना न हो, तो सरकार उसे सेवा-मुक्त कर सकती है, परन्तु सेवा-मुक्ति का आदेश देने से पहले, उसे सेवा-मुक्ति के कारणों से अवगत कराया जाएगा और लिख कर "कारण बताने" का अवसर भी दिया जाएगा।

(2) यदि परख अवधि की समाप्ति पर, अधिकारी के ऊपर उप-पैरा (ख) में उल्लिखित विभागीय परीक्षा पास न की हो तो सरकार अपने निर्णय से या तो उसे सेवा-मुक्त कर सकती है या यदि मामले की परिस्थितियों को देखते हुए, उसकी परख-अवधि बढ़ानी आवश्यक हो तो वह जितना उचित समझे, परख-अवधि को एक वर्ष तक बढ़ा सकती है ।

(3) परख-अवधि के समाप्त होने पर, सरकार अधिकारी को उसकी नियुक्ति पर पक्का कर सकती है या यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे या तो सेवा-मुक्त कर सकती है या उसकी परख-अवधि को, जितना उचित समझे, बढ़ा सकती है । परन्तु सेवा-मुक्ति का आदेश देने से पहले, अधिकारी को सेवा-मुक्ति के कारणों से अवगत कराया जाएगा और लिख कर "कारण बताने" का अवसर भी दिया जाएगा ।

(घ) यदि उप-पैरा (ग) के अन्तर्गत सरकार ने कोई कार्यवाई नहीं की तो निर्धारित परख-अवधि के बाद की अवधि में अधिकारी की नियुक्ति मास-प्रति-मास मानी जाएगी और दोनों में से किसी भी ओर से एक कलेंडर मास का लिखित नोटिस देकर समाप्त की जा सकेगी, परन्तु अधिकारी पक्का करने का दावा नहीं कर सकेगा ।

(ङ) इस सेवा के सदस्य को उसकी परख-अवधि में वार्षिक वेतन-वृद्धि देय हो जाने पर भी, तब तक नहीं मिलेगी जब तक कि वह विभागीय परीक्षा पास न कर लेगा । जो वृद्धि इस प्रकार नहीं मिली होगी, वह विभागीय परीक्षा पास करने की तारीख से मिल जाएगी ।

(च) यदि कोई परखाधीन अधिकारी राष्ट्रीय प्रशासनिक एकादमी, मसूरी की पाठ्यक्रमान्त परीक्षा पास नहीं करता तो जिस तारीख को उसे पहली वेतन-वृद्धि प्राप्त होगी, उस तारीख से एक वर्ष के लिए स्थगित कर दी जाएगी अथवा विभागीय नियमों के अन्तर्गत उसे जब दूसरी वेतन-वृद्धि प्राप्त होने वाली हो, और इन दोनों में से जो भी अवधि पहले पड़े, तब तक स्थगित रहेगी ।

(छ) वेतनमान इस प्रकार है :—

**प्रशासनिक पद**

(i) निदेशक, सैनिक भूमि और छावनियां ।
रु० 1800—100—2000—125—2250 ।

(ii) संयुक्त निदेशक, सैनिक भूमि और छावनियां
रु० 1600—100—1800 ।

(iii) उपनिदेशक, सैनिक भूमि और छावनियां ।
रु० 1300—60—1600 ।

(iv) सहायक निदेशक सैनिक भूमि और छावनियां ।
रु० 1100—50—1400 ।

श्रेणी—I

| | |
|---|---|
| (v) उप-सहायक निदेशक सैनिक भूमि और छावनियां, सैनिक संपदा अधिकारी और कार्यपालक अधिकारी | 400—400—450—30—510—कु० रो० 700—40—1100—50/2—1250 । |

श्रेणी—II,

| | |
|---|---|
| (vi) कार्यपालक अधिकारी । | 350—25—500—30—590—कु०रो० 30—800—कु०रो० 830—35—900 । |
| (vii) सहायक सैनिक संपदा अधिकारी । | 350—25—500—30—590—कु०रो० 30—800—कु०रो० 830—35—900 । |

(ज) (i) श्रेणी I के अधिकारियों को, सामान्यतया उप-सहायक निदेशक, सैनिक सम्पदा अधिकारी श्रेणी I और श्रेणी II की उन छावनियों में कार्यपालक अधिकारी के पदों पर नियुक्त किया जाएगा जिन पर छावनी अधिनियम 1924 की धारा—13 की उप-धारा (4) के खण्ड (ङ) का उप-खण्ड (1) लागू होता है ;

(ii) श्रेणी II के कार्यपालक अधिकारियों को सामान्यतया, उन छावनियों में नियुक्त किया जाएगा जो ऊपर (i) में उल्लिखित नहीं है ।

(झ) (i) सभी पदोन्नतियां, इस प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा नियुक्त की गई विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों के अनुसार, सरकार द्वारा चुन कर (By selection) की जाएंगी [वरीयता (सीनियरिटी) पर तभी विचार किया जाएगा जब कि दो या अधिक उम्मीदवारों के दावे गुणों की दृष्टि से बराबर होंगे,] I श्रेणी—II से श्रेणी—I में पदोन्नति होने पर, वेतन, मूल नियमावली (Fundamental Rules) के अनुसार विनियमित किया जाएगा ।

(ii) साधारणतया, किसी भी अधिकारी को श्रेणी I से तब तक पदोन्नत नहीं किया जाएगा जब तक कि श्रेणी-II में उसकी तीन वर्ष की सेवा पूरी न हो गई हो ।

(ञ) समय-समय परिसंशोधित, पुनरीक्षित छुट्टी नियमावली, 1933 लागू होगी ।

(ट) इस सेवा का कोई भी सदस्य, सरकार से पहले मंजूरी लिए बिना कोई भी ऐसा काम अपने जिम्मे नहीं लेगा जो कि उसके सरकारी काम से सम्बन्धित न हो ।

(ठ) सैनिक भूमि और छावनी सेवा के अधिकारियों से भारत में कहीं भी सेवा ली जा सकती है और उन्हें क्षेत्र-सेवा (Field Service) पर भी भारत में किसी भी भाग में भेजा जा सकता है ।

**14. भारतीय रेलवे यातायात सेवा**

(क) नियुक्ति के लिए चुने गये उम्मीदवारों को भारतीय रेलवे यातायात सेवा में परखाधीन अधिकारियों के रूप में नियुक्त किया जाएगा । उनकी परख-अवधि तीन वर्ष की होगी । इस अवधि में, उन्हें पैरा (ङ) में उल्लिखित प्रशिक्षण लेना होगा और कम-से-कम एक वर्ष तक किसी कार्यकारी पद पर काम करना होगा । यदि किसी मामले में, संतोषजनक रूप से प्रशिक्षण पूरा न करने के कारण, प्रशिक्षण की अवधि बढ़ाई जाएगी तो उसके अनुसार, परख की कुल अवधि भी बढ़ जाएगी ।

(ख) यदि किसी ऐसे कारण से, जो कि उसके वश के बाहर न हो, भारतीय रेलवे यातायात सेवा का परखाधीन अधिकारी परख या प्रशिक्षण बीच में ही छोड़ना चाहे तो उसे अपने प्रशिक्षण का सारा खर्च और परख-अवधि में उसे दी गई सब रकमें वापस करनी होंगी ।

(ग) इस सेवा में नियुक्तियां परख पर की जाएंगी, जिसकी अवधि तीन वर्ष की होगी । इस अवधि में दोनों में से किसी भी ओर से तीन महीने का नोटिस देकर सेवा समाप्त की जा सकेगी । परखाधीन अधिकारियों को पहले दो वर्ष तक व्यावहारिक प्रशिक्षण लेना होगा । जो अधिकारी इस प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक समाप्त कर लेंगे और अन्यथा भी उपयुक्त समझे जाएंगे उन्हें कार्यकारी पद का कार्यभार सौंप दिया जाएगा, यदि उन्होंने निर्धारित विभागीय और अन्य परीक्षाएं पास कर ली हों । ध्यान रहे कि ये परीक्षाएं नियमितः प्रथम प्रयास में ही पास कर ली जाएं । क्योंकि विशेष (एक्सेप्शनल) परिस्थितियों को छोड़, बाकी किसी भी हालत में, दूसरा अवसर नहीं दिया जाएगा । किसी परीक्षा में असफल होने के परिणामस्वरूप, परखाधीन अधिकारी की सेवा समाप्त की जा सकती है और उनकी वेतन-वृद्धि तो हर हालत में रुक ही जाएगी । किसी कार्यकारी पद पर एक वर्ष तक कार्य करने के बाद परखाधीन अधिकारियों को एक अन्तिम परीक्षा पास करनी होगी । यह परीक्षा व्यावहारिक सैद्धांतिक दोनों प्रकार की होगी । जब परखाधीन अधिकारी सब तरह से नियुक्ति के लिए उपयुक्त समझ लिये जायेंगे तो उन्हें पक्का कर दिया जायेगा । जिन मामलों में किसी कारण से परख-अवधि बढ़ाई गई हो, उनमें विभागीय परीक्षाएं पास करने और पक्का होने पर, समय समय पर लागू होने वाले नियमों और आदेशों के अनुसार, पहली और बाद की वेतन-वृद्धियां ली जा सकेंगी ।

(घ) परखाधीन अधिकारियों को, देवनागरी लिपि में अनुमोदित स्तर की हिन्दी की एक परीक्षा पहले ही परख-अवधि में पास कर लेनी चाहिए । यह परीक्षा या तो गृह मंत्रालय की ओर से शिक्षा निदेशालय, दिल्ली, द्वारा संचालित "प्रवीण" हिन्दी परीक्षा हो या केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई समकक्ष परीक्षा हो ।

किसी भी परखाधीन अधिकारी को तब तक पक्का नहीं किया जा सकता या उसका वेतन 450 रु० नहीं किया जा सकता जब तक कि वह यह परीक्षा पास नहीं कर लेता । ऐसा न करने पर सेवा समाप्त की जा सकती है । इसमें कोई छूट नहीं दी जा सकता ।

(ङ) इन नियमों के अनुसार भर्ती किए गए भारतीय रेलवे यातायात सेवा के अधिकारी (परखाधीन) भी :—

(i) पैंशन के लाभ के पात्र होंगे, और

(ii) समय-समय पर संशोधित, राज्य रेलवे भविष्य निधि (अंशदान रहित) के नियमों के अन्तर्गत इस निधि में अंशदान कर सकेंगे ।

(च) कार्यग्रहण की तारीख से ही वेतन प्रारम्भ होगा । वेतन-वृद्धि के प्रयोजन से भी सेवा उसी तारीख से गिनी जाएगी ।

(छ) इन नियमों के अधीन भर्ती किए गए अधिकारी समय-समय पर लागू उदार छुट्टी नियमों के अनुसार छुट्टी के पात्र होंगे ।

वेतन आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए छुट्टी के नियमों में परिवर्तन किए जा सकते हैं । उन्हें वर्तमान छुट्टी नियमों को अपनाए रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी, यदि सरकार ऐसा निश्चय करेगी ।

(ज) अधिकारियों को, आम तौर पर, उनकी सेवा की अवधि पर उसी रेलवे में रखा जाएगा जिसमें वे सर्वप्रथम नियुक्त कर दिए जाएंगे । और किसी अन्य रेलवे में स्थानान्तरित होने के लिए साधिकार दावा नहीं कर सकेंगे । परन्तु भारत सरकार को यह अधिकारी है कि वह उन अधिकारियों को, सेवा की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, भारत में या भारत से बाहर किसी परियोजना (Project) या रेलवे में स्थानान्तरित कर सके ।

(झ) नियुक्त किए गए अधिकारियों की अपेक्षित वरीयता (रिलेटिव सीनियरिटी) आम तौर पर उन्हें प्रतियोगिता परीक्षा में प्राप्त हुए योग्यता क्रम (Order of merit) के अनुसार निश्चित की जाएगी यदि प्रशिक्षण संतोषजनक रूप से पूरा न करने के कारण, किसी अधिकारी को प्रशिक्षण अवधि और उसके परिणामस्वरूप परख-अवधि बढ़ानी पड़े, तो इससे उसकी वरीयता (सीनियरिटी) भी घट सकेगी । वैसे भारत सरकार को व्यक्तिगत मामलों में अपने निर्णय के अनुसार वरीयता निश्चित करने का अधिकार है । उसको यह भी अधिकार है कि यह प्रतियोगिता परीक्षा से अन्यथा नियुक्त अधिकारियों को, अपने निर्णय के अनुसार वरीयता सूची में कोई भी स्थान दे सकती है ।

(ङ) **वेतन मान** :—

जूनियर—रु० 400—400—450—30—600—35—670—कु० रो०—35—950 (प्राधिकृत मान)।

सीनियर—रु० 700 (छठे वर्ष या पहले)—40—1100—50/2—1250 (प्राधिकृत मान)।

जूनियर प्रशासनिक ग्रेड—रु० 1300—60—1600 (प्राधिकृत मान)।

सीनियर प्रशासनिक ग्रेड—रु० 2,000—100—2,500 (प्राधिकृत मान)।

**नोट** 1—परखाधीन अधिकारियों की सेवा जूनियर मान में कम-से-कम वेतन से प्रारम्भ होगी और वेतन-वृद्धि के प्रयोजन से, वह उनकी कार्य-ग्रहण की तारीख से गिनी जायगी। परन्तु उन्हें निर्धारित विभागीय परीक्षा या परीक्षाएं पास करनी होंगी। और उसके बाद ही उनका वेतन समय-मान में रु० 400 प्रतिमास से रु० 450 प्रतिमास किया जा सकेगा।

यदि परखाधीन अधिकरी अपने परख और प्रशिक्षण की अवधि के पहले दो वर्षों में, विभागीय परीक्षाएं, पास नहीं कर सकेगा तो रु० 400 से 450 तक की उसकी वेतन-वृद्धि रोक दी जाएगी और परख-अवधि बढ़ा दी जाएगी। जब यह विभागीय परीक्षाएं पास कर लेगा और उसके बाद जब पक्का हो जाएगा तो अन्तिम विभागीय परीक्षा समाप्त होने की तारीख के बाद, अगले दिन से उसका वेतन समय-मान में उस अवस्था पर नियत कर दिया जाएगा जो उसे अन्यथा मिला होता पर उसे वेतन का बकाया नहीं मिलेगा। ऐसे मामलों में, भावी वेतन-वृद्धियों की तारीख पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

परख-अवधि में, परखाधीन अधिकारी ज्यों ही निर्धारित परीक्षाएं पास कर लेगा, त्यों ही उसको रु० 400 से 950 के जनियर मान में रु० 400 से रु०० 450 और रु० 450 से रु० 480 की अग्रिम वृद्धि मिल सकेगी। अग्रिम वृद्धियां मिलने के बाद, सेवा के वर्ष को ध्यान म रखते हुये अधिकारी को वेतनमान में उसकी सामान्य स्थिति के अनुसार, विनियमित कर दिया जायेगा।

यदि कोई परखाधीन अधिकारी राष्ट्रीय प्रशासनिक एकादमी, मसूरी की पाठ्यक्रमान्त परीक्षा पास नहीं करता तो जिस तारीख को उसे पहले वेतन-वृद्धि प्राप्त होती उस तारीख से एक वर्ष के लिए स्थगित कर दी जाएगी अथवा विभागीय नियमों के अन्तर्गत उससे जब दूसरी वेतन-वृद्धि प्राप्त होने वाली हो और इन दोनों में से जो भी अवधि पहले पड़े तब तक स्थगित रहेगी।

**नोट** 2—जो सरकारी कर्मचारी परिवीक्षा के आधार पर अपनी नियुक्ति से पहले किसी सांवधिक पद के अतिरिक्त स्थाई आधार पर किसी स्थाई पर काम कर चुका है उसका वेतन नियम 2018 क (1)आर० 2 [एफ० 22—ख (1)] में की गई व्यवस्थाओं के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।

(च) वेतन-वृद्धियां केवल अनुमोदित सेवा के लिये ही और विभाग के नियमों के अनुसार ही दी जायेंगी।

(छ) प्रशासनिक ग्रेडों में पदोन्नति, स्वीकृति (Establishment) स्थापना में खाली जगहें होने पर ही की जायेंगी और पूर्ण रूप से चुना (Selection) के आधार पर ही की जायेंगी। एकमात्र वरीयता के आधार पर ही ऐसा पदोन्नति के लिये दावा नहीं किया जा सकता।

(ज) भारतीय रेलवे यातायात सेवा के परखाधीन अधिकारियों के प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम।

**नोट** 1—जिन उम्मीदवारों ने भारत में या और कहीं प्रशिक्षण या अनुभव पहले कभी प्राप्त कर रखा हो, उनके मामले में भारत सरकार को अपने निर्णय के अनुसार प्रशिक्षण-अवधि घटाने का अधिकार है।

**नोट** 2—परखाधीन अधिकारियों को भी रेलवे स्टाफ कालेज, बड़ौदा में दो दौर में प्रशिक्षण लेना होगा। इस कालेज में परीक्षा देना अनिवार्य है और एक बार असफल होने पर दूसरा अवसर तभी मिल सकता है जबकि आपवादिक परिस्थितियां हों और अधिकारी का कार्य अभिलेख ऐसा हो कि उसे यह छूट दी जा सकती है। परीक्षा में असफल होने पर परखाधीन अधिकारियों की सेवा समाप्त की जा सकेगी, उनके प्रशिक्षण और परख की अवधि आवश्यकतानुसार बढ़ा दी जाएगी और उन्हें किसी भी हालत में तब तक पक्का नहीं किया जाएगा जब तक कि वे परीक्षाएं पास नहीं कर लेंगे।

**नोट** 3—नीचे जो प्रशिक्षण का कार्यक्रम दिया गया है वह मुख्य रूप से मार्ग-दर्शन के प्रयोजन से बनाया गया है। इसमें महाप्रबंधकों द्वारा अपने निर्णय के अनुसार स्थितिगविशेष को ध्यान में रखते हुये परिवर्तन किए जा सकते हैं परन्तु सामान्यतया प्रशिक्षण की कुल अवधि घटाई नहीं जानी चाहिए।

**नोट** 4—**प्रशिक्षण के दौरान** परिवीक्षाधीन अधिकारी को गार्ड, यार्ड मास्टर, सहायक स्टेशन मास्टर, स्टेशन मास्टर, यार्ड फोरमैन, ट्रेन परीक्षक, सहायक लोको फोरमैन, सहायक नियंत्रक आदि की हैसियत से कार्य करना होगा जिसका विवरण नीचे दिया गया है। प्रशिक्षण की समाप्ति के बाद जब परवीक्षाधीन अधिकारी को किसी कार्यकारी पद पर तैनात किया जाता है तो उसे अपने कार्य करने के लिए यात्रा करनी होगी पड़ती है तथा यात्रा के दौरान रास्ते के स्टेशनों पर "पड़ाव" की कोई सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती है। उसे दुर्घटना स्थलों की जांच के लिए किसी भी समय जाना पड़ता है तथा नियंत्रण कार्यालयों (Control Offices) और स्टेशनों का निरीक्षण करना पड़ता है। इस सब के लिए बहुत परिश्रम अपेक्षित होताहै तथा रात को भी काम करना पड़ता है।

**(1) पाठ्यक्रम की अवधि दो वर्ष**

| मद | अवधि (सप्ताह) |
|---|---|
| 1 | 2 |
| 1. राष्ट्रीय-प्रशिक्षण अकादमी, मसूरी | 17 |
| 2. बड़ौदा स्टाफ कालिज (प्रथम व्यवस्था) | 13 |
| 3. क्षेत्रीय स्कल, रक्षक के कर्तव्य | 4.5 |

| 1 | 2 |
|---|---|
| 4. रक्षक के रुप में कार्य करते हुये | 3 |
| 5. बुकिंग/पार्सल आफिस, गुड्स शेड तथा यानांतरण शेड | 4.5 |
| 6. यातायात लेख तथा लेखाओं का यांत्रिक निरीक्षक | 4 |
| 7. क्षेत्रीय स्कूल में सहायक स्टेशन मास्टर की अर्हता प्राप्त करने के लिए | 4.5 |
| 8. यार्ड मास्टर, सहायक स्टेशन मास्टर, स्टेशन मास्टर, यार्ड फोरमैन तथा ट्रेन परीक्षक के रूप में कार्य | 13 |
| 9. सहायक लोको फोरमैन के रूप में कार्य | 2 |
| 10. सहायक नियंत्रक | 9 |
| 11. (क) क्षेत्रीय कार्यालय में प्रशिक्षण | 4.5 |
| (ख) विद्युत् नियंत्रक का प्रशिक्षण | 2 |
| 12. बड़ौदा स्टाफ कालिज (द्वितीय प्रावस्था) | 6.5 |
| 13. रेलवे जिस में आवंटित किया गया मुख्यालय (प्रचालन) | 5 |
| 14. रेलवे जिसमें आवंटित किया गया— मुख्यालय (वाणिज्य) | 5 |
| 15. संगणक कार्यक्रम सम्बन्धी और पद्धति डिजाइन का प्रशिक्षण | 4.5 |
| प्रशिक्षण को विभिन्न मदों के लिए यात्रा के समय के लिए तथा अनिवार्य छुट्टी के लिए सुरक्षित रखी गई अवधि | 2 |
| जोड़ | 104 सप्ताह या 24 महीने |

**टिप्पणी** :—3 से 11 तक की मदें जिनका समय 1 वर्ष होगा आसनसोल डिवीजन में होंगी ।

(2) यदि परखाधीन अधिकरी अपने दो वर्ष के प्रशिक्षण के अन्त में परीक्षा पास कर लेगा तो उसे अगले एक वर्ष के लिए किसी कार्यकारी पद का भार परख पर सौंप दिया जाएगा । परीक्षा, आवश्यकता अनुसार, पाठ्यक्रम पूरा होने पर तथा प्रशिक्षण-अवधि में निश्चित समय पर ली जाएगी ।

**नोट**—किसी परखाधीन अधिकारी को, स्वतंत्र रूप से गार्ड, सहायक स्टेशन मास्टर, स्टेशन मास्टर, यार्ड फोरमैन, सहायक लोकोमोटिव फोरमैन या सहायक नियंत्रक का काम सौंपने से पहले यह आवश्यक है कि प्रशासन के किसी जिम्मेदार अधिकारी द्वारा उक्त प्रत्येक पद के कार्य के सम्बन्ध में उसकी परीक्षा ली जाए और योग्य घोषित किया जाए ।

121GI/71

**15. केन्द्रीय सचिवालय सेवा अनुभाग अधिकारी ग्रेड, श्रेणी-II**

(क) केन्द्रीय सचिवालय सेवा में इस समय निम्नलिखित ग्रेड हैं :—

| ग्रेड | वेतनमान |
|---|---|
| सलैक्शन ग्रेड उप-सचिव या समकक्ष | रु० 1100-50-1300-60-1600-100-1800 |
| ग्रेड-I अवर सचिव | रु० 900-50-1200 |
| अनुभाग अधिकारी ग्रेड-I | रु० 350-25-500-30-590-कु० रो० -30-800-कु० रो-30-830-35-900 । |
| सहायक ग्रेड | रु० 210-10-270-15-300-कु० रो०-15-450-कु० रो०-20-530 । |

सलैक्शन ग्रेड और ग्रेड का नियंत्रण अखिल सचिवालय आधार पर मंत्रिमंडल सचिवालय कार्मिक विभाग करता है और अनुभाग अधिकारी/सहायक ग्रेड मंत्रालय द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं ।

केवल अनुभाग अधिकारी ग्रेड और सहायक ग्रेड में ही सीधी भर्ती की जाती है ।

(ख) अनुभाग अधिकारी ग्रेड में सीधे भर्ती किए गए अधिकारियों को दो वर्ष तक परख पर रखा जाएगा । इस परख अवधि में उनको सरकार के द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा और विभागीय परीक्षाएं पास करनी होंगी, यदि परखाधीन अधिकारी प्रशिक्षण-अवधि में पर्याप्त प्रगति न दिखा सके या परीक्षाएं पास न कर सके तो उन्हें सेवा-मुक्त कर दिया जाएगा ।

(ग) परख-अवधि समाप्त होने पर, सरकार अधिकारी को उसकी नियुक्ति पर पक्का कर सकती है या यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक रहा हो तो सरकार उसे या तो सेवा-मुक्त कर सकती है या उसकी परख-अवधि को, जितना उचित समझे बढ़ा सकती है ।

(घ) यदि सरकार ने सेवा में नियुक्ति करने की अपनी शक्ति किसी अधिकारी को सौंप रखी हो तो वह अधिकारी उपर्युक्त खण्डों में वर्णित सरकार की किसी भी शक्ति का प्रयोग कर सकता है ।

(ङ) अनुभाग अधिकारी को सामान्यतया "अनुभागों" का अध्यक्ष बनाया जाएगा और ग्रेड-I के अधिकारियों को, सामान्यतया शाखाओं का कार्यभार सौंपा जाएगा जिनमें एक या अधिक अनुभाग होंगे ।

(च) अनुभाग अधिकारी, इस सम्बन्ध में समय-समय पर लागू होने वाले नियमों के अनुसार ग्रेड-I में पदोन्नति पा सकेंगे ।

(छ) केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-I के अधिकारी, केन्द्रीय सचिवालय में सलैक्शन ग्रेड की सेवा में और अन्य ऊंचे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति पाने के पात्र होंगे ।

(ज) जहां तक केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारियों की छुट्टी, पेंशन और सेवा की अन्य शर्तों का सम्बन्ध है, वे अन्य श्रेणी-I और II के अधिकारियों के समान ही समझे जाएंगे ।

**16. सीमा शुल्क मूल्यांकन सेवा, क्लास II**

(क) मूल्यांकन ग्रेड में रु० 350-25-500-30-590-द० रो०-30-800-द० रो०-830-35-900 के वेतनमान में भरती की जाती है । नियुक्तियां दो वर्ष के लिए परिवीक्षा के आधार पर की जाती हैं तथा परिवीक्षा की अवधि सक्षम प्राधिकारी, यदि चाहे तो, बढ़ा भी सकता है । परिवीक्षा काल में उम्मीदवारों को केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा सीमा-शुल्क बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा तथा विभागीय परीक्षाएं पास करनी होंगी । उन्हें रु० 375 से ऊपर का वेतन तब तक नहीं लेने दिया जाएगा जब तक वे निर्धारित विभागीय परीक्षा पूर्ण रूप से पास नहीं कर लेते ।

(ख) यदि परिवीक्षा की मूल अथवा परिवर्द्धित अवधि की समाप्ति पर नियोक्ता प्राधिकारी यह समझता है कि चयन किया गया उम्मीदवार स्थायी नियुक्ति के योग्य नहीं है अथवा परिवीक्षा की उक्त मूल अथवा परिवर्द्धित अवधि के दौरान प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि उम्मीदवार परिवीक्षा की अवधि की समाप्ति पर स्थायी नियुक्ति के योग्य नहीं होगा तो वह उसे सेवा से अलग कर सकता है अथवा जो उचित समझे, वह आदेश दे सकता है ।

(ग) परिवीक्षा की अवधि को सफलतापूर्वक पूर्ण कर लेने पर तथा विभागीय परीक्षाएं पास कर लेने के बाद अधिकारियों को संबद्ध ग्रेड में स्थायी करने पर विचार किया जायेगा ।

(घ) मूल्यांकन लागू नियमों के अनुसार भारतीय सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क-सेवा, श्रेणी-1 (400/1250 रु०) के अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति के पात्र होंगे ।

(ङ) अवकाश, पेंशन आदि के मामले में इन अधिकारियों पर केन्द्रीय सरकार के अन्य क्लास-II अधिकारियों पर लागू होने वाले नियम ही लागू होंगे । जहां तक उनकी सेवा की अन्य शर्तों का प्रश्न है, उन पर सीमा-शुल्क मूल्यांकक सेवा, क्लास-II, की भरती नियमावली की व्यवस्थाएं लागू होंगी । इन नियमों में यह विशेष रूप से निर्दिष्ट है कि इस सेवा के अधिकारियों को केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा सीमा-शुल्क बोर्ड" के अधीन किसी भी सामान या उच्च पद पर भारत में कहीं भी तैनात किया जा सकता है ।

**17. दिल्ली और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सिविल सेवा श्रेणी-II**

(क) नियुक्ति परख पर की जायेगी जिसकी अवधि दो वर्ष की होगी और उस सक्षम प्राधिकारी के निर्णय के अनुसार बढ़ाई भी जा सकेगी । परख पर नियुक्त उम्मीदवार को केन्द्रीय सरकार द्वार निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा और विभागीय परीक्षाएं देनी होंगी ।

(ख) यदि सरकार की राय में, किसी परखाधीन अधिकारी का-कार्य या आचरण संतोषजनक न हो या उसे देखते हुए उसके कार्य-कुशल होने की संभावना न हो तो सरकार उसे तत्काल सेवा-मुक्त कर सकती है ।

(ग) जब यह घोषित कर दिया जायेगा कि अमुक अधिकारी ने संतोषजनक रूप से अपनी परख-अवधि समाप्त कर ली है तो उसे सेवा में पक्का कर दिया जायेगा यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे या तो सेवामुक्त कर सकती है या उसकी परख-अवधि को, जितना उचित समझे, बढ़ा सकती है ।

(घ) उस सेवा के अधिकारी को, दिल्ली प्रशासन या अण्डमान निकोबार द्वीपसमूह में इन क्षेत्रों में प्रशासन/ सरकार के अन्तर्गत सेवा करनी होगी ।

(ङ) **वेतनमान** :—

| | | |
|---|---|---|
| ग्रेड I (सिलेक्शन ग्रेड) | रु० | 900—50—1250 । |
| ग्रेड II समय-मान | रु० | 400-25-500-30-590-द० अ०-30-800-द० अ०-30-830-35-900 । |

किसी प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामों के आधार पर भर्ती किये जाने वाले व्यक्ति को सेवा में नियुक्ति पर समय वेतनमान का न्यूनतम वेतन प्राप्त होगा, बशर्ते यदि वह सेवा में नियुक्ति से पहले मूल रूप से सार्वधिक पद के अतिरिक्त स्थायी पद पर कार्य करता था, सेवा में परिवीक्षा की अवधि में उसका वेतन मूल नियम 22-ख (1) के परन्तुक के अधीन विनियमित किया जायेगा । सेवा में नियुक्त किए गए अन्य व्यक्तियों के लिए वेतन और वेतन-वृद्धियां मूल नियमों के अनुसार विनियमित होंगी ।

(च) सेवा के अधिकारियों को परिशोधित केन्द्रीय वेतनमान प्राप्त करने वाले कर्मचारियों पर लागू केन्द्रीय सरकार की दरों पर मंहगाई भत्ता प्राप्त करने का हक होगा ।

(छ) महंगाई भत्ता के अतिरिक्त , इस सेवा के अधिकारियों को प्रतिकर (नगर) भत्ता, मकान किराया भत्ता, और पहाड़ी स्थानों तथा सुदूर स्थानों में रहन-सहन के बढ़े हुए खर्च को पूरा करने के लिए अन्य भत्ते दिये जायेंगे, यदि उन्हें ड्यूटी पर या प्रशिक्षण के लिए ऐसे स्थानों पर भेजा जायेगा और जिन स्थानों के लिए भत्ते अनुमत्य होंगे ।

(ज) इस सेवा के अधिकारियों पर दिल्ली, और अण्डमान निकोबार द्वीप समूह पुलिस सेवा नियमावली, 1971, और इस नियमावली को लागू करने के प्रयोजन से केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जाने वाली हिदायतें अथवा बनाये जाने वाले अन्य विनियम लागू होंगे । जो मामले विशिष्ट रूप से उक्त नियमों का विनियमों अथवा उनके अन्तर्गत दिये गए आदेशों या विशेष आदेशों के अन्तर्गत नहीं आते, उनमें ये अधिकारी उन नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा शासित होंगे जो संघ के कार्यों से संबंधित सेवा करने वाले तदनुरूप (Corresponding) अधिकारियों पर लागू होते हैं ।

**18. रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा श्रेणी-II**

(क) रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा में निम्नलिखित पद और वेतनमान हैं :—

| सेवा | वेतनमान |
|---|---|
| (i) प्रवरण ग्रेड संयुक्त निदेशक/उप-सचिव | 1100 रु०—50—1300—60—1600—100—1800 |

| सेवा | वेतनमान |
|---|---|
| (ii) उप निदेशक का ग्रेड | रु० 900–50–1250 –200–वि० वे० प्रति मास |
| (iii) सहायक निदेशक अवर सचिव | रु० 900–50–1250 |
| (iv) अनुभाग अधिकारी | रु० 350-25-500-30–590-कु० रो०-30–800-कु० रो०-30–830–35-900 । |
| (v) सहायक | रु० 210–10–270-15–300-कु० रो०-15–450-कु० रो०-20–530 । |

अनुभाग अधिकारियों और सहायकों के पदों पर सीधी भर्ती की जाती है ।

(ख) अनुभाग अधिकारियों के रूप में सीधे भर्ती किये गये अधिकारियों को दो वर्ष तक परख पर रखा जायेगा । इस परख अवधि में उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा और विभागीय परीक्षाएं पास करनी होंगी । यदि परखाधीन अधिकारी प्रशिक्षण-अवधि में पर्याप्त प्रगति न दिखा सके या परीक्षाएं पास न कर सके तो उन्हें सेवा-मुक्त कर दिया जायेगा ।

(ग) परख-अवधि के समाप्त होने पर, सरकार अधिकारी को उसकी नियुक्ति पर पक्का कर सकती है या यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार उसे या तो सेवा-मुक्त कर सकती है या उसकी परख-अवधि को, जितना उचित समझे, बढ़ा सकती है ।

(घ) यदि सरकार ने नियुक्ति करने की अपनी शक्ति किसी अधिकारी को सौंप रखी हो तो वह अधिकारी ऊपर के खण्डों में वर्णित सरकार की किसी भी शक्ति का प्रयोग कर सकता है ।

(ङ) जिन अनुभाग अधिकारियों ने सचिवालय के अनुभागों में काम करके पर्याप्त अनुभव प्राप्त कर रखा हो उनको सामान्यतया अनुभागों का अध्यक्ष बनाया जायेगा और सहायक निदेशक/अवर सचिव की सामान्यता शाखाओं का कार्यभार सौंपा जायेगा जिनमें एक या अधिक अनुभाग होंगे ।

(च) अनुभाग अधिकारी, इस संबंध में समय-समय पर लागू होने वाले नियमों के अनुसार, सहायक निदेशक, अवर सचिव के रूप में पदोन्नति पा सकेंगे ।

(छ) सहायक निदेशक/अवर सचिव, रेलवे बोर्ड सचिवालय में ऊंचे पदों पर नियुक्ति पाने के लिये पात्र होंगे ।

(ज) रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा, रेलवे मंत्रालय तक ही सीमित है और इसके अधिकारी अन्य मंत्रालयों को स्थानान्तरित नहीं किये जा सकते जैसा कि केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी किये जा सकते हैं ।

(झ) रेलवे मंत्रालय में नियुक्त कर्मचारियों को, रेलवे अधिकारियों के समान ही, पास और सुविधा टिकट आदेश (Privilege ticket orders) लेने की सुविधाओं उपलब्ध हैं ।

(ञ) इन नियमों के अन्तर्गत भर्ती किये गये रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा के अधिकारी (परखाधीन अधिकरी भी) ।

(क) रेलवे पेंशन से अधिशासित होंगे, और

(ख) समय-समय पर संशोधित राज्य रेलवे भविष्य निधि (अंशदान-रहित) के नियमों के अन्तर्गत, इस निधि में अभिदान कर सकेंगे ।

(ट) जहां तक छुट्टी और सेवा की अन्य शर्तों का सम्बन्ध है, रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा के अधिकारियों को रेलवे के श्रेणी I और II के अन्य अधिकारियों के समान समझा जायेगा, परन्तु चिकित्सा असुविधाओं के मामले में, वे उन नियमों से शासित होंगे जो केन्द्रीय सरकार के अन्य कर्मचारियों पर लाग होते हैं जिनका मुख्यालय नई दिल्ली में है ।

19. भारतीय विदेश सेवा, शाखा 'ख' अनुभाग अधिकारियों का ग्रेड, श्रेणी II :—

(क) भारतीय विदेश सेवा, शाखा 'ख' (श्रेणी II) के समेकित ग्रेड II और III की अनुरक्षण रिक्तियों का 33⅓ प्र० श० संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सीधी भर्ती भरी जाती है । इस ग्रेड का वेतनमान रु० 350-25-500-30-590-द० रो०-30-800-द० रो०-30-830-35-900 है ।

(ख) अनुभाग अधिकारी ग्रेड में सीधे भर्ती किए गए अधिकारियों को दो वर्ष तक परिवीक्षाधीन रखा जाएगा, जिस अवधि में उनको सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण लेना होगा और विभागीय परीक्षाएं पास करनी होंगी । यदि परीवीक्षाधीन अधिकारी प्रशिक्षण की अवधि में पर्याप्त प्रगति न दिखा सके या परीक्षाएं पास न कर सके तो उन्हें सेवा मुक्त कर दिया जाएगा ।

(ग) परिवीक्षा की अवधि में समाप्त होने पर सरकार अधिकारी को उसकी नियुक्ति पर स्थायी पद उपलब्ध होने पर स्थायी कर सकती है या यदि सरकार की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक न रहा हो तो सरकार या तो उसे सेवा मुक्त कर सकती है या उसकी परिवीक्षा की अवधि को उतना और बढ़ा सकती है जितना वह उचित समझे परिवीक्षा की कुल अवधि 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

(घ) यदि सरकार ने सेवा में नियुक्त करने की अपनी शक्ति किसी अधिकारी को सौंप रखी हो तो वह अधिकारी उपर्युक्त खण्डों में निर्धारित सरकार की किसी भी शक्ति का प्रयोग कर सकता है ।

(ङ) इस सेवा में नियुक्त किए गए अधिकारी सामान्यतया अनुभागों के अध्यक्ष होंगे । विदेश मंत्रालय/विदेश व्यापार के मुख्यालय में कार्य करते समय उनके पद नाम अनुभाग अधिकारी और

कभी-कभी प्रशासन अधिकारी होंगे। विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों में कार्य करते समय उनके पदनाम रजिस्ट्रार होंगे यद्यपि स्थानीय प्रयोजन के लिए राजनयिक हैसियत से उन्हें अटेची कहा जा सकता है ।

(च) अनुभाग अधिकारी भारतीय विदेश सेवा (ख) के सामान्य संवर्ग के ग्रेड I में रु० 900-50-1250 के वेतनमान में इस संबंध में समय-समय पर लागू होने वाले नियमों के अनुसार पदोन्नति के पात्र होंगे ।

(छ) भारतीय विदेश सेवा (ख) के सामान्य संवर्ग के ग्रेड I के अधिकारी बारी आने पर भारतीय विदेश सेवा (क) के वरिष्ठ वेतनमान वाले पदों पर नियुक्ति के लिए रु० 900 (छठा वर्ष या कम) 50-1000-60-1600-50-1800 के वेतन-मान में इस सम्बन्ध में समय-समय पर लागू होने वाले नियमों के अनुसार पात्र होंगे ।

(ज) भारतीय विदेश सेवा, शाखा (ख) केवल विदेश मंत्रालय और विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों के लिए सीमित है और इस सेवा में नियुक्त किए गए अधिकारी सामान्यतया विदेश व्यापार मंत्रालय को छोड़ कर अन्य मंत्रालयों को स्थानान्तरित नहीं किये जा सकते हैं । तथापि, वे भारत के भीतर या बाहर सेवा के लिए कहीं भी भेजे जा सकते हैं ।

(झ) भारतीय विदेश सेवा (ख) के अधिकारियों को विदेश सेवा के समय उनके मूल वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर संस्वीकृत दरों पर विदेश भत्ता दिया जाता है जो सम्बन्धित देश में रहन-सहन के खर्च आदि पर आधारित होता है । इसके अतिरिक्त भारतीय विदेश सेवा (ख) के अधिकारियों पर लागू किए गए रूप में भारतीय विदेश सेवा (पी० एल० सी० ए०) नियम, 1961, के अनुसार विदेशों में सेवा के समय निम्नलिखित रियायतें भी मिलेंगी:—

(i) सरकार द्वारा निर्धारित तापमान के अनुसार मुफ्त सुसज्जित आवास ।

(ii) सहायता चिकित्सा परिचर्या योजना के अधीन चिकित्सा परिचर्या की सुविधाएं ।

(iii) भारत में किसी निकट संबंधी की मृत्यु या बीमारी जैसी विशेष आपातिक स्थितियों में, जिसकी व्याख्या सरकार करेगी, अधिकारी के पूरे सेवा-काल में अधिक से अधिक दो बार के लिए भारत के लिए और यहां से वापसी ड्यूटी के स्थान के लिए वापसी हवाई जहाज के टिकट ।

(iv) लम्बी छुट्टी के दौरान 8 और 21 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए जो भारत में अध्ययन कर रहे हैं अपने माता-पिता से मिलने के लिए कुछ शर्तों पर वार्षिक वापसी हवाई जहाज के टिकट ।

(v) सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की गई दरों पर 5 वर्षों और 18 वर्षों के बीच की आयु के अधिकतम दो बच्चों की शिक्षा के लिए भत्ता ।

(vi) विदेश सेवा के संबंध में निर्धारित नियमों के अनुसार और सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों पर सज्जा भत्ता असामान्य शीत जलवायु वाले देशों में तैनात अधिकारियों को सामान्य सज्जा भत्ते के अलावा विशेष सज्जा भत्ता भी मिल सकता है ।

(vii) निर्धारित नियमों के अनुसार अधिकारियों और उनके परिवारों के लिए गृह अवकाश किराया ।

(ञ) समय-समय पर यथा संशोधित परिशोधित अवकाश नियम, 1933, कुछ आशोधनों के साथ, इस सेवा के सदस्यों पर लागू होंगे । कुछ पड़ौसी देशों को छोड़ कर विदेश सेवा के लिए परिशोधित अवकाश नियमों के अधीन मिल सकने वाले अवकाश के अतिरिक्त जमा अवकाश का 50 प्रतिशत तक पाने के अधिकारी पात्र होंगे ।

(ट) भारत में होने पर अधिकारी ऐसी सभी रियायतों के पात्र होंगे जो बराबर और समान स्तर के अन्य केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को मिल सकते हैं ।

(ठ) भारतीय विदेश सेवा (ख) के अधिकारी समय-समय पर यथा संशोधित सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवाएं) नियम, 1960, और उनके अधीन जारी किए गए आदेशों द्वारा शासित होंगे ।

(ड) इस सेवा में नियुक्त किये गये अधिकारी, समय-समय पर यथा संशोधित उदार पेंशन नियम, 1950 और उनके अधीन जारी किए गए आदेशों द्वारा शासित होंगे ।

**20. मणिपुर पुलिस सेवा, क्लास-II**

(क) नियुक्तियां दो वर्ष की परिवीक्षा की अवधि पर की जायेंगी तथा परिवीक्षा की अवधि सक्षम प्राधिकारी चाहे तो बढ़ा भी सकेगा । परिवीक्षा पर नियुक्त उम्मीदवारों को मणिपुर संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा तथा विभागीय परीक्षाएं पास करनी होंगी ।

(ख) यदि प्रशासक की राय में किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का काम या आचरण संतोषजनक नहीं है अथवा उससे यह प्रकट होता है कि अधिकारी के असुयोग्य सिद्ध होने की संभावना नहीं है, तो प्रशासक उसे सेवा तुरन्त अलग कर सकता है ।

(ग) जिस अधिकारी के लिये यह घोषित हो जायेगा कि उसने परिवीक्षा की अवधि संतोषजनक ढंग से पूर्ण कर ली है, उसे सेवा में पुष्ट कर दिया जायेगा । यदि प्रशासक की राय में उसका

कार्य या आचरण संतोषजनक नहीं रहा है तो उसे सेवा से अलग कर सकता है अथवा परिवीक्षा की अवधि, जितनी ठीक समझे, बढ़ा सकता है ।

(घ) इस सेवा के अधिकारी को मणिपुर संघ राज्य क्षेत्र में किसी भी स्थान पर कार्य करना होगा ।

**(ङ) वेतनमान**

रु० 300–25–450–द० रो०–30–600–द० रो०–30–900 ।

प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भरती किये गये व्यक्ति का वेतन इस सेवा के वेतनमान के न्युनतम से प्रारम्भ होगा ।

इस सेवा के अधिकारी भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के अनुसार भारतीय पुलिस सेवा के सीनियर वेतनमान के पदों पर पदोन्नति के पात्र होंगे ।

(च) इस सेवा के अधिकारियों पर मणिपुर पुलिस सेवा नियमावली, 1965 तथा इन नियमों को कार्यान्वित करने के लिय बनाये गये अन्य विनियम या प्रशासक द्वारा जारी किये गये आदेश लागू होंगे ।

**21. त्रिपुरा पुलिस सेवा, क्लास III**

(क) नियुक्तियां दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि के आधार पर की जायेंगी तथा परिवीक्षा की अवधि सक्षम प्राधिकारी चाहे तो बढ़ा भी सकेगा । परिवीक्षा के आधार पर नियुक्त उम्मीदवारों को त्रिपुरा संघराज्य क्षेत्र के प्रशासक द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा तथा विभागीय परिक्षाएं पास करनी होंगी ।

(ख) यदि प्रशासक की राय में किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का काम या आचरण संतोषजनक नहीं है अथवा उससे यह प्रकट होता है कि अधिकारी के सुयोग्य सिद्ध होने की संभावना नहीं है, तो प्रशासक उसे सेवा से तुरन्त अलग कर सकता है ।

(ग) जिस अधिकारी के लिये यह घोषित हो जायगा कि उसने परिवीक्षा की अवधि संतोषजनक ढंग से पूर्ण कर ली है, उसे सेवा में पुष्ट कर दिया जायेगा । यदि प्रशासक की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक नहीं रहा है तो वह उसे सेवा से अलग कर सकता है अथवा परिवीक्षा की अवधि, जितनी ठीक समझे बढ़ा सकता है ।

(घ) इस सेवा के अधिकारी को त्रिपुरा संघ राज्य क्षेत्र में किसी भी स्थान पर कार्य करना होगा ।

**(ङ) वेतनमान––**

रु० 300–30–510–द० रो०–30–750–द० रो०–30–900 ।

प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भर्ती किये गये व्यक्ति का वेतन इस सेवा के वेतनमान के न्युनतम से प्रारम्भ होगा ।

इस सेवा के अधिकारी भारतीय पुलिस सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के अनुसार भारतीय पुलिस सेवा के सीनियर वेतनमान के पदों पर पदोन्नति के पात्र होंगे ।

(च) इस सेवा के अधिकारियों पर त्रिपुरा पुलिस सेवा नियमावली, 1967 तथा इन नियमों को कार्यान्वित करने के लिये बनाये गये अन्य विनियम या प्रशासक द्वारा जारी किये गये आदेश लागू होंगे ।

**22. मणिपुर सिविल सेवा, क्लास II**

(क) नियुक्तियां दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि के आधार पर की जायेंगी तथा परिवीक्षा की अवधि सक्षम प्राधिकारी चाहे तो बढ़ा भी सकेगा । परिवीक्षा के आधार पर नियुक्त उम्मीदवारों को मणिपुर संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा तथा विभागीय परीक्षाएँ पास करनी होंगी ।

(ख) यदि प्रशासक की राय में किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का काम या आचरण संतोषजनक नहीं है अथवा उससे यह प्रकट होता है कि अधिकारी के सुयोग्य सिद्ध होने की संभावना नहीं है तो प्रशासक उसे सेवा से तुरन्त अलग कर सकता है ।

(ग) जिस अधिकारी के लिये यह घोषित हो जाएगा कि उसने परीवीक्षा की अवधि संतोषजनक ढंग से पूर्ण कर ली है उसे सेवा में पुष्ट कर दिया जायेगा । यदि प्रशासक की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक नहीं रहा है, तो वह उसे सेवा से अलग कर सकता है अथवा परिवीक्षा की अवधि, जितनी ठीक समझे, बढ़ा सकता है ।

(घ) इस सेवा के अधिकारी को मणिपुर संघ राज्य क्षेत्र में किसी भी स्थान का कार्य करना होगा ।

**(ङ) वेतनमान––**

ग्रेड I (चयन ग्रेड)––रु० 1000-40-1200 ।

ग्रेड –II–रु० 350-30-500-द० रो०-30-650-द० रो०-35-1000 ।

प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भर्ती किये गये व्यक्ति का वेतन ग्रेड II के वेतनमान के न्यूनतम से प्रारम्भ होगा ।

इस सेवा के अधिकारी भारतीय प्रशासन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के अनुसार भारतीय प्रशासन सेवा के सीनियर वेतनमान के पदों पर पदोन्नति के पात्र होंगे ।

(च) इस सेवा के अधिकारियों पर मणिपुर सिविल सेवा नियमावली, 1965 तथा इन नियमों को कार्यान्वित करने के लिये बनाये गये अन्य विनियम या प्रशासनक द्वारा जारी किये गये आदेश लागू होंगे ।

**23. त्रिपुरा सिविल सेवा, क्लास II**

(क) नियुक्तियां दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि के आधार पर की जाएंगी तथा परिवीक्षा की अवधि सक्षम प्राधिकारी चाहे तो बढ़ा भी सकेगा । परिवीक्षा के आधार पर नियुक्त उम्मीदवारों को त्रिपुरा संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा तथा विभागीय परीक्षाएं पास करनी होंगी ।

(ख) यदि प्रशासक की राय में किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का काम या आचरण संतोषजनक नहीं है अथवा उससे यह प्रकट होता है कि अधिकारी के सुयोग्य सिद्ध होने की संभावना नहीं है, तो प्रशासक उसे सेवा से तुरन्त अलग कर सकता है ।

(ग) जिस अधिकारी के लिये यह घोषित हो जायेगा कि उसने परिवीक्षा की अवधि संतोषजनक ढंग से पूर्ण कर ली है, उसे सेवा में पुष्ट कर दिया जाएगा । यदि प्रशासक की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक नहीं रहा तो वह उसे सेवा से अलग कर सकता है अथवा परिवीक्षा की अवधि, जितनी ठीक समझे, बढ़ा सकता है ।

(घ) इस सेवा के अधिकारी को त्रिपुरा संघ राज्य क्षेत्र में किसी भी स्थान पर कार्य करना होगा ।

(ङ) वेतनमान—

ग्रेड I (चयन ग्रेड)—रु० 1,175/(नियत) ।

ग्रेड II (समय वेतन-मान)—रु० 325-30-475-35-545-द० रो०-35-825-द० रो० 35-1000 ।

प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर भर्ती किये गये व्यक्ति का वेतन ग्रेड II के वेतनमान के न्यूनतम से प्रारम्भ होगा ।

इस सेवा के अधिकारी भारतीय प्रशासन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955, के अनुसार भारतीय प्रशासन सेवा के सीनियर वेतनमान के पदों पर पदोन्नति के पात्र होंगे ।

(च) इस सेवा के अधिकारियों पर त्रिपुरा सिविल सेवा नियमावली, 1967 तथा इन नियमों को कार्यान्वित करने के लिये बनाये गये अन्य विनियम या प्रशासक द्वारा जारी किये गये आदेश लागू होंगे ।

**24. गोआ, दमन और दियु सिविल सेवा, क्लास II**

(क) नियुक्तियां दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि के आधार पर की जाएंगी तथा परिवीक्षा की अवधि सक्षम प्राधिकारी चाहे तो बढ़ा भी सकेगा । परिवीक्षा के आधार पर नियुक्त उम्मीदवारों को गोआ, दमन तथा दियु संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा तथा विभागीय परीक्षाएं पास करनी होंगी ।

(ख) यदि प्रशासक की राय में किसी परिवीक्षाधीन अधिकारी का काम या आचरण संतोषजनक नहीं है अथवा उस से यह प्रकट होता है कि अधिकारी के सुयोग्य सिद्ध होने की संभावना नहीं है, तो प्रशासक उसे सेवा से तुरन्त अलग कर सकता है ।

(ग) जिस अधिकारी के लिये यह घोषित हो जायेगा कि उसने परिवीक्षा की अवधि संतोषजनक ढंग से पूर्ण कर ली है, उसे सेवा में पुष्ट कर दिया जायेगा । यदि प्रशासक की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक नहीं रहा है तो वह उसे सेवा से अलग कर सकता है अथवा परिवीक्षा की अवधि, जितनी ठीक समझे, बढ़ा सकता है ।

(घ) इस सेवा के अधिकारी को गोआ, दमन तथा दियु संघ राज्य क्षेत्र में किसी भी स्थान पर कार्य करना होगा ।

(ङ) वेतनमान—

ग्रेड I (चयन ग्रेड)—रु० 700-40-1100-50/2-1250

ग्रेड II —रु० 350—25—500—30—590-द० रो० 30-800-द० रो० —30—830—35—900

किसी प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामों के आधार पर भर्ती किये जाने वाले व्यक्ति, को सेवा में नियुक्ति पर समय वेतनमान का न्यूनतम वेतन प्राप्त होगा बशर्ते यदि वह सेवा में नियुक्ति से पहले मूल रूप से सांवधिक पद के अतिरिक्त स्थायी पद पर कार्य करता था, सेवा में परिवीक्षा की अवधि में उसका वेतन मूल नियम 22-ख (1) के परंतुक के अधीन विनियमित किया जायेगा । सेवा में नियुक्त किये गये अन्य व्यक्तियों के लिये वेतन और वेतन वृद्धियां मूल नियमों के अनुसार विनियमित होंगी ।

इस सेवा के अधिकारी भारतीय प्रशासन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955, के अनुसार भारतीय प्रशासन सेवा के सीनियर वेतनमान के पदों पर पदोन्नति के पात्र होंगे ।

(च) इस सेवा के अधिकारियों पर गोआ, दमन, तथा दियु, सिविल सेवा नियमावली, 1967, तथा इन नियमों को कार्यान्वित करने के लिये बनाये गये तथा अन्य विनियम या प्रशासक द्वारा जारी किये गये आदेश लागू होंगे ।

**25. पांडिचेरी सिविल सेवा क्लास II**

(क) नियुक्तियां दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि के आधार पर की जायेंगी तथा परिवीक्षा की अवधि सक्षम प्राधिकारी चाहे तो बढ़ा भी सकेगा । परिवीक्षा के आधार पर नियुक्त उम्मीदवारों को पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा तथा विभागीय परीक्षायें पास करनी होंगी ।

(ख) यदि प्रशासक की राय में किसी परीवीक्षाधीन अधिकारी का काम या आचरण संतोषजनक नहीं है अथवा उससे यह प्रकट होता है कि अधिकारी के सुयोग्य सिद्ध होने की संभावना नहीं है, तो प्रशासक उसे सेवा से तुरन्त अलग कर सकता है ।

(ग) जिस अधिकारी के लिये यह घोषित हो जायगा कि उसने परिवीक्षा की अवधि संतोषजनक ढंग से पूर्ण कर लीहै, उसे सेवा में पुष्ट कर दिया जायेगा । यदि प्रशासक की राय में उसका कार्य या आचरण संतोषजनक नहीं रहा है तो वह उसे सेवा से अलग कर सकता है अथवा परिवीक्षा की अवधि, जितनी ठीक समझे, बढ़ा सकता है ।

(घ) इस सेवा के अधिकारी को पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र में किसी भी स्थान परकार्य करना होगा ।

(ङ) वेतनमान—

ग्रेड I —रु० 375—25—800

किसी प्रतियोगिता परीक्षा के परिणामों के आधार पर भर्ती किया जाने वाला व्यक्ति, को सेवा में नियुक्ति पर समय वेतनमान का न्यूनतम वेतन प्राप्त होगा बशर्ते यदि वह सेवा में नियुक्ति से पहले मूल रूप से सांवधिक पद के अतिरिक्त स्थायी पद पर कार्य करता था, सेवा में परिवीक्षा की अवधि में उसका वेतन मूल नियम 22-ख (1) के परंतुक के अधीन विनियमित किया जाएगा । सेवा में नियुक्त किये गये अन्य व्यक्तियों के लिये वेतन और वेतन-वृद्धियां मूल नियमों के अनुसार विनियमित होंगी ।

इस सेवा के अधिकारी भारतीय प्रशासन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955, के अनुसार भारतीय प्रशासन सेवा के सीनियर वेतनमान के पदों पर पदोन्नति के पात्र होंगे ।

(च) इस सेवा के अधिकारियों पर पांडिचेरी सिविल सेवा नियमावली, 1967, तथा इन नियमों को कार्यान्वित करने के लिये बनाये गये अन्य विनियम या प्रशासक द्वारा जारी किये गये आदेश लागू होंगे ।

**26. सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा अधीक्षक ग्रेड श्रेणी II**

(क) सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा में फिलहाल निम्नलिखित ग्रेड हैं ।

| ग्रेड | वेतनमान |
|---|---|
| वरिष्ट सिविलियन स्टाफ अधिकारी | 1100--50--1400 रु० |
| सिविलियन स्टाफ अधिकारी | 740--30--800--50--1150 रु० |
| अधीक्षक ग्रेड | 350--25--500--30 590--द० रो०--30 --800 रु० |
| सहायक ग्रेड | 210--10--270--15 --300--द० अ० --15 --540--द० अ० --20--530 रु० । |

उपरोक्त सेवा सशस्त्र सेना मुख्यालय तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय के अंतरसेवा संगठनों के लिये कर्मचारियों की आवश्यकता की पूर्ती करती है ।

सीधी भर्ती केवल अधीक्षक ग्रेड तथा सहायक ग्रेड ही में की जाती है ।

(ख) अधीक्षक ग्रेड 2 वर्ष तक परिवीक्षा पर रहेंगे । इन अवधि के दौरान उन्हें ऐसे कोई भी प्रशिक्षण, प्राप्त करने अथवा परीक्षायें पास करनी पड़ सकती हैं जिन की सरकार व्यवस्था करे । प्रशिक्षण के दौरान पर्याप्त प्रगति न होने अथवा परीक्षाओं में उतीर्ण न हो पाने के फलस्वरूप परिवीक्षाधीन व्यक्ति को सेवा से निकाल दिया जायगा ।

(ग) परिवीक्षा की अवधि समाप्त होने पर सरकार चाहे तो सम्बन्धित अधिकारी को उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दे अथवा यदि उसका कार्य अथवा आचरण सरकार के विचार में संतोषजनक न रहा हो तो चाहे तो उसे सेवा से निकाल दे या परिवीक्षा की अवधि को उतने काल तक के लिये बढ़ा दे जितना सरकार उचित समझे ।

(घ) यदि सेवा में नियुक्तियां करने का अधिकार सरकार द्वारा किसी अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाय तो वह अधिकारी उपरोक्त धाराओं में वर्णित सरकार की शक्तियों में से किसी का भी प्रयोग कर सकता है ।

(ङ) सशस्त्र सेवा मुख्यालय तथा प्रतिरक्षा विभाग के अन्तर सेवा संगठनों में अधीक्षक सामान्यतः 'अनुभागों' मुखिया होंगे जबकि सिविलियन स्टाफ अधिकारी एक या एकाधिक अनुभागों का कार्यभार सम्भालेंगे ।

(च) अधीक्षक समय-समय पर तत्सम्बन्धी प्रचलित नियमों के अनुसार सिविलियन स्टाफ अधिकारी ग्रेड में पदोन्नति के हकदार होंगे ।

(छ) सशस्त्र सेवा मुख्यालय सिविल सेवा के सिविलियन स्टाफ अधिकारी समय-समय पर तत्सम्बन्धी प्रचलित नियमों के अनुसार सेवा के वरिष्ठ सिविलियन स्टाफ अधिकारी ग्रेड में तथा अन्य प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति के हकदार होंगे ।

(ज) जहां तक छुट्टी, पेंशन तथा सेवा की अन्य शर्तों का सम्बन्ध है उनका नियंत्रण सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा के अधिकारी समय-समय पर प्रतिरक्षा सेवाओं के व्यय में से वेतन पाने वाले अधिकारियों के लिये लागू विनियमों तथा आदेशों द्वारा होगा ।

**परिशिष्ट IV**

**उम्मीदवारों की शारीरिक परीक्षा के बारे में विनियम**

**टिप्पणी**—1. ये विनियम उम्मीदवारों की सुविधा के लिये प्रकाशित किये जाते हैं और इसलिये प्रकाशित किये जाते हैं ताकि वे यह सुनिश्चित कर सकें कि उनका शारीरिक स्तर आपेक्षित स्तर तक का है । इन अधिनियमों का यह भी ध्येय है कि स्वास्थ्य परीक्षकों को ऐसे उम्मीदवारों को जो अधिनियमों में निर्धारित न्यूनतम आवश्यकताओं को पूर्ण न करता हो स्वास्थ्य परीक्षकों द्वारा अरोग्य घोषित न हो जाय मार्ग दर्शा सकें । तथापि, यह जानते हुए कि उम्मीदवार इन अधिनियमों में दी हुई शर्तों के अनुसार अरोग्य नहीं है स्वास्थ्य बोर्ड को आज्ञा होगी कि भारत सरकार को स्पष्ट रूप से कारण लिख कर सिफारिश करें जिस से वह बिना असुविधा के सेवा में भर्ती किया जा सकता है ।

2. तथापि, यह भी स्पष्टतया समझ लेना चाहिये कि स्वास्थ्य बोर्ड को रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात भारत सरकार को किसी भी उम्मीदवार को स्वीकार करने तथा अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार है ।

1. नियुक्ति के योग्य ठहराये जाने के लिये यह जरूरी है कि उम्मीदवार का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य ठीक हो और उम्मीदवार में कोई ऐसा शारीरिक दोष न हो जिसे नियुक्ति के बाद दक्षतापूर्वक काम करने में बाधा पड़ने की संभावना हो ।

2. (क) भारतीय (एंग्लो-इंडियन समेत) जाति के उम्मीदवारों के आयु, कद और छाती के घेर के परस्पर संबंध के बारे में मेडिकल बोर्ड के ऊपर ही यह बात छोड़ दी गई है कि वह उम्मीदवारों की परीक्षा में मार्ग-दर्शन के रूप में जो भी परस्पर संबंध के आंकड़े सबसे अधिक उपयुक्त समझे, व्यवहार में लाये । यदि वजन, कद और छाती के घेर में विषमता हो तो जांच के लिये उम्मीदवार को अस्पताल में रखना चाहिये और छाती का एक्स-रे लेना चाहिये । ऐसा करने के बाद ही बोर्ड उम्मीदवार को योग्य अथवा अयोग्य करेगा ।

विभिन्न सेवाओं का वर्गीकरण दो श्रेणियों "तकनीकी तथा अतकनीकी" के अधीन इस प्रकार से होगा :—

**क—तकनीकी**

(1) रेलवे इंजीनियरी सेवा (सिविल, विद्युत यांत्रिक तथा सिग्नल) भारतीय रेलवे यातायात सेवा, विशेष श्रेणी रेलवे अप्रेंटिस, और समुद्री विभाग के पद ।

(2) केन्द्रीय इंजीनियरी श्रेणी I और II तार इंजीनियरी श्रेणी I, विद्युत इंजीनियरी वर्ग I और II, भारत सर्वेक्षण, श्रेणी I और II समुद्रपार संचार सेवा की

इंजीनियरी शाखा की श्रेणी I और II के पद पूर्ति और निपटान के महानिदेशक के निरीक्षण स्कन्ध के श्रेणी I और II के तकनीकी अधिकारी।

(3) भारतीय वन सेवा।

(4) भारतीय पुलिस सेवा।

आई० ए० एस०, आई० एफ० एस०, आई० ए० और ए० एस०, भारतीय सीमा-शुल्क सेवा, भारतीय रेलवे लेखा सेवा, भारतीय रेलवे भंडार सेवा, रेलवे सुरक्षा दल। रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा श्रेणी I और II और रेलवे में श्रेणी I और II के सभी अन्य पद भारतीय रक्षा लेखा सेवा आयकर अधिकारी (श्रेणी I ग्रेड II और श्रेणी II) सेवा, भारतीय डाक सेवा (श्रेणी I) सैनिक भूमि और छावनी सेवा, श्रेणी I और II, भारत भूविज्ञान सर्वेक्षण विभाग श्रेणी I और II, बेतार योजना तथा समन्वय संगठन के श्रेणी I और II के तकनीकी अधिकारी।

(ख) निश्चित सेवाओं के लिये कद और छाती के घेर का कम-से-कम मान नीचे दिया जाता है जिस पर पूरा न उतरने पर उम्मीदवार को मंजूर नहीं किया जा सकता।

| | कद | छाती का घेर (पूरा फैला कर) | फैलाव |
|---|---|---|---|
| | सें० मी० | सें० मी० | सें० मी० |
| 1. रेलवे इंजीनियरी सेवा सिविल, विद्युत, यांत्रिक तथा सिग्नल परिवहन (यातायात तथा वाणिज्य विभागों) रेलवे सुरक्षा दल और विभागों के पदों पर समुद्र-पार संचार सेवा की इंजीनियरी शाखा की श्रेणी I और II के पदों में | | | |
| (पुरुषों के लिये) | 152 | 84 | 5 |
| (स्त्रियों के लिये) | 150 | 79 | 5 |
| 2. भारतीय पुलिस सेवा— | | | |
| (पुरुषों के लिए) | 165 | 84 | 5 |
| (स्त्रियों के लिए) | 150 | 79 | 5 |

"गोरखा, गढ़वाली, असमी, नागालैण्ड आदिम जातियों आदि से सम्बन्धित उम्मीदवारों के मामले में न्यूनतम निर्धारित कद की लम्बाई में छूट दी जा सकेगी जिनकी औसत कद की लम्बाई दूसरों से छोटी होती है।"

3. उम्मीदवार का कद निम्नलिखित विधि से नापा जाएगा:—

वह अपने जूते उतार देगा और उसे माप-दंड (स्टैण्डर्ड) से इस प्रकार सटा कर खड़ा किया जाएगा कि उसके पांव आपस में जुड़े रहें और उसका वजन, सिवाए एड़ियों के पांवों की उंगलियों या किसी और हिस्से पर न पड़े। वह बिना अकड़ सीधा खड़ा होगा। और उसकी एड़ियां पिंडलियां नितंब और कन्धे मापदंड के साथ लगे होंगे। उसकी ठोड़ी नीची रखी जाएगी ताकि सिर का स्तर (वर्टैक्स आफ दि हैड लेवल) हारिजैंटल बार (आड़ी छड़) के नीचे आ जाए। कद सेंटीमीटरों और आधे सेंटीमीटरों में नापा जाएगा।

(4) उम्मीदवार की छाती नापने का तरीका इस प्रकार है :—

उसे इस भांति सीधा खड़ा किया जाएगा कि उसके पांव जुड़े हों और उसकी भुजाएं सिर से ऊपर उठी हों। फीते को छाती के गिर्द इस तरह लगाया जाएगा कि पीछे की ओर इसका ऊपरी किनारा असफलक (शोल्डर ब्लेड) के निम्न कोणों (इन्फीरियर-एंगल्स) से लगा रहे और यह फीते को छाती के गिर्द ले जाने पर उसी आड़े समतल (हारिजैंटल प्लेन) में रहे फिर भुजाओं को नीचे किया जाएगा और इन्हें शरीर के साथ लटका रहने दिया जाएगा किन्तु इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि कन्धे ऊपर या पीछे की ओर न किए जाएं जिससे कि फीता न हिले। अब उम्मीदवार को कई बार गहरा सांस लेने के लिए कहा जाएगा और छाती का अधिक-से-अधिक फैलाव गौर से नोट किया जाएगा और कम-से-कम और अधिक-से-अधिक फैलाव सेंटीमीटरों में रिकार्ड किया जाएगा, 84-89, 86-93.5 आदि का नाम को रिकार्ड करते समय आधे सेंटीमीटर से भिन्न फ्रक्शन को नोट नहीं करना चाहिए।

नोट :—अन्तिम निर्णय लेने से पहले उम्मीदवारों की ऊंचाई और छाती दो बार नापनी चाहिए।

5. उम्मीदवार का वजन भी लिया जाएगा और उसका वजन किलोग्रामों में रिकार्ड किया जाएगा। आधे किलोग्राम से कम के फ्रेक्शन को नोट नहीं करना चाहिए।

6. (क) उम्मीदवार की नजर की जांच निम्नलिखित नियमों के अनुसार की जाएगी प्रत्येक जांच का परिणाम रिकार्ड किया जाएगा :—

(ख) चश्मे के बिना नजर (नेकेड आई विजन) की कोई न्यूनतम सीमा (मिनिमम लिमिट) नहीं होगी, किन्तु प्रत्यक केस में मैडिकल बोर्ड या अन्य मेडिकल प्राधिकारी द्वारा इसे रिकार्ड किया जाएगा क्योंकि इससे आंख की हालत के बारे में मूल सूचना (बेसिक-इन्फार्मेशन) मिल जाएगी।

(ग) विभिन्न प्रकार की सेवाओं के लिए चश्मे के साथ और चश्मे के बिना दूर और नजदीक की नजर का मानक निम्नलिखित होगा :

| सेवा की श्रेणी | दूर की नजर | | नजदीक की नजर | |
|---|---|---|---|---|
| | अच्छी आंख | खराब आंख | अच्छी आंख | खराब आंख |
| | (ठीक की हुई दृष्टि) | | (ठीक की हुई दृष्टि) | |
| वर्ग I और II | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| (i) तकनीकी | 6/6 | 6/2 या 6/9 | 1 जे० 2 |
| (ii) अतकनीकी | 6/9 | 6/12 | जे० 1 जे० 2 |

(घ) (i) उपर्युक्त तकनीकी सेवाओं और लोक सुरक्षा से सम्बन्धित कोई अन्य सेवाओं के सम्बन्ध में (सिलिंडर मिलाकर) मायोपिया कुल---4.00 डी० (प्लस) से अधिक नहीं हो। हाइपरमेट्रोपिया की कुल (सिलिंडर मिलाकर) 4.00 डी० (प्लस) से अधिक नहीं होना चाहिए।

(ii) आयोगिता के प्रत्येक मामले में, फंडस परीक्षा की जानी चाहिए और उसका परिणाम रिकार्ड किए जाने चाहिए। व्याधिक्रत दशा मौजूद होने पर जो कि बढ़ सकती है और उम्मीदवार की दक्षता पर प्रभाव डाल सकता है, उसे अयोग्य घोषित किया जाए।

(ङ) **दृष्टिक्षेत्र**---सभी सेवाओं के लिए सम्मुखन विधि (कन्फ्रंटेशन मैथड) द्वारा दृष्टि क्षेत्र की जांच की जाएगी। तब ऐसी जांच का नतीजा असन्तोषजनक या संदिग्ध हो तब दृष्टिक्षेत्र की परिभाषी (पैरामीटर) पर निर्धारित किया जाना चाहिए।

(च) **रतौंधी (नाइट ब्लाइंडनैस)**---साधारणतया रतौंधी दो प्रकार की होती है, (1) विटामिन "ए" की कमी होने के कारण, और (2) रेटीना के शारीरिक रोग के कारण रेटीनीटिस पिगमेन्टोसा होता है। जिसका सामान्य कारण ऊपर बताई गई (1) की स्थिति में फंडस में प्रसामान्य होता है, साधारणतया छोटी आयु वाले व्यक्तियों में और कम खुराक पाने वाले व्यक्तियों में दिखाई देता है और अधिक मात्रा में विटामिन "ए" के खाने से ठीक हो जाता है। ऊपर बताई गई (2) की स्थिति में फंडस में खराबी होती है और अधिकांश मामलों में केवल फंडस की परीक्षा से ही स्थिति का पता चल जाता है। इस श्रेणी का रोगी प्रौढ़ होता है और खुराक की कमी से पीड़ित नहीं होता है। सरकार में ऊंची नौकरियों के लिए प्रयत्न करने वाले व्यक्ति इस वर्ग में आते हैं।

उपर्युक्त (1) और (2) दोनों के लिए अंधेरा अनुकूलन परीक्षा से स्थिति का पता चल जाएगा। उपर्युक्त (2) के लिए विशेषतया जब फंडस खराब न हो तो इलैक्ट्रो-रेटीनोग्राफी किए जाने की आवश्यकता होती है। इन दोनों जांचों में (अंधेरा अनुकूलन और रेटीनोग्राफी) में समय अधिक लगता है और विशेष प्रबन्ध और सामान की आवश्यकता होती है और इसलिए साधारण चिकित्सक जांच के लिए यह समय नहीं है। अतकनीकी बातों को ध्यान में रखते हुए मन्त्रालय/विभाग को चाहिए कि वे बताएं कि रतौंधी के लिए इन जांचों का करना अनिवार्य है या नहीं। यह बात इस बात पर निर्भर होगा कि पद से सम्बन्ध काम की आवश्यकता क्या है और जिन व्यक्तियों को सरकारी नौकरी दी जाने वाली है उनकी ड्यूटी जिस तरह की होगी।

कलर विजन---रंगों के सम्बन्ध में नजर की जांच जरूरी है।

नीचे दी गई तालिका के अनुसार रंग का प्रत्यक्ष ज्ञान उच्चतर (हायर) और निम्नतर (लोअर) ग्रेडों में होना चाहिए जो लैंटर्न के द्वारक (एपर्चर) के आकार पर निर्भर हों।

| ग्रेड | रंग के प्रत्यक्ष ज्ञान का उच्चतर ग्रेड | रंग के प्रत्यक्ष ज्ञान का निम्नतर ग्रेड |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. लैम्प और उम्मीदवार के बीच की दूरी | 16 | 16 |
| 2. द्वारक (एपर्चर) का आकार | 1.3 मि० मीटर | 1.3 मि० मीटर |
| 3. दिखाने का समय | 5 सैकंड | 5 सैकंड |

लाल संकेत, हरे संकेत और सफेद रंग को आसानी से और हिचकिचाहट के बिना पहचान लेना संतोषजनक कलर विजन है। इशिहारा की प्लेटों के इस्तेमाल को जिन्हें एड्रिज ग्रीन की लैंटर्न जैसी उपर्युक्त लैंटर्न और अच्छे रोशनी में दिखाया जाता है, कलर विजन की जांच करने के लिए बिल्कुल विश्वसनीय समझा जाएगा। वैसे तो दोनों जाँचों में से किसी भी एक जांच को साधारणतया पर्याप्त समझा जा सकता है। लेकिन सड़क, रेल और हवाई यातायात से सम्बन्धित सेवाओं के लिए लैंटर्न से जांच करना लाजमी है। शक वाले मामलों में जब उम्मीदवार को किसी एक जांच करने पर अयोग्य पाया जाए तो दोनों ही तरीकों से जांच करनी चाहिए। तथापि कलर विजन की जांच के लिए इशिहारा प्लेट और एड्रिज की हरी लालटेन दोनों का प्रयोग भारतीय रेल यातायात सेवा में उम्मीदवारों की नियुक्ति के लिए किया जाएगा।

(ज) दृष्टि की पकड़ से भिन्न आंख की अवस्थाएं (आक्यूलर कंडीशन्स)---

(i) आंख की उस बीमारी को या बढ़ती हुई वर्सन त्रुटि (प्रोग्रेसिव रिफेक्टेव एरर) को, जिसके परिणामस्वरूप दृष्टि की पकड़ के कम होने की सम्भावना हो, अयोग्यता का कारण समझना चाहिए।

(ii) भेंगापन (स्क्विंट)---तकनीकी सेवाओं में, जहां द्विनेत्री (बाइनाकुलर) दृष्टि का होना अनिवार्य हो, दृष्टि की पकड़ निर्धारित स्तर की होने पर भी भेंगापन को अयोग्यता का कारण

समझना चाहिए। यह रेलवे सुरक्षा दल के उम्मीदवारों के लिए भी लागू होगा। दृष्टि की पकड़ निर्धारित स्तर की होने पर भेंगापन को अन्य सेवाओं के लिए अयोग्यता के कारण नहीं समझना चाहिए।

(iii) **एक आंख**:—यदि किसी व्यक्ति के एक आंख है या उसकी एक आंख तो ऐसी है जिसकी दृष्टि पकड़ सामान्य है और दूसरी आंख एम्बायलायेपिक है अर्थात् उसकी दृष्टि पकड़ सामान्य से कम हो, तो इसके फलस्वरूप उस व्यक्ति में गहराई को ग्रहण करने के लिए प्रिबिमेक्ष दृष्टिशक्ति का अभाव होता है। कई सिविल पदों के लिए ऐसी दृष्टिशक्ति आवश्यक नहीं होती। मेडिकल बोर्ड ऐसे व्यक्ति की उपयुक्तता की सिफारिश कर सकते हैं बशर्ते की सामान्य आंख में—

(क) चश्में से या बिना चश्मे के दूर की दृष्टि शक्ति 6/6 और नजदीक की जे० 1 हो, बशर्ते कि दूर की दृष्टि शक्ति के लिए किसी भी याम्योत्तर वृत्त (मेरीडियन) में मूल दृष्टि को विकरित करने की 4 इकाइयों ( ) से अधिक न हो,

(ख) दृष्टि का क्षेत्र पूरा हो,

(ग) रंगों की दृष्टि शक्ति सामान्य हो,

बशर्ते कि बोर्ड को संतोष हो कि उम्मीदवार संबंधित पद-विशेष के सभी कर्त्तव्यों को पूर्ण कर सकता है।

दृष्टि शक्ति की पकड़ के उपर्युक्त घटे हुए स्तर उन पदों सेवाओं के लिए उम्मीदवार व्यक्तियों पर लागू नहीं होंगे जिन्हें "तकनीकी" वर्गीकृत किया गया हो। सम्बन्धित मन्त्रालय/विभाग को बोर्ड को सूचित करना होगा कि व्यक्ति "तकनीकी" पद का उम्मीदवार है अथवा नहीं।

(2) कोन्टैक्ट लैंस (Contact Lenses)

उम्मीदवार की स्वास्थ्य परीक्षा के समय कोन्टैक्ट लैंस के प्रयोग की आज्ञा नहीं होगी। आंख की जांच करते समय यह आवश्यक है कि दूर की नजर के लिए टाइप किए हुए अक्षर 16 फुट से प्रकाशित हों।

(7) **ब्लड प्रेशर**

ब्लड प्रेशर के सम्बन्ध में बोर्ड अपने निर्णय से काम लेगा। नार्मल उच्चतम सिस्टालिक प्रेशर के आकलन की काम चलाऊ विधि नीचे दी जाती है।

(i) 15 से 25 वर्ष के व्यक्तियों में औसत ब्लड प्रेशर लगभग 100—आयु होता है।

(ii) 25 वर्ष से ऊपर की आयु वाले व्यक्तियों में ब्लड प्रेशर के आकलन का सामान्य नियम यह है कि 110 में आधी आयु जोड़ दी जाए। यह तरीका बिल्कुल संतोषजनक दिखाई पड़ता है।

**ध्यान दीजिए**—सामान्य नियम के रूप में 140 से ऊपर के सिस्टालिक प्रेशर की ओर 90 से ऊपर के डायस्टालिक प्रेशर को संदिग्ध मान लेना चाहिए, और उम्मीदवार को योग्य या अयोग्य ठहराने के सम्बन्ध में अपनी अन्तिम राय देने से पहले बोर्ड को चाहिए कि उम्मीदवार को अस्पताल में रखें। अस्पताल में रखने की रिपोर्ट से यह पता लगाना चाहिए कि घबराहट (एक्साइटमेंट) आदि के कारण ब्लड प्रेशर थोड़े समय रहने वाला है या इसका कारण कोई (कायिक आर्गेनिक बीमारी) है, [ऐसे सभी केसों में हृदय की एक्सरे और विद्युत् हृल्लेखी (इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ़िक) परीक्षाएं और रक्त यरिया निकास (लोयरेंस) की जांच भी नेमी रूप से की जानी चाहिए। फिर भी उम्मीदवार को योग्य होने या न होने के बारे में अन्तिम फैसला केवल मेडिकल बोर्ड ही करेगा।]

**ब्लड प्रेशर (रक्तदाब) लेने का तरीका**

नियमतः पारेवाले दाबमापी (मर्करी मोनोमीटर) किस्म का आला (इंस्ट्रूमेंट) इस्तेमाल करना चाहिए। किसी किस्म के व्यायाम या घबराहट के बाद पन्द्रह मिनट तक रक्त दाब नहीं लेना चाहिए। रोगी बैठा या लेटा हो बशर्ते कि वह और विशेषकर उसकी भुजा शिथिल और आराम से हो। कुछ कुछ हारिजंटल स्थिति में रोगी के पार्श्व पर भुजा को आराम से सहारा दिया जाता है। भुजा पर से कन्धे तक कपड़े उतार देने चाहिए। कफ़ में से पूरी तरह हवा निकालकर बीच की रबड़ को भुजा के अन्दर की ओर रखकर और इसके निचले किनारे को कोहनी के मोड़ से एक या दो इंच ऊपर करके लगाना चाहिए। इसके बाद कपड़े की पट्टी को फैलाकर समान रूप से लपेटना चाहिए ताकि हवा भरने पर कोई हिस्सा फूल कर बाहर को न निकले।

कोहनी के मोड़ पर प्रगंड धमनी (ब्रकिअल आर्टरी) को दबा-दबा कर ढूंढा जाता है और तब इसके ऊपर बीचों बीच स्टैथस्कोप को हल्के से लगाया जाता है जो कफ़ के साथ न लगे। कफ़ में लगभग 200 m.m.Hg. हवा भरी जाती है और इसके बाद इसमें से धीरे-धीरे हवा निकाली जाती है। हल्की क्रमिक ध्वनियां सुनाई पड़ने पर जिस स्तर पर पारे का कालम टिका होता है वह सिस्टालिक प्रेशर दर्शाता है। जब और हवा निकाली जाएगी तो ध्वनियां तेज सुनाई पड़ेंगी। जिस स्तर पर यह साफ और अच्छी सुनाई पड़ने वाली ध्वनियां हल्की दबी हुई-सी लुप्त प्राय हो जाएं, वह डायस्टालिक प्रेशर है। ब्लड-प्रेशर काफ़ी थोड़ी अवधि में ही ले लेना चाहिए क्योंकि कफल के लम्बे समय का दबाव रोगी के लिए क्षोभकर होता है और इससे रीडिंग गलत हो जाती है। यदि दोबारा पड़ताल करनी जरूरी हो तो कफ़ में से पूरी हवा निकाल कर कुछ मिनट के बाद ही ऐसा किया जाए। (कभी-कभी कफ़ में से हवा निकालने पर एक निश्चित स्तर पर ध्वनियां सुनाई पड़ती हैं, दाब गिरने पर वे गायब हो जाती हैं और निम्नतर स्तर पर पुनः प्रकट हो जाती हैं। इस "साइलट गेप" से रीडिंग में गलती हो सकती है।)

8. परीक्षक की उपस्थिति में किए गए मूत्र की परीक्षा की जानी चाहिए और परिणाम रिकार्ड किया जाना चाहिए। जब मेडिकल बोर्ड को किसी उम्मीदवार के मूत्र में रासायनिक जांच द्वारा शक्कर का पता चले तो बोर्ड इसके दूसरे सभी पहलुओं की परीक्षा करेगा और मधुमेह (डायाबीटीज) के द्योतक चिन्हों और लक्षणों को भी विशेष रूप से नोट करेगा। यदि बोर्ड उम्मीदवार को ग्लुकोज मेह (ग्लाइकोसुलिरआ) के सिवाए, अपेक्षित मेडिकल फिटनेस के स्टैण्डर्ड के अनुरूप पाए तो वह उम्मीदवार को इस शर्त के साथ

फिट घोषित कर सकता है कि ग्लूकोज मेह् अमधु मेही (नानडायबेटिक) हो और बोर्ड केस को मेडिसिन के किसी ऐसे निर्दिष्ट विशेषज्ञ के पास भेजेगा जिनके पास अस्पताल और प्रयोगशाला की सुविधाएं हों। मेडिकल विशेषज्ञ स्टैंडर्ड ब्लड शुगर टालरेंस टैस्ट समेत जो भी क्लिनिकल या लेबारेटरी परीक्षाएं जरूरी समझेगा करेगा और अपनी रिपोर्ट मेडिकल बोर्ड को भेज देगा जिस पर मेडिकल बोर्ड की 'फिट' या 'अनफिट' की अन्तिम राय आधारित होगी। दूसरे अवसर पर उम्मीदवार के लिए बोर्ड के सामने स्वयं उपस्थित होना जरूरी नहीं होगा। औषधि के प्रभाव को समाप्त करने के लिए यह जरूरी हो सकता है कि उम्मीदवार को कई दिन तक अस्पताल में पूरी देख-रेख में रखा जाए।

9. जो स्त्री उम्मीदवार जांचों के फलस्वरूप 12 सप्ताह या उससे अधिक अवधि की गर्भवती पाई जाए उसे तब तक के लिए अस्थायी रूप से अयोग्य घोषित कर दिया जाए जब तक उसकी गर्भावस्था समाप्त न हो जाए। गर्भावस्था के समाप्त होने के 6 सप्ताह बाद यदि वह पंजीकृत चिकित्सक से स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर दे तो आरोग्य प्रमाण-पत्र के लिए उसकी फिर से जांच की जाए।

**10. निम्नलिखित अतिरिक्त बातों का प्रेक्षण करना चाहिये**

(क) उम्मीदवार को दोनों कानों से अच्छा सुनाई पड़ता है या नहीं और कान की बीमारी का कोई चिह्न है या नहीं। यदि कोई कान की खराबी हो तो, इसकी परीक्षा कान विशेषज्ञ द्वारा की जानी चाहिए। यदि सुनने की खराबी का इलाज शल्य-क्रिया (आपरेशन) या हियरिंग ऐड के इस्तेमाल से हो सके तो उम्मीदवार को इस आधार पर आयोजित घोषित नहीं किया जा सकता बशर्ते कि कान की बीमारी बढ़ने वाली न हो। रेलवे सेवाओं के लिए यह बात लागू नहीं है।

(ख) उम्मीदवार बोलने में हकलाता है या नहीं।

(ग) उसके दांत अच्छी हालत में हैं या नहीं, और अच्छी तरह जबाने के लिए जरूरी होने पर नकली दांत लगे हैं या नहीं। अच्छी तरह भरे हुए दांतों को ठीक समझा जाएगा)।

(घ) उसकी छाती की बनावट अच्छी है या नहीं और छाती काफी फैलती है या नहीं तथा उसका दिल और फेफड़े ठीक हैं या नहीं।

(ङ) उसे पेट की कोई बीमारी है या नहीं।

(च) उसे रपचर (हार्निया या फटन) है या नहीं।

(छ) उसे हाइड्रोसील, बढ़ी हुई वरिकोसील शिरा (वेन) या बवासीर है या नहीं।

(ज) उसकी शाखाओं, हाथों और पैरों की बनावट और विकास अच्छा है या नहीं और उसकी संधियां भली भांति स्वतन्त्र रूप से हिलती हैं या नहीं।

(झ) उसे कोई चिरस्थायी त्वचा की बीमारी है या नहीं।

(ञ) कोई जन्मजात कुरचना या दोष है या नहीं।

(ट) उसमें किसी उग्र या जीर्ण बीमारी के निशान हैं या नहीं जिनसे कमजोर गठन का पता लगे।

(ठ) कारगर टीके के निशान है या नहीं।

(ड) उसे कोई संचारी (कम्युनिकेबल) रोग है या नहीं।

11. दिल और फेफड़ों की किसी ऐसी विलक्षणता का पता लगाने के लिये जो साधारण शारीरिक परीक्षा से ज्ञात न हो, सभी केसों में नेमी रूप से छाती की एक्स-रे परीक्षा की जानी चाहिये।

जब कोई दोष मिले तो उसे प्रमाण-पत्र में अवश्य ही नोट किया जाय। मेडिकल परीक्षक को अपनी राय लिख देनी चाहिये कि उम्मीदवार से अपेक्षित दक्षतापूर्ण ड्यूटी में इससे बाधा पड़ने की संभावना है या नहीं।

12. जहां तक मिली-जुली प्रतियोगिता परीक्षा के उम्मीदवारों का सम्बन्ध है, उनके लिये ऊपर पैरा 11 के नीचे की टिप्पणी में बताई गई अपील करने की कार्यविधि लागू नहीं होती। इस परीक्षा के उम्मीदवार को अपील की शुल्क 50 रु० भारत सरकार के इस सम्बन्ध में निर्धारित ढंग से जमा करना होता है। यह फीस केवल उन उम्मीदवारों को वापस मिलेगी जो अपीलीय स्वास्थ्य-परीक्षा बोर्ड द्वारा आरोग्य घोषित किये जायेंगे। शेष दूसरों के मामलों में यह जब्त कर ली जायगी। यदि उम्मीदार चाहे तो अपने आरोग्य होने के दावे के समर्थन में स्वस्थता प्रमाण-पत्र संलग्न कर सकते हैं। उम्मीदवारों को प्रथम स्वास्थ्य-परीक्षा बोर्ड द्वारा भेजे गये निर्णय के 21 दिन के अन्दर अपीलें करनी चाहियें अन्यथा दूसरी स्वास्थ्य परीक्षा के लिये अपीलीयर स्वास्थ्य-परीक्षा बोर्ड द्वारा दूसरी स्वास्थ्य परीक्षा केवल नई दिल्ली में ही होगी और इसका खर्च उम्मीदवारों को ही देना पड़ेगा दूसरी स्वास्थ्य परीक्षा के सम्बन्ध में की जानेवाली यात्राओं के लिये कोई यात्रा-भत्ता या दैनिक-भत्ता नहीं दिया जायगा। अपीलों के निर्धारित शुल्क के साथ प्राप्त होने पर अपीलीय या स्वास्थ्य-परीक्षा बोर्ड द्वारा की जाने वाली स्वास्थ्य-परीक्षा के प्रबन्ध के लिये मंत्रिमंडल सचिवालय कार्मिक विभाग द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जायगी।

**मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट**

मेडिकल परीक्षक के मार्गदर्शन के लिये निम्नलिखित सूचना दी जाती है :—

1. शारीरिक योग्यता (फिटनेस) के लिये अपनाये जाने वाले स्टैंडर्ड में सम्बन्धित उम्मीदवार की आयु और सेवा-काल (यदि हो) के लिये उचित गुंजाइश रखनी चाहिये।

किसी ऐसी व्यक्ति को पब्लिक सर्विस में भर्ती के लिये योग्य नहीं समझा जायगा जिसके बारे में यथास्थिति सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी (आपाइंटिंग अथारिटी) को, यह तसल्ली नहीं होगी कि उसे ऐसी कोई बीमारी या शारीरिक दुर्बलता (बाडिली इनफार्मिटी) नहीं है जिससे वह उस सेवा के लिये आयोग्य हो या आयोग्य होने की संभावना हो।

यह बात समझ लेनी चाहिये कि योग्यता का प्रश्न भविष्य से भी उतना ही संबद्ध है जितना वर्तमान से है और मेडिकल परीक्षा का एक मुख्य उद्देश्य निरन्तर कारगर सेवा प्राप्त करना और स्थायी [illegible] उम्मीदवारों के मामले में अकाल मृत्यु होने पर समय पूर्व पेंशन या अदायगियों को रोकना है। साथ ही यह भी नोट किया जाय कि यहां प्रश्न केवल निरंतर कारगर सेवा की संभावना का है और उम्मीदवार को अस्वीकृत करने की सलाह उस हालत

में नहीं दी जानी चाहिये जब कि उसमें कोई ऐसा दोष हो जो केवल बहुत कम स्थितियों में निरंतर कारगर सेवा में बाधक पाया गया हो।

महिला उम्मीदार की परीक्षा के लिये किसी लेडी डाक्टर को मेडिकल बोर्ड के सदस्य के रूप में सहयोजित किया जायगा।

भारतीय रक्षा लेखा सेवा (इंडियन डिफेंस अकाऊंट्स सर्विस) के उम्मीदवारों को भारत में और भारत से बाहर क्षेत्र सेवा (फील्ड सर्विस) करनी होगी। ऐसे उम्मीदवार के मामले में मेडिकल बोर्ड को इस बारे में अपनी राय विशेष रूप से रिकार्ड करनी चाहिये, कि उम्मीदवार क्षेत्र सेवा (फील्ड सर्विस) के योग्य है या नहीं।

डाक्टरी बोर्ड की रिपोर्ट को गोपनीय रखना चाहिये।

ऐसे मामलों में जब कि कोई उम्मीदवार सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिये अयोग्य करार दिया जाता है तो मोटे तौर पर उसके अस्वीकार किये जाने के आधार उम्मीदवार को बताये जा सकते हैं किन्तु डाक्टरी बोर्ड ने जो खराबी बताई हो उनका विस्तृत ब्यौरा नहीं दिया जा सकता।

ऐसे मामलों में जहां डाक्टरी बोर्ड का यह विचार हो कि सरकारी सेवा के लिये उम्मीदवार को अयोग्य बनाने वाली छोटी-मोटी खराबी चिकित्सा (औषध या शल्य) द्वारा दूर हो सकती है वहां डाक्टरी बोर्ड द्वारा इस आशा का कथन रिकार्ड किया जाना चाहिये। नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उस बारे में उम्मीदवार को बोर्ड की राय सूचित किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है और वह खराबी दूर हो जाय तो एक दूसरे डाक्टरी बोर्ड के सामने उस व्यक्ति को उपस्थित होने के लिये कहने में संबंधित प्राधिकारी स्वतंत्र है।

यदि कोई उम्मीदवार अस्थाई रूप से अयोग्य करार दिया जाये तो दुबारा परीक्षा की अवधि साधारणतया कम-से-कम छः महीने से कम नहीं होनी चाहिये। मिश्रित अवधि के बाद जब दूबारा परीक्षा हो तो ऐसे उम्मीदवारों को और आगे की अवधि के लिये अस्थाई तौर पर अयोग्य घोषित न कर नियुक्ति के लिये उनकी योग्यता के संबंध में अथवा वे इस नियुक्ति के लिये अयोग्य है ऐसा निर्णय अंतिम रूप से दिया जाना चाहिये।

**(क) उम्मीदवार का कथन और घोषणा**

अपनी मैडिकल परीक्षा से पूर्व उम्मीदवार को निम्नलिखत अपेक्षित स्टेटमैंट देना चाहिये और उसके साथ लगी हुई घोषणा (डिक्लेरेशन) पर हस्ताक्षर करने चाहियें। नीचे दिये गये नोट में उल्लिखित चेतावनी की ओर उम्मीदवार को विषेष रूप से ध्यान देना चाहिये।

1. अपना पूरा नाम लिखें .....
(साफ अक्षरों में)

2. अपनी आयु और जन्म स्थान बतायें.....

2. (क) क्या आप गोरखा, गढ़वाली, असमी, नागालैंड आदिम जातियों आदि से संबंधित हैं जिनका औसत कद दूसरों से छोटा होता है। 'हां' या 'नहीं' में उत्तर दीजिये और यदि उत्तर 'हां' में है तो उस जाति का नाम बताइये।

3. (क) क्या आपको कभी चेचक, रुक-रुक कर होने वाला या कोई दूसरा बुखार, ग्रंथियों (ग्लैंड्स) का बढ़ना या इनमें पीप पड़ना, थूक में खून आना, दमा, दिल की बीमारी, फेफड़े की बीमारी, मुर्छा के दौरे, रूमैटिज्म, एपेंडिसाइटिस हुआ है ?

अथवा

(ख) दूसरी कोई ऐसी बीमारी या दुर्घटना, जिसके कारण शय्या पर लेटे रहना पड़ा हो और जिसका मैडिकल या सर्जिकल इलाज किया गया हो, हुई है ?

4. आपको चेचक आदि का अंतिम टीका कब लगा था ?

5. क्या आपको अधिक काम या किसी दूसरे कारण से किसी किस्म की अधीरता (नर्वसनेस) हुई है ?

6. अपने परिवार के संबंध में निम्नलिखित ब्यौरा दें।

| यदि पिता जीवित हो तो उसकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था | यदि पिता की मृत्यु हो चुकी हो तो मृत्यु के समय पिता की आयु और मृत्यु का कारण |
|---|---|
| | |

| आपके कितने भाई जीवित हैं, उनकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था | आपके कितने भाइयों की मृत्यु हो चुकी है, मृत्यु के समय उनकी आयु और मृत्यु का कारण |
|---|---|
| | |

| यदि माता जीवित हो तो उसकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था | यदि माता की मृत्यु हो चुकी हो तो मृत्यु के समय उसकी आयु और मृत्यु का कारण |
|---|---|
| | |

| आपकी कितनी बहिनें जीवित हैं, उनकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था | आपकी कितनी बहिनों की मृत्यु हो चुकी है, मृत्यु के समय उनकी आयु और मृत्यु का कारण |
|---|---|
| | |

7. क्या इसके पहले किसी मेडिकल बोर्ड ने आपकी परीक्षा की है ? .....

8. यदि ऊपर के प्रश्न का उत्तर 'हां' हो तो बताइये किस सेवा/सेवाओं के लिये आपकी परीक्षा की गई थी ?

9. परीक्षा लेने वाला प्राधिकारी कौन था ? .....

10. कब और कहां मेडिकल बोर्ड हुआ ? .....

11. मेडिकल बोर्ड की परीक्षा का परिणाम यदि आपको बताया गया हो अथवा आपको मालूम हो । .....

मैं घोषित करता हूं कि जहां तक मेरा विश्वास है, ऊपर दिये गये सभी जवाब सही और ठीक हैं ।

उम्मीदवार के हस्ताक्षर

मेरे सामने हस्ताक्षर किये गये ।

बोर्ड के चेयरमैन के हस्ताक्षर

**नोट**—उपर्युक्त कथन की यर्थाथता के लिये उम्मीदवार जिम्मेदार होगा । जान-बूझकर किसी सूचना को छुपाने से वह नियुक्ति खो बैठने की जोखिम लेगा और यदि वह नियुक्त हो भी जाये तो बार्धक्य निवृति भत्ता (सुपरएनुएशन अलाउंस) या उपदान (ग्रेचुअटी) के सभी दावों से हाथ धो बैठेगा ।

(ख) .....की शारीरिक परीक्षा की/ मैडिकल बोर्ड की रिपोर्ट

1. सामान्य विकास : अच्छा.....बीच का .....कम
पोषण . पतला .....औसत.....मोटा.....
कद (जूते उतार कर).....वजन.....
अत्युत्तम वजन .....कब था ?.....
वजन में कोई हाल ही में हुआ परिवर्तन .....
तापमान.....
छाती का घेर .....
(1) पूरा सांस खींचने पर .....
(2) पूरा सांस निकालने पर .....
2. त्वचा—कोई जाहिरा बीमारी .....

3. नेत्र :
(1) कोई बीमारी .....
(2) रतोंधी .....
(3) कलर विजन का दोष.....
(4) दृष्टि क्षेत्र (फील्ड आफ विजन).....
(5) दृष्टि की पकड़ (विजुअल एक्विटी).....

| दृष्टि की पकड़ चश्मे के बिना | | चश्मे से | चश्मे की पावर | |
|---|---|---|---|---|
| | | गोल | सिलि० | अक्ष |
| दूर की नजर | दा ०ने० | | | |
| | बा० ने० | | | |
| पास की नजर | दा० ने० | | | |
| | बा० ने० | | | |
| हाइपरमेट्रोपिया (व्यक्त) | दा० ने० | | | |
| | बा० ने० | | | |

4. कान : निरीक्षण .....सुनना
दायां कान .....बायां कान .....
5. ग्रंथियां .....थाइराइट .....
6. दांतों की हालत .....

7. श्वसन तंत्र (रस्पिरेटरी सिस्टम) क्या शारीरिक परीक्षा करने पर सांस के अंगों में किसी विलक्षणता का पता लगा है ? यदि पता लगा है तो विलक्षणता का पूरा ब्यौरा दें ।

8. परिसंचरण तंत्र (सर्क्युलेटरी सिस्टम)
(क) हृदय : कोई आंगिक क्षति (आर्गेनिक लीजन) ? .....
गति रेट :
खड़े होने पर :
25 बार कुदाये जाने के बाद .....
कुदाये जाने के 2 मिनट बाद .....
(ख) ब्लड प्रेशर .....सिस्टालिक...डायस्टालिक .....

9. उदर (पेट) : घेर.....दाब वेदना (टैंडरनैस)
हर्निया .....
(क) दबा कर मालूम पड़ना, जिगर .....तिली. गुर्दे .....ट्यूमर .....
(ख) बवासीर के मस्से .....फिल्चुला ...

10. तांत्रिक तंत्र (नर्वस सिस्टम) तंत्रिका या मानसिक अशक्तता का संकेत .....

11. चाल तंत्र (लोकोमीटर सिस्टम) कोई विलक्षणता ...........

12. जनन-तंत्र (जेनिटो युरिनरी सिस्टम) /हाइड्रोसील, वेरिकोसील आदि का कोई संकेत। मूत्र परीक्षा :

(क) कैसा दिखाई पड़ता

(ख) स्पेसिफिक ग्रेविटी (अपेक्षित गुरुत्व)

(ग) एलब्यमेन

(घ) शक्कर

(ङ) कास्ट

(च) कोशिकायें (सेल्स)

13. छाती की एक्स-रे रिपोर्ट

14. क्या उम्मीदवार के स्वास्थ्य में कोई ऐसी बात है जिससे वह उस सेवा को दक्षतापूर्वक निभाने के लिये अयोग्य हो सकता है जिसके लिये वह उम्मीदवार है ?

15. (i) उन सेवाओं का उल्लेख करें जिनके लिये उम्मीदवार की परीक्षा की गई है :—

(क) भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय विदेश सेवा।

(ख) भारतीय पुलिस सेवा और दिल्ली और हिमाचल प्रदेश पुलिस सेवा, मनीपुर सुलिस सेवा तथा त्रिपुरा पुलिस सेवा ..........

(ग) केन्द्रीय सेवायें, श्रेणी I और II मणिपुर सिविल सेवा, त्रिपुरा सिविल सेवा, गोआ, दमन तथा दियु सिविल सेवा, पांडिचेरी सिविल सेवा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पुलिस सेवा .......

(ii) क्या यह निम्नलिखित सेवाओं में दक्षतापूर्वक और निरंतर काम करने के लिये सब तरह से योग्य पाया गया है :—

(क) भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय विदेश सेवा।

(ख) भारतीय पुलिस सेवा और दिल्ली और हिमाचल प्रदेश पुलिस सेवा (कद, छाती का घेर, नजर, रंग दिखाई न देना और चाल, खास तौर से देखें)

(ग) भारतीय रेलवे के परिवहन (यातायात) और वाणिज्य विभाग (कद, छाती, नजर, रंग दिखाई न देना, खास तौर से देखें)।

(घ) दूसरी केन्द्रीय सेवायें श्रेणी I/II

(iii) क्या उम्मीदवार क्षेत्र सेवा (फील्ड सर्विस) के लिये योग्य है।

**नोट**—बोर्ड को अपना जांच परिणाम निम्नलिखित तीन वर्गों में से किसी एक वर्ग में रिकार्ड करना चाहिये।

(i) योग्य (फिट)

(ii) अयोग्य (अनफिट) जिसका कारण......

(iii) अस्थायी रूप से योग्य, जिसका कारण ........

स्थान ....अध्यक्ष (प्रेसिडेंट) ................

तारीख .............सदस्य.............

सदस्य..............

**वित्त मंत्रालय**

**(आर्थिक-कार्य विभाग)**

नई दिल्ली, दिनांक 9 जून 1971

सं० एफ० 8(19)-एन० एस०/70—श्री शशि भूषण, संसद् सदस्य (लोकसभा) को तत्काल भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) के 16 जनवरी 1971 के संकल्प संख्या एफ० 8(19)-एन० एस०/70 द्वारा पुनर्गठित राष्ट्रीय बचत केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया जाता है।

प्रकाश नारायण मालवीय, अवर सचिव

**स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन मंत्रालय**

**(स्वास्थ्य विभाग)**

**संकल्प**

नई दिल्ली, दिनांक 29 मई, 1971

सं० 1-15/71-सी० एण्ड सी० डी०—संचारी रोग कार्यक्रमों से संबंधित विभिन्न केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के क्रियान्वयन से सम्बन्धित कार्य को तुरन्त निपटाने तथा बिना किसी विलम्ब के प्रशासनिक और वित्तीय अनुमोदन देने में शीघ्र निर्णय लिये जाने के लिए भारत सरकार यह आवश्यक समझती है कि एक कारगर और शीघ्रता से काम करने वाले तंत्र की स्थापना की जाए। तद्नुसार यह निश्चय किया गया है कि स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन (स्वास्थ्य विभाग) में एक शक्तिशाली बोर्ड का गठन किया जाए।

इस बोर्ड को "संचारी रोग नियंत्रण बोर्ड" कहा जायेगा और इस में निम्नलिखित सदस्य होंगे :

| | |
|---|---|
| (1) स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त सचिव जो जन स्वास्थ्य का काम देख रहे हों। | अध्यक्ष |
| (2) स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर महानिदेशक | सदस्य |
| (3) उप सचिव, लोक स्वास्थ्य प्रभाग के इन्चार्ज | सदस्य |
| (4) आन्तरिक वित्तीय सलाहकार | सदस्य |
| (5) स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशालय में संबंधित कार्यक्रम अधिकारी | सदस्य |
| (6) सहायक महानिदेशक, (सी० एच०) स्वास्थ्य सेवा का महानिदेशालय | सदस्य-सचिव |

2. इस बोर्ड का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा। यह बोर्ड जब कभी भी आवश्यक समझेगा अपनी बैठक बुला सकता है किन्तु महीने में कम-से-कम एक बैठक का आयोजन करना आवश्यक होगा तथा ऐसे अधिकारियों/विशेषज्ञों को जिन्हें यह बोर्ड आवश्यक समझे वे अपनी बैठकों में अभीमत कर किसी प्रयोजन के लिए

आवश्यक समझी जाने वाली उप-समितियां नियुक्त करने का अधिकार भी इसे होगा । इस बोर्ड के निम्नलिखित कार्य होंगे:—

(1) संचारी रोगों के नियंत्रण के बारे में केन्द्र पुरोनिधानित विभिन्न कार्यक्रमों के संबंध में निर्णय लेना और स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन मंत्रालय को प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करना जिसमें संसद् द्वारा पारित बजट प्रावधान में से वित्तीय संस्वीकृति देना भी सम्मिलित है ।

(2) उपर्युक्त केन्द्र पुरोनिधानित विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्विति की जांच करना और इस पर हुई प्रगति की समय-समय पर समीक्षा करना ।

(3) विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत राज्यों को दी जाने वाली सहायता की प्रणालियों का निश्चय करना तथा इस संबंध में संशोधन के लिए आए सभी प्रस्तावों पर विचार करना ।

(4) योजना आबण्टन और कार्यक्रम के वार्षिक परिव्यय विषयक प्रस्तावों पर विचार करना ।

(5) इन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में यदि कोई कमी और त्रुटियां हों तो उनका पता लगाना तथा जहां कहीं आवश्यक हो उन्हें दूर करने के लिए सुझाव देना ।

(6) विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत निर्धारित भौतिक लक्ष्यों की प्राप्ति को सुनिश्चित करना तथा वित्तीय परिव्यय का समुचित उपयोग करना जिसे आबंटित धन अनावश्यक रूप से वापस न किया जाए ।

(7) स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक के लिए आवश्यक समझी जाने वाली प्रशासनिक एवं वित्तीय दोनों प्रकार की प्रदत्त शक्तियों की समय-समय पर जांच करना तथा उन पर मंजूरी देना ।

(8) अपना काम काज चलाने के लिए प्रदत्त शक्तियों के अन्तर्गत नियम बनाना ।

(9) विभिन्न कार्यक्रमों पर आवश्यक रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए प्रतिवेदन एवं विवरणियां निर्धारित करना ।

**आदेश**

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति भारत सरकार के सभीमंत्रालयों/विभागों/स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशालय/संचारी रोग नियंत्रण बोर्ड के सभी सदस्यों को भेज दी जायेगी ।

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को आम सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाय ।

अमर नाथ वर्मा, उप-सचिव

## शिक्षा तथा समाज कल्याण मंत्रालय

### शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, दिनांक 10 जून 1971

सं० एफ० 22-1/69-सी० ए०(2)—शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एफ० 22-1/79-सी० ए० 1-2 दिनांक 3 मई, 1971 की पंक्ति 3 में "डा० पी० एल० मेहता" शब्दों के स्थान पर "डा० पी० एल० मेहरा" शब्द लिखें जाएं ।

एस० सी० सेठ, अवर सचिव

## CABINET SECRETARIAT

### (Department of Personnel)

*New Delhi*-1, *the* 10*th June* 1971

*No.* 4/2/70-*AIS(IV)*—In the Department of Personnel's Notification No. 4/2/70-AIS(IV), dated the 26th December 1970 published in Part I Section of 1 of the Gazette of India dated the 26th December 1970, the following corrections may be made:—

| Reference | Correction |
|---|---|
| *Rules* | |
| Page 1049, col. 2, para 1, line 1 | *For* the word "Tht" *substitute* the word "The". |
| Page 1050, col. 2, para 10, line 1 | *For* the word "unit" *substitute* the word "unless". |
| Page 1050, col. 2, para 12, line 4 | *For* the word "fale" *substitute* the word "false". |
| Page 1051, col. 1, para 21, line 2 | *For* the words "be advantage" *substitute* the words "be of advantage". |
| *APPENDIX II (Section II)* | |
| Page 1052, col. 1, para b(i), line 1 | *For* the word "candidates" *substitute* the words "candidate" |
| Page 1052, col. 1, para b (ii), line 1 | *For* the words "both subjects" *substitute* the words "both the subjects" |
| *Section III* | |
| Page 1052, col. 2, 2nd subpara unde item -Agronomy, line 3 | *For* the word "still" *substitute* the word "Soil". |
| Page 1053, col. 1, item 2, Organic Chemistry, line 3 | *For* the word "alcohils" *substitute* the word "alcohals" |
| Page 1053, col. 2, sub-para under item 4-Structural Engineering, line 6 | *For* the word "rooms" *substitute the word* "roofs". |
| Page 1054, col. 1, item 7-Geology, line 4 | *For* the word "suidivisions" *substitute* the word "sub-division". |
| *APPENDIX IV* | |
| Page 1056, col. 2, para 1, line 1 | For the words "provide lines" substitute the words "provide guide lines". |

M. R. BHARDWAJ, Under Secy.

*New Delhi, the* 26*th June* 1971

*No.* 15/2/71-*AIS*(I).—The rules for a combined competitive examination to be held by the Union Public Service Commission in 1971 for selection of Released Emergency Commissioned Officers/Short Service Commissioned Officers who were Commissioned in the Armed Forces after 1st November, 1962, for the purpose of filling vacancies reserved for them in the following Services are, with the concurrence of the Ministries concerned and the Comptroller and Auditor General of India in respect of the Indian Audit and Accounts Service, published for general information :—

(i) The Indian Administrative Service,

(ii) The Indian Foreign Service,

(iii) The Indian Police Service,

(iv) The Central Information Service, (Grade II), Class I,

(v) The Indian Audit & Accounts Service,

(vi) The Indian Customs & Central Excise Service,

(vii) The Indian Defence Accounts Service,

(viii) The Indian Income-tax Service (Class I),

(ix) The Indian Ordnance Factories Service, Class I, (Assistant Managers—Non-Technical),

(x) The Indian Postal Service,

(xi) The Indian Railway Accounts Service,

(xii) The Military Lands and Cantonments Service, Class I,

(xiii) The Indian Railway Traffic Service,

(xiv) The Delhi and Andaman & Nicobar Islands, Police Service, Class II,

(xv) The Central Secretariat Service, Section officers' Grade, Class II,

(xvi) The Customs Appraisers' Service, Class II,

(xvii) The Delhi and Andaman & Nicobar Islands Civil Service, Class II,

(xviii) The Indian Foreign Service, Branch (B) Section Officers' Grade, Class II,

(xix) The Railway Board Secretariat Service, Class II,

(xx) The Armed Forces Headquarters Civil Service-Superintendents' Grade, Class II,

(xxi) The Military Lands and Cantonments Service, Class II,

(xxii) The Manipur Police Service, Class II,

(xxiii) The Tripura Police Service, Class II,

(xxiv) The Manipur Civil Service, Class II,

(xxv) The Tripura Civil Service, Class II,

(xxvi) The Goa, Daman and Diu Civil Service, Class II, and

(xxvii) The Pondichery Civil Service, Class II.

A candidate may apply for admission to the examination in respect of any one or more of the Services mentioned above. He may specify in his application as many of these Services as he may wish to be considered for. Candidates are warned that they will not be considered for appointment to any Service not specified by them.

*N.B.I.*—Candidates are required to specify clearly in their applications the *order of preferences* for the services for which they wish to be considered. They are advised to indicate as many Services as they wish to, so that having regard to their ranks in the order of merit, due consideration can be given to their preferences when making appointments.

*N.B.II.*—No request for addition to or alteration in the order of preferences for the Services originally indicated by a candidate in his application will be considered unless such a request is received in the office of the Union Public Service Commission on or before 31st December, 1971.

A candidate who, on the results of the written part of the examination, qualifies for the *Viva Voce* for the Indian Administrative Service/Indian Police Service will be separately asked by the Cabinet Secretariat (Department of Personnel) to Communicate to them the order of preferences in which he would like to be considered for allotment to various States.

2. The number of vacancies to be filled on the results of the examination will be specified in the Notice issued by the Commission. Reservations will be made for candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in respect of vacancies as may be fixed by the Government.

Scheduled Castes/Tribes mean any of the Castes/Tribes mentioned in the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950, the Constitution (Scheduled Castes) (Part C States) Order, 1951, the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950, and the Constitution (Scheduled Tribes) (Part C States) Order, 1951, as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Lists (Modification) Order, 1956 read with the Bombay Reorganisation Act, 1960 and the Punjab Reorganisation Act, 1966; the Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order 1956, the Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes, Order, 1962, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962, the Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964, the Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order, 1967, the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968, the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968 and the Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970.

3. The examination will be conducted by the Union Public Service Commission in the manner prescribed in Appendix II to these Rules.

The dates on which and the places at which the examination will be held shall be fixed by the Commission.

4. Subject to the provisions of these Rules, all Emergency Commissioned Officers/Short Service Commissioned Officers who were commissioned in the Armed Forces after 1st November, 1962, and who have been released during 1971 prior to the date of this notification or are due to be released thereafter till the end of 1972 will be eligible to appear at this examination.

Provided that Emergency Commissioned Officers/Short Service Commissioned Officers commissioned in the Armed Forces after 1st November, 1962, who were released prior to 1971 shall be eligible to appear at the examination to the extent and in accordance with the provisions of Rule 8.

Note 1.—For the purpose of these Rules, "release" means

(i) release as per the scheduled year of release,

(ii) invalidment owing to a disability attributable to or aggravated by military service.

from the Armed Forces after a spell of service, and not during or at the end of training, or during or at the end of Short Service Commission granted to cover the period of such training prior to being taken in actual service nor does it cover cases of officers released on account of misconduct, or inefficiency or at their own request.

Note 2.—The expression "scheduled year of release" means—

(i) in so far as it relates to the Emergency Commissioned Officers, the year in which they are due for release in accordance with the phased programme approved by the Government of India in the Ministry of Defence; and

(ii) in so far as it relates to the Short Service Commissioned Officers, the year in which their normal tenure of 3 or 5 years, as the case may be as Short Service Commissioned Officers is to expire.

Note 3.—The candidature of a person is liable to be cancelled, if after submitting his application he is granted permanent Commission in the Armed Forces, or he resigns from the Armed Forces, or he is released therefrom on account of misconduct, inefficiency or at his own request.

Note 4.—Engineers and Doctors employed under the Central Government or State Governments or Government owned industrial undertakings who are required to serve in the Armed Forces for a minimum prescribed period under the Compulsory Liability Scheme and who are granted Short Service Commission under the relevant rules during the period of such service will not be eligible for admission to this examination.

Note 5.—Officers belonging to the Volunteer Reserve Forces of the Armed Forces and called upon for temporary service will not be eligible for admission to this examination.

5. (1) For the Indian Administrative Service and the Indian Police Service, a candidate must be a citizen of India.

(2) For other Services, a candidate must be either—

(a) a citizen of India, or

(b) a subject of Sikkim, or

(c) a subject of Nepal, or

(d) a subject of Bhutan, or

(e) a Tibetan refugee who came over to India, before the 1st January, 1962, with the intention of permanently settling in India, or

(f) a person of India origin who has migrated from Pakistan, Burma, Ceylon, and the East African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India.

Provided that a candidate belonging to categories (c), (d), (e) and (f) above shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India.

Certificate of eligibility will not, however, be necessary in the case of candidates belonging to any one of the following categories :—

(i) Persons who migrated to India from Pakistan before the nineteenth day of July, 1948, and have ordinarily been residing in India since then.

(ii) Persons who migrated to India from Pakistan on or after the nineteenth day of July, 1948, and have got themselves registered as citizens of India under Article 6 of the Constitution.

(iii) Non-citizens in category (f) above who entered service under the Government of India before the commencement of the Constitution, *viz.*, 26th January, 1950, and who have continued in such service since then. Any such person who re-entered or may re-enter such service with break after the 26th January, 1950 will, however require certificate of eligility in the usual way.

Provided further that candidates belonging to categories (c), (d) and (e) above will not be eligible for appointment to the India Foreign Service.

A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to the examination and he may also provisionally be appointed subject to the necessary certificate being given to him by the Government.

6. (a) A candidate must not have attained the age of 24 years on the first August of the year in which he joined the pre-Commission training in the Armed Forces or got the Commission (where there was only post-Commission training).

Provided that a candidate applying for admission to this examination under Rule 9(b) below must not have attained on the aforesaid date the age of

(i) 24 years, if he were, but for discontinuance of his studies on joining the Armed Forces, due to appear at an examination for the award of any of the qualications prescribed in Rule 9(a) below, in the year in which he joined the pre-Commission training or got the Commission (where there was only post-Commission training);

(ii) 23 years, if he were, but for discontinuance of his studies on joining the Armed Forces, due to appear at an examination for the award of any of the qualifications prescribed in Rule 9(a) below in the year following the year in which he joined the pre-Commission training or got the Commission (where there was only post-Commission training);

(iii) 22 years, if he were, but for discontinuance of his studies on joining the Armed Forces, due to appear at an examination for the award of any of the qualifications prescribed in Rule 9(a) below, in the second year following the year in which he joined the pre-Commission training or got the Commission (where there was only post-Commission training).

(iv) 21 years, if he were, but for discontinuance of his studies on joining the Armed Forces, due to appear at an examination for the award of any of the qualifications prescribed in Rule 9(a) below, in the third year following the year in which he joined the pre-Commission training or got the Commission (where there was only post-Commission training);

(v) 20 years, if he were, but for discontinuance of his studies on joining the Armed Forces, due to appear at an examination for the award of any of the qualifications prescribed in Rule 9(a) below, in the fourth year following the year in which he joined the pre-Commission training or got the Commission (where there was only post-Commission training); and

(vi) 19 years, if he were, but for discontinuance of his studies on joining the Armed Forces, due to appear at an examination for the award of any of the qualifications prescribed in Rule 9(a) below in the fifth year following the year in which he joined the pre-Commission training or got the Commission (where there was only post-Commission training).

(b) The age limit prescribed above will be relaxable :—

(i) up to a maximum of five years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe;

(ii) up to a maximum of three years if a candidate is a bona fide displaced person from East Pakistan and has migrated to India on or after 1st January 1964;

(iii) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a bona fide displaced person from East Pakistan and has migrated to India on or after 1st January, 1964;

(iv) up to a maximum of three years if a candidate is a resident of the Union Territory of Pondicherry and has received education through the medium of French at some stage;

(v) up to a maximum of three years if a candidate is a bona fide repatriate of Indian origin from Ceylon and has migrated to India on or after 1st November, 1964, under the Indo-Ceylon Agreement of October 1964;

(vi) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a bona fide repatriate of Indian origin from Ceylon and has migrated to India on or after 1st November, 1964, under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964;

(vii) up to a maximum of three years if a candidate is a resident of the Union Territory of Goa, Daman and Diu;

(viii) up to a maximum of three years if a candidate is of Indian origin and has migrated from Kenya, Uganda or the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar);

(ix) up to a maximum of three years if a candidate is a bona fide repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;

(x) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a bona fide repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;

(xi) up to a maximum of three years in the case of defence services personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area and released as a consequence thereof;

(xii) up to a maximum of eight years in the case of defence services personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area and released as a consequence thereof, who belongs to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes;

(xiii) up to a maximum of three years, if a candidate who joined the pre-Commission training in the Armed Forces or got the Commission (where there was only post-Commission training) in 1963, is a bona-fide displaced person from Pakistan. This concession is limited to the first admissible chance at the examination;

(xiv) up to a maximum of eight years if a candidate who joined the pre-Commission training in the Armed Forces or got the Commission (where there was only post-Commission training) in 1963, belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a bona fide displaced person from Pakistan. This concession is limited to the first admissible chance at the examination;

(xv) up to a maximum of four years if a candidate, who joined the pre-Commission training in the Armed Forces or got the Commission (where there was only post-Commission training) in 1963 or 1964 or 1965, is a resident of the Andaman and Nicobar

Islands. This concession is limited to the first admissible chance at the examination in the case of a candidate who joined the pre-Commission training, or got the Commission (where there was only post-Commission training) in 1965; and

(xvi) up to a maximum of three years if a candidate, who joined the pre-Commission training, or got the Commission (where there was only post-Commission training) in 1963 or 1964 or 1965, is an Indian citizen and is a repatriate from Ceylon. This concession is limited to the first admissible chance at the examination in the case of a candidate who joined the pre-Commission training, or got the Commission (where there was only post-Commission training) in 1965.

Note 1.—The provisions contained in clauses (xiii) and (xiv) of Rule 6(b) will not apply to candidates mentioned at Sl. Nos. (ii), (iii), (iv), (v) and (vi) in proviso to Rule 6(a).

Note 2.—The provisions contained in clauses (xv) and (xvi) of Rule 6(b) will not apply to candidates mentioned at Sl. Nos. (iii), (iv), (v) and (vi) in proviso to Rule 6(a) who joined pre-Commission training or got the Commission (where there was only post-Commission training) after 1963.

The provisions contained in clauses (xv) and (xvi) of Rule 6(b) will not apply to candidates mentioned at Sl. No. (ii) in proviso to Rule 6(a) who joined pre-Commission training or got the Commission (where there was only post-Commission training) after 1964.

SAVE AS PROVIDED ABOVE THE AGE LIMITS PRESCRIBED CAN IN NO CASE BE RELAXED.

7. No candidate shall be permitted to compete more than two times at the examination.

Provided that a candidate who had not attained the age specified in Rule 6 above on the first August of the year in which he joined the pre-Commission training in the Armed Forces, or got the Commission (where there was only post-Commission training), but had attained that age on the 1st August of the year succeeding the year in which he joined the pre-Commission training or got the Commission (where there was only post-Commission training) shall be permitted to compete only once at the examination.

Note I.—A candidate shall be deemed to have competed at the examination if he actually appears in any one or more subjects.

Note II.—In computing the number of attempts by a candidate under this Rule an attempt, if any, made by such candidate at the I.A.S. etc. (Released Emergency Commissioned/Short Service Commissioned Officers) Examination held prior to 1971 shall be taken into account.

8. Subject to the provisions of these Rules.

(1) a candidate who is eligible to take only one chance must take the examination held in the year preceding the year of his release; and

(2) a candidate who is eligible to take two chances must take the examinations held in the year preceding the year of his release and the year of his release.

Provided that—

(a) a candidate who has been invalided owing to a disability attributable to or aggravated by military service may, subject to the exception mentioned in the Notes below this rule, take the examination to be held in 1971,

(i) as his only chance, if invalided during 1970 after the closing date prescribed for receipt of applications for the 1970 examination, or during 1971 prior to the closing date prescribed for receipt of applications for the 1971 examination and if eligible to take one chance;

(ii) as his first chance, if invalided during 1970 after the closing date prescribed for receipt of applications for the 1970 examination, or during 1971 prior to the closing date prescribed for receipt of applications for the 1971 examination, and if eligible to take two chances;

(iii) as his second chance, if invalided during 1969 after the closing date prescribed for receipt of applications for the 1969 examination, or during 1970 prior to the closing date prescribed for receipt of applications for the 1970 examination and if eligible to take two chances;

(iv) as his second chance, if invalided during 1970 after the closing date prescribed for receipt of applications for the 1970 examination, and if he was due for release during 1971 according to the phased programme approved by the Government of India in the Ministry of Defence (in the case of an Emergency Commissioned Officer) or at the end of the normal tenure of 3 or 5 years service, as the case may be, (in the case of a Short Service Commissioned Officer).

Note 1.—The provisions contained in proviso (a) to this Rule will not apply to candidates invalided owing to a disability attributable to or aggravated by military service during 1969, 1970 and 1971 who were due for release in 1969, 1970 and 1971 respectively, according to the phased programme approved by the Government of India in the Ministry of Defence (in the case of Emergency Commissioned Officers) or at the end of the normal tenure of 3 or 5 years service, as the case may be (in the case of Short Service Commissioned Officers).

Note 2.—The provisions contained in clauses (i) and (ii) of proviso (a) to this Rule will not apply to candidates invalided owing to a disability attributable to or aggravated by military service during 1970 who were due for release in 1971 according to the phased programme approved by the Government of India in the Ministry of Defence (in the case of Emergency Commissioned Officers) or at the end of the normal tenure of 3 or 5 years service, as the case may be (in the case of Short Service Commissioned Officers).

Note 3.—The provisions contained in clause (iii) of proviso (a) to this Rule will not apply to candidates invalided owing to a disability attributable to or aggravated by military service during 1969 who were due for release in 1970 according to the phased programme approved by the Government of India in the Ministry of Defence (in the case of Emergency Commissioned Officers) or at the end of the normal tenure of 3 or 5 years service, as the case may be (in the case of Short Service Commissioned Officers).

(b) A Short Service Commissioned Officer, whose normal tenure of 3 or 5 years, as the case may be was extended for a further period and who did not appear at examination(s) held prior to 1970 because he had not received a warning in time that he must take the examination, if eligible, on the basis of the scheduled year of release, may take the examination to be held in 1971 as his second chance, if eligible to take two chances.

9. (a) A candidate must hold a degree of any of the Universities enumerated in Appendix I or must possess any of the qualifications mentioned in Appendix I-A.

Provided that—

(i) In exceptional cases the Union Public Service Commission may treat a candidate, who has not any of the foregoing qualifications, as a qualified candidate if he has passed examination conducted by other institutions, the standard of which in the opinion of the Commission, justifies his admission to the examination.

(ii) a candidate who is otherwise qualified but who has taken a degree from a foreign university which is not included in Appendix I, may also apply to the Commission and may be admitted to the examination at the discretion of the Commission.

(b) A candidate who, when he appeared before a Services Selection Board as a candidate for the grant of Emergency Commission/Short Service Commission in the Armed Forces was studying in a recognised institution e.g., a university/an institution affiliated to a university for the award of any of the qualifications prescribed in sub-Rule (a) of this Rule, but who having discontinued his studies because of joining the Armed Forces, had not acquired such qualification, will also be eligible to appear at the examination.

Note.—A candidate who has appeared at an examination the passing of which would render him eligible to appear at this examination vide Sub-Rule (a) of this Rule, but has not been informed of the result may apply for admission to the examination. A candidate who intends to appear at such a qualifying examination may also apply provided the qualifying examination is completed before the commencement of

this examination. Such candidates will be admitted to the examination, if otherwise eligible, but the admission would be deemed to be provisional and subject to cancellation of they do not produce proof of having passed the examination, as soon as possible and in any case not later than two months after the commencement of this examination.

10. A candidate who is appointed to the I.A.S. or I.F.S. on the results of an earlier examination will not be eligible to compete at this examination.

A candidate who is appointed to a Service mentioned in column (ii) below on the results of an earlier examination will be eligible to compete at this examination only for Services mentioned against that Service in column (iii) below.

| Sl. No. | Service to which appointed | Service for which eligible to Compete |
|---|---|---|
| (i) | (ii) | (iii) |
| 1. | Indian Police Services | I.A.S., I.F.S. and other Central Service, Class I. |
| 2. | Central Services Class I other than I.F.S. | I.A.S., I.F.S. and I.P.S. |
| 3. | Central Services, Class II Delhi and Andmana& Nicobar Islands Civil Service, Manipur Civil Service, Tripura Civil Service, Goa, Daman and Diu Civil Service, Pondicherry Civil Service, Delhi & Andman Nicobar Islands Police Service, Manipur Police Service and Tripura Police Service. | I.A.S., I.P.S. I.F.S. and other Central Services Class I |

11. A candidate serving in the Armed Forces must submit his application for this examination to the Officer Commanding his unit who will forward it to the Union Public Service Commssion. A candidate who is himself the officer Commanding his Unit must submit his application through his next superior officer.

All other candidates in Government Service must obtain prior permission of the Head of the Department to appear for the Examination.

12. The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final.

13. No candidate will be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission from the Commission.

14. Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may disqualify him for admission.

15. A candidate who is or has been declared by the Commission guilty of impersonation or of submitting fabricated documents or documents which have been tampered with or of making statements which are incorrect or false or of suppressing material information or otherwise resorting to any other irregular or improper means for obtaining admission to the examination, or of using or attempting to use unfair means in the examination hall or of misbehaviour in the examination hall may in addition to rendering himself liable to criminal prosecurtion :—

(a) be debarred permanently or for a specified period;

(i) by the Commission, from admission to any examination or appearance at any interview held by the Commission for selection of candidates; and

(ii) by the Central Government from employment under them;

(b) be liable to disciplinary action under the appropriate rules, if he is already in service under Government.

16. Candidates who obtain such minimum qualifying marks in the written examination as may be fixed by the Commission in their discretion shall be summoned by them for the *viva voce*.

17. After the examination, the candidates will be arranged by the Commission in the order of merit as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidate, and in that order so many candidates as are found by the Commission to be qualified by the examination shall be recommended for appointment.

Provided that candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes may, to the extent the number of vacancies reserved for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes can not be filled on the basis of the general standard, be recommended by the Commission by a relaxed standard to make up the deficiency in the reserved quota, subject to the fitness of these candidates for appointment to the Services, irrespective of their ranks in the order of merit at the examination.

18. (a) If on the result of the examination, a sufficient number of qualified candidates is not available to fill the vacancies reserved for released Emergency Commissioned Officers/Short Service Commissioned Officers, the unfilled vacancies shall be filled in the manner prescribed by the Goverment in this behalf.

(b) If the number of qualified candidates is larger than the number of vacancies reserved for released Emergency Commissioned Officers/Short Service Commissioned Officers, the names of those who are not appointed shall be kept on the waiting list(s) for appointment against the quota of vacancies reserved for them in the succeeding year(s).

19. The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Commission in their discretion and the Commission will not enter into correspondence with them regarding the result.

20. Due consideration will be given, at the time of making appointments on the results of this examination, to the preferences expressed by a candidate for various Services at the time of his application.

Provided that a candidate who is appointed to the I.A.S. or I.F.S. on the results of an earlier examination will not be considered for allotment to any other Service on the results of this examination.

Provided further that a candidate who is appointed to a Service mentioned in column (ii) below on the results of an earlier examination will be considered only for allotment to Services mentioned against that Service in column (iii) below, on the results of this examination.

| Sl. No. | Service to which appointed | Service to which allottment will be considered |
|---|---|---|
| (i) | (ii) | (iii) |
| 1. | India Police Service | I.A.S., I.F.S., and other Central Services, Class I |
| 2. | Central Service Class I other than I.F.S. | I.A.S., I.F.S., and I.P.S. |
| 3. | Central Services, Class II Delhi and Andaman & Nicobar Islands Civil Service, Manipur Civil Service, Tripura Civil Service, Goa, Daman and Diu Civil Service, Pondicherry Civil Service, Delhi & Andaman man Nicobar Islands Police Service, Manipur Police Service and Tripura Police Service. | I.A.S., I.P.S. I.F.S. and other Central Service Class I. |

21. Success in the examination confers no right to appointment, unless Government are satisfied after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respects for appointment to the Service.

22. A candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the discharge of his duties as an officer of the Service. A candidate who after such medical examination as Government or the appointing authority, as the case may be, may prescribe is found not to satisfy these requirements, will not be

appointed. Any candidate called for the *viva voce* by the Commission may be required to undergo medical examination.

NOTE.—In order to prevent disappointment candidates are advised to have themselves examined by a Government Medical Officer of the standing of a Civil Surgeon, before applying for admission to the examination. Particulars of the nature of the medical test to which candidates will be subjected before appointment and of the standards required are given in Appendix IV to these Rules. For the disabled ex-Defence Services personnel the standards will be relaxed consistent with the requirements of each Service.

23. No person

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person

shall be eligible for appointment to service.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

24. Under no circumstances, the officers appointed to the Indian Foreign Service will be allowed to marry persons other than those of Indian nationality.

25. Candidates are informed that some knowledge of Hindi prior to entry into Service would be of advantage in passing departmental examinations which candidates have to take after entry into Service.

26. Brief particulars relating to the Services to which recruitment is being made through this examination are given in Appendix III.

B. NARASIMHAN
Under Secy.

## APPENDIX I

*List of Universities approved by the Government of India*

(vide *Rule* 9)

### INDIAN UNIVERSITIES

Any University incorporated by an Act of the Central or State Legislature in India and other educational institutes established by an Act of Parliament, or declared to be deemed as Universities under Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956.

### UNIVERSITIES IN BURMA

The University of Rangoon.
The Mandalay University.

### ENGLISH AND WELSH UNIVERSITIES

The Universities of Birmingham, Bristol, Cambridge Durham, Leeds, Liverpool, London, Manchester, Oxford, Reading, Shefield and Wales.

### SCOTTISH UNIVERSITIES

The Universities of Aberdeen, Edinburgh, Glasgow and St. Andrews.

### IRISH UNIVERSITIES

The University of Dublin (Trinity College).
The National University of Ireland.
The Queen's University, Belfast.

### UNIVERSITIES IN PAKISTAN

The University of Punjab.
The Dacca University.
The University of Sind.
The Rajshahi University.

### UNIVERSITY IN NEPAL

The Tribhuvan University, Kathmandu.

## APPENDIX I-A

*List of qualifications recognised for admission to the examination* (vide *Rule* 9).

1. Shastri of Kashi Vidyapith, Varanasi.
2. French Examination "propedeutique."
3. Diploma in Rural Services of the National Council of Rural Higher Education.
4. Diploma in Rural Services of the Visva Bharati University.
5. National Diploma in Commerce of All India Council for Tech. Education.
6. National Diploma in Engineering or Technology of the All India Council for Technical Education, recognised by the Government for recruitment to superior Services and posts under the Central Government.
7. Higher Course' of Shri Aurovindo International Centre of Education, Pondicherry, provided that the Course has been successfully completed as a "full student."
8. Diploma in Mining Engineering of the Indian School of Mines, Dhanbad.
9. Diploma in the field of Humanities and Natural Sciences attesting graduation from a Higher Educational Establishment in the U.S.S.R. without defending first scientific thesis but having passed the State Examinations.
10. Shastri (with English) or Old Shastri or Sampurna Shastri examination with special examination in additional subjects with English as one of the subjects, i.e. Varishta Shastri of Varanaseya Sanskrit Vishwa Vidyala, Varanasi.
11. Alankar degree of Gurukul Vishwa Vidyalaya, Kangri, Hardwar.

## APPENDIX II

*Plan of the Examination*

1. The competitive examination comprises :

(a) Written examination in three subjects as shown in para 2 below carrying a maximum of 450 marks.

(b) *Vice voce* for such of the candidates as may be called by the Commission carrying a maximum of 250 marks of which 50 marks shall be assigned to the Evaluation of the Record of Service in the Armed Forces.

2. The subjects of the written examination, the time allowed and the maximum marks allotted to each subject will be as follows :

| Subject | Time allowed | Maximum Marks |
|---|---|---|
| (*i*) Essay | 3 hours | 150 |
| (*ii*) General English | 3 hours | 150 |
| (*iii*) General Knowledge | 3 hours | 150 |

3. The syallabus for the examination will be as in the attached Schedule.

4. (*a*) The question papers in 'Essay' and 'General Knowledge', *vide* items (*i*) and (*iii*) respectively in para 2 above, may be answered in English, or in any *one* of the languages mentioned in the Eighth Schedule to the Constitution, viz., Assamese, Bengali, Gujarati, Hindi, Kanada, Kashmiri, Malayalam, Marathi, Oriya, Punjabi, Sanskrit, Sindhi, Tamil, Telugu, and Urdu. Candidates exercising the option to answer both the papers in a language other than English must choose the same language for both the papers. *The option will apply to a complete paper and not to a part thereof.*

(*b*) The question paper in 'General English' *vide* item (*ii*) in para 2 above must be answered in English.

*Note* I—A candidate desirous of answering the question paper(s) mentioned in para 4 (*a*) above in a language other than English must clearly indicate, in column 33 of the Application Form, the name of that language against the paper(s) concerned. If no entry is made in the said column in respect of either or both of the papers, it will be assumed that the paper/papers will be answered in English. The *option once exercised shall be treated as final and no request for alteration or addition in the said column shall be entertained.*

*Note II*—Candidates exercising the option to answer the paper(s) referred to in para 4(*a*) above in any of the languages mentioned in the English Schedule to the Constitution will be required to write their answers in the respective script indicated below :—

| Language | Script |
|---|---|
| 1. Assamese | Assamese |
| 2. Bengali | Bengali |
| 3. Gujarati | Gujarati |
| 4. Hindi | Devanagari |
| 5. Kannada | Kannada |
| 6. Kashmiri | Persian |
| 7. Malayalam | Malayalam |
| 8. Marathi | Devanagari |
| 9. Oriya | Oriya |
| 10. Punjabi | Gurmukhi |
| 11. Sanskrit | Devanagari |
| 12. Sindhi | Devanagari or Arabic |
| 13. Tamil | Tamil |
| 14. Telugu | Telugu |
| 15. Urdu | Persian |

*Candidates exercising the option to answer the paper(s) referred to in para 4(a) above in *Sindhi*, must also indicate in column 33 of the application form, the name of the *particular script* (Devanagari *or* Arabic) which they will adopt.

5. Candidates must write the papers in their own hand. In no circumstances will they be allowed the help of a scribe to write the answers for them.

6. The Commission have discretion to fix qualifying marks in any or all the subjects of the examination.

7. If a candidate's handwriting is not easily legible a deduction will be made on this account from the total marks otherwise accruing to him.

8. Marks will not be allotted for mere superficial knowledge.

9. Credit will be given for orderly, effective and exact expression combined with the due economy of words in all subjects of the examination.

## SCHEDULE

(*vide* PARA 3 OF APPENDIX II)

### PART A

1. *Essay.*—Candidates will be required to write an essay. A choice of subjects will be given. They will be expected to keep closely to the subjects of the essay, to arrange their ideas in orderly fashion, and to write concisely. Credit will be given for effective and exact expression.

2. *General English.*—Candidates will be required to answer questions designed to test their understanding of English and workmanlike use of words. Some of the questions will be devised to test also their reasoning power, their capacity to perceive implications, and their ability to distinguish between the important and the less important. Passages will usually be set for summary or precis. Credit will be given for concise and effective expression.

3. *General Knowledge.*—Including knowledge of current events and of such matters of everyday observation and experience in their scientific aspects as may be expected of an educated person who has not made a special study of any scientific subject. The paper will also include questions on History of India, and Geography of a nature which candidates should be able to answer without special study, and questions on the teachings of Mahatma Gandhi.

### PART 'B'

*Viva Voce* : The candidates will be examined by a Board who will have before them a record of the career of each candidate, including service in the Armed Forces. The candidate will be asked questions on matters of general interest as also on his experience in the Armed Forces. The object on the *Viva Voce* is an assessment of the suitability of the candidate for the Services for which he has applied by a Board of competent and unbiased observers.

The technique of the *Viva Voce* is not that of a strict cross examination, but of a natural though directed and purposive conversation, which is intended to reveal the mental qualities of the candidate *e.g.*, mental alertness and initiative, critical powers of assimilation, clear and logical exposition, balance of judgement, variety and depth of interest, ability for social cohesion and leadership, intellectual and moral integrity.

## APPENDIX III

The Appendix briefly describes the conditions of service as applicable to candidates recruited through the regular I.A.S. etc. Examination. The seniority and pay of the candidates who may be appointed on the results of this examination would be regulated in accordance with the special orders issued by the Government in this behalf.

1. *Indian Administrative Service.*—(a) Appointments will be made on probation for a period of two years which may be extended. Successful candidates will be required to undergo probation at such place and in such manner and pass such examinations during the period of probation as the Government of India may determine.

(b) If, in the opinion of Government, the work or conduct of an officer on probation is unsatisfactory or shows that he is unlikely to become efficient, Government may discharge him forthwith.

(c) On the conclusion of his period of probation, Government may confirm the officer in his appointment or, if his work or conduct has in the opinion of Government been unsatisfactory, Government may either discharge him from the Service or may extend his period of probation for such further period as Government may think fit.

(d) If the power to make appointments in the Service is delegated by Government to any officer that officer may exercise any of the powers of Government under clauses (b) and (c) above.

(e) An officer belonging to the Indian Administrative Service will be liable to serve anywhere in India or abroad either under the Central Government or under a State Government.

(f) Scales of pay :—

Junior Scale—Rs. 400-400-500-40-700-EB-30-1,000 (18 years).

Senior Scale—

(i) Time Scale.—Rs. 900 (6th year or under) 50—1,000-60-1,600-50-1,800 (22 years).

(ii) Selection Grade.—Rs. 1,800-100-2,000.

In addition there are super-time scale posts carrying pay between Rs. 2,150 and Rs. 3,500, to which Indian Administrative Service Officers are eligible for promotion.

Dearness allowance will be admissible in accordance with the orders issued from time to time.

A probationer will start on the Junior time scale and permitted to count the period spent on probation towards leave, pension or increment in the time scale.

(g) *Provident Fund.*—Officers of the Indian Administrative Service are governed by the All India Services (Provident Fund) Rules, 1955.

(h) *Leave.*—Officers of the Indian Administrative Service are governed by the All India Services (Leave) Rules, 1955.

(i) *Medical Attendance.*—Officers of the Indian Administrative Service are entitled to medical attendance benefits admissible under the All India Services (Medical Attendance) Rules, 1954.

(j) *Retirement benefits.*—Officers of the Indian Administrative Service appointed on the basis of Competitive Examination are governed by the All India Services (Death-*cum*-Retirement Benefits) Rules, 1958.

2. *Indian Foreign Service.*—(a) Appointment will be made on probation for a period which will not ordinarily exceed 3 years. Successful candidates will be required to pursue a course of training in India for approximately twenty-one months. Thereafter they may be posted as Third Secretaries or Vice-Consuls in Indian Mission whose languages are allotted to them as compulsory languages. During their period of training the probationers will be required to pass one or more departmental examinations before they become eligible for confirmation in Service.

(b) On the conclusion of his period of probation to the satisfaction of Government and on his passing the prescribed

examinations, the Probationer is, confirmed in his appointment. If, however, his work or conduct has, in the opinion of the Government, been unsatisfactory, Government may either discharge him from the Service or may extend his period of probation for such period as they may think fit or may revert him to his substantive post, if any.

(c) If, in the opinion of Government, the work or conduct of an officer on probation is unsatisfactory or shows that he is not likely to prove suitable for the Foreign Service, Government may either discharge him forthwith or may revert him to his substantive post, if any.

(d) Scales of pay :—

Junior Scale.—Rs. 400—400—500—40—700—EB—30—1,000.

Senior Scale.—Rs. 900 (6th year or under)—50—1,000—60—1,600—50—1,800.

In addition there are super-time scale posts carrying pay between Rs. 1,800 and Rs. 3,500 to which I.F.S. Officers are eligible for promotion.

(e) A probationer will receive the following pay during probation :—

First Year—Rs. 400 per mensem.

Second Year—Rs. 400 per mensem.

Third Year—Rs. 500 per mensem.

NOTE 1.—A probationer will be permitted to count the periods spent on probation towards leave, pension or increment in the time scale.

NOTE 2.—Annual increments during probation will be contingent on the probationer passing the prescribed tests, if any, and showing progress to the satisfaction of Government, Increments can also be earned in advance by passing the departmental examination.

NOTE 3.—The pay of a Government servant who held a permanent post other than a tenure post in a substantive capacity prior to his appointment as a probationer will be regulated subject to the provision of F.R. 22-B(1).

(f) An officer belonging to the Indian Foreign Service will be liable to serve anywhere inside or outside India.

(g) During Service abroad I.F.S. officers are granted foreign allowances according to their status to compensate them for the increased cost of living and of servants and also to meet their special responsibilities in regard to entertainment. In addition, the following concessions are also admissible to I.F.S. officer during service abroad :—

(i) Free furnished accommodation according to status.

(ii) Medical attendance facilities under the Assisted Medical Attendance Scheme.

(iii) Return air passage to India up to a maximum of two, for special emergencies such as the death or serious illness of an immediate relation in India or marriage of daughter.

(iv) Annual return air passage for children between the ages of 8 and 21 studying in India to visit the parents during the long vacations, subject to certain conditions.

(v) An allowance for the education of children up to a maximum of two children between the ages of 5 and 18 at rates prescribed by Government from time to time.

(vi) Outfit allowance at the time of departure for training abroad and on confirmation in the service. Outfit allowance is also granted to various stages of an officer's career in accordance with the prescribed rules. Special outfit allowance is admissible in addition to the ordinary outfit allowance to officers posted in countries where abnormally hard climatic conditions exist.

(vii) Home leave passages for officers, their families and servants after a minimum of 2 years service abroad.

(h) The Revised Leave Rules, 1933, as amended from time to time will apply to Members of the Service subject to certain modifications. For Service abroad I.F.S. Officers are entitled under the I.F.S. (PLCA) Rules, 1961, to an additional credit of leave to the extent of 50 per cent of leave admissible under the Revised Leave Rules.

(i) *Provident Fund.*—Officers of the Indian Foreign Service are governed by the General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960.

(j) *Retirement Benefits.*—Officers of the Indian Foreign Service appointed on the basis of competitive examination are governed by the Liberalised Pension Rules, 1950.

(k) While in India officers are entitled to such concessions as are admissible to other Government Servants of equal and similar status.

3. *Indian Police Service.*—(a) Appointment will be made on probation for a period of two years which may be extended. Successful candidates will be required to undergo probation at such place and in such manner and pass such examinations during the period of probation as Government may determine.

(b) As in clauses (b), (c) and (d) for the Indian.

(c) Administrative Service.

(d)

(e) An officer belonging to the Indian Police Service will be liable to serve anywhere in India or abroad either under the Central Government or under a State Government.

(f) Scales of pay :—

Junior Scale.—Rs. 400—400—450—30—600—35—670—EB—35—950 (18 years).

Senior Scale.—Rs. 740 (6th year or under)—40—1,100—50/2—1,250—50—1,300 (22 years).

Selection Grade.—Rs. 1,400.

Deputy Inspector General of Police.—Rs. 1,600—100—2,000.

Commissioners of Police, Calcutta and Bombay—Rs. 1,800—100—2,000.

Inspector General of Police.—Rs. 2,500—125/2—2,750.

Director, Intelligence Bureau.—3,000.

Dearness allowance will be admissible in accordance with the orders issued from time to time.

(g)

(h) As in clauses (g), (h), (i) and (j) for the

(i) Indian Administrative Service.

(j)

4. *The Central Information Service, Grade II (Class I).*—

(a) The Central Information Service consists of posts all over India in various media organisations of the Ministry of Information and Broadcasting requiring journalistic and similar professional qualifications with previous experience of work on a newspaper or news agency or publicity organisations. The service was constituted with effect from 1st March, 1969.

(b) The Service has at present the following grades :—

| Grade | Scale of Pay |
|---|---|
| Class I | |
| Selection Grade | Rs. 2500—125/2—2750. |
| Senior Administrative Grade | |
| (Senior Scale) | Rs. 1,800—100—2,000. |
| (Junior Scale) | Rs. 1,600—100—1,800. |
| Junior Administrative Grade | |
| (Senior Scale) | Rs. 1,300—60—1,600 |
| (Junior Scale) | Rs. 1,100—50—1,400 |
| Grade I | Rs. 700—40—1,100—50/2—1,250. |
| Grade II | Rs. 400—400—450—30—600—35—670—EB—35—950. |
| Class II (Gazetted) | |
| Grade III | Rs. 350—25—500—30—590—EB—30—800. |
| Class II (Non-Gazetted) | |
| Grade IV | Rs. 270—10—290—15—40—EB—15—485. |

(c) Direct recruitment is made to the percentage of vacancies as specified below, in the following grades of the service:—

| | |
|---|---|
| Junior Administrative Grade (Junior Scale) | 12½ % |
| Grade I | 25% |
| Grade II | 50% |
| | of permanent vacancies |
| Grade IV | 100% |

Vacancies in Grade III are filled by selection from amongst officers who have been recommended by the Commission under rule 5 for appointment to a duty post in a grade not lower than Grade III and if sufficient number of such officers are not available, than by promotion, on selection basis, on the recommendations of a Departmental Promotion Committee from amongst officers who have completed five years' continuous approved service in a duty post in Grade IV.

50% permanent and all temporary vacancies in Grade II, 75% vacancies in Grade I and 87½% vacancies in the Junior Administrative Grade (Junior Scale) are filled by promotion by selection from amongst officers holding duty posts in the next lower grades.

Vacancies in the Selection Grade, Senior Administrative Grade (Senior Scale), and Senior Administrative Grade (Junior Scale), and Junior Administrative Grade (Senior Scale) are filled by selection from amongst officers holding duty posts in the respective next lower grade, in case no suitable officer is available for such promotion, recruitment to such vacancies in the Selection Grade and Senior Administrative Grade is to be made in consultation with the Union Public Service Commission. Vacancies in the Junior Administrative Grade, (Senior Scale) are filled by promotion on the basis of seniority-*cum*-fitness from amongst officers holding duty post in the junior scale of that grade.

The Government can fill, in consultation with the Union Public Service Commission, in any grade a number of posts not exceeding 10% of the strength of that grade, by the appointment of officers of State Publicity Organisations on deputation, for such period not exceeding five years, as the Government may specify. The posts so filled are taken into account in determining the number of posts to be filled by promotion or by direct recruitment.

(d) (i) Direct recruits to Grade II will be on probation for two years. During probation they will be given training in the Indian Institute of Mass Communication on a newspaper or news agency, in different media units of the Ministry of Information and Broadcasting and at the National Academy of Administration. The total period of training will be about 15 months. The period and nature of training will be liable to alteration by Government. During the training, they will have to pass the 'end-of-the-course test' at the National Academy of Administration and first and second departmental tests at the Indian Institute of Mass Communication, which will include a language test. Failure to pass the departmental test during the training period involves liability to discharge from service or revertion to substantive post, if any, on which the candidate may hold lien.

(ii) On the conclusion of period of probation Government may confirm the direct recruits in their appointments in accordance with the rules in force. If the work or conduct of an officer on probation is unsatisfactory, he may be discharged from service or his period of probation extended for such period as the Government may deem fit. If his work or conduct is such as to show that he is unlikely to become an efficient Grade II officer of the Service, he may be discharged forthwith.

(iii) Probationers shall start on the minimum of the time scale of Grade II. On passing the first departmental test, the pay of Probationers will be raised to Rs. 450/- in the scale of pay of Grade II of the Central Information Service. On passing the second Departmental test, the pay will be fixed at the stage of Rs. 480/-. The pay beyond the stage of Rs. 480/- will not be allowed unless they have completed 4 years of service, subject to other conditions as may be found necessary. In case any of the Probationer does not pass the 'end-of-the-course-test' at the National Academy of Administration, Mussoorie, his first increment will be postponed by one year from the date on which he would have drawn it or up to the date on which under the departmental regulations the second increment accrues, whichever is earlier.

(iv) The pay of a Government servant who held a permanent post, other than a tenure post in a substantive capacity prior to his appointment as probationer, will, however, be regulated subject to the provisions of F.R. 22-B(I).

(e) Government may require any member of the Service to hold for a specified period a post in the publicity organisation of a Union Territory.

(f) Government may post an officer to hold a field post in any organisation under the Ministry of Information and Broadcasting.

(g) As regards leave, pension and other conditions of service officers of the Central Information Service will be treated like other Class I and Class II officers.

NOTE.—It should be clearly understood by probationers that their appointment would be subject to any change in the constitution of the Central Information Service which the Government of India may think proper to make from time to time, and that they would have no claim for compensation in consequence of any such changes.

5. *Indian Audit and Accounts Service.*
6. *Indian Customs and Central Excise Service.*
7. *Indian Defence Accounts Service.*

(a) Appointments will be made on probation for a period of 2 years, provided that this period may be extended if the officer on probation has not qualified for confirmation by passing the prescribed departmental examinations. Repeated failures to pass the departmental examinations within a period of 3 years will involve loss of appointment.

(b) If, in the opinion of Government or the Comptroller and Auditor General, as the case may be, the work or conduct of an officer on probation is unsatisfactory, or shows that he is unlikely to become efficient, Government may discharge him forthwith.

(c) On the conclusion of his period of probation Government or the Comptroller and Auditor General as the case may be may confirm the officer in his appointment or if his work or conduct has, in the opinion of Government or the Comptroller and Auditor General, as the case may be, been unsatisfactory Government may either discharge him from the service or may extend his period of probation for such further period as Government may think fit, provided that in respect of appointments to temporary vacancies there will be no claim to confirmation.

(d) In view of the possibility of the separation of Audit from Accounts and other reforms the constitution of the Indian Audit and Accounts Service is liable to undergo changes and any candidate selected for that Service will have no claim for compensation in consequence of any such changes and will be liable to serve either in the separated Accounts Offices under the Central or State Government or in the Statutory Audit Office under the Comptroller and Auditor General and to be absorbed finally if the exigencies of service required it in the cadres on which posts in the separated Accounts Offices under the Central or State Governments may be borne.

(e) The Indian Defence Accounts Service carries with it a definite liability for service in any part of India as well as for Field Service in or out of India.

(f) Scales of pay :—

*Indian Audit and Acounts Service* :

Time Scale of I.A. & A.S.—Rs. 400—400—450—30—610—EB—700—40—1,100—50/2—1,250.

Junior Administrative Grade.—Rs. 1,300—60—1,600.

Accountants General—Rs. 1,800—100—2,000—125—2,250.

Additional Deputy Comptroller & Auditor General's Grade.—Rs. 2,500—125/2—2,750.

NOTE 1.—Probationary Officers will start on the minimum of the time scale of I.A. & A. S. and will count their service for increments from the date of joining.

NOTE 2.—The officers on probation will not be allowed pay above the stage of Rs. 400 unless they pass the departmental examination in accordance with the rules which will be prescribed from time to time.

NOTE 3.—In the case of probationers who do not pass the 'End-of-the-Course Test' at the National Academy of Administration, Mussoorie, the first increment raising their pay to Rs. 450 shall be postponed by one year from the date on which they would have drawn it or up to the date on which, under the Departmental regulations, the second increment accrues to them, whichever is earlier. The failed candidates will not be required to take the test again.

NOTE 4.—The pay of a Government servant who held a permanent post, other than a tenure post, in a substantive capacity perior to his appointment as probationer, will however be regulated subject to the provisions of F.R. 22(B)(1).

*Indian Customs and Central Excise Service* :

Time Scale :—

Superintendent of Central Excise, Class I, Assistant Collector of Central Excise, Assistant Collector of Customs.—Rs. 400—400—450—30—510—EB—700—40—1,100—50/2—1,250.

Deputy Collector of Customs, Deputy Collector of Central Excise Additional Collector, Appellate Collector.—Rs. 1,300—60—1,600.

Collector of Customs Collector of Central Excise.—Rs. 1,300—100—2,000—125—2,250.

(a) Appointments will be made on probation for a period of 2 years, provided that this period may be extended if the officer on probation has not qualified for confirmation by

passing the prescribed departmental examinations. Repeated failures to pass the departmental examinations within a period of 2 years will involve loss of appointment.

(b) If, in the opinion of the Government, the work or conduct of an officer on probation is unsatisfactory, or shows that he is unlikely to become efficient, Government may discharge him forthwith.

(c) On the conclusion of his/her period of probation Government may confirm the officer in his/her appointment of if his/her work or conduct has in the opinion of Government been unsatisfactory, Government may either discharge him/her from the Service or may extend his/her period of probation for such further period as Government may think fit, provided that in respect of appointments to temporary vacancies there will be no claim to confirmation.

(d) The Indian Customs and Central Excise Service, Class I, carries with it a definite liability for service in any part of India.

NOTE 1.—A probationary officer will start on the minimum of the time scale of pay of Rs. 400—400—450—30—510—EB—700—40—1,100—50/2—1,250, and will count his/her service for increments from the date of joining.

NOTE 2.—An officer on probation will not be allowed pay in the time scale above the stage of Rs. 400/- unless he/she passes the prescribed departmental examinations in accordance with the rules which will be prescribed from time to time.

NOTE 3.—The pay of a Government servant who held a permanent post, other than a tenure post in a substantive capacity prior to his appointment as a probationer in the Indian Customs and Central Excise Service, Cl. I will be regulated subjected to the provisions of F.R. 22-B(1).

NOTE 4.—During the period of probation, an officer will be posted to Central Excise Department/Customs Department/Narcotics Department for departmental training and to the National Academy of Administration, Mussoorie for a Foundational Course training. At the end of the training at Mussoorie he/she will have to pass the 'end-of-the-course' test. He/she will have to pass Part I and Part II of the Departmental Examination. On passing the 'end-of-the-course' test and one of the parts of the Departmental Examination he/she will be granted a first advance increment raising his/her pay to Rs. 450/-. On passing both the parts of the Departmental Examination, he/she will be granted the second advance increment raising his/her pay to Rs. 480/-. His/her pay beyond the stage of Rs. 480/- will not be allowed unless he/she has completed 4 years of service, subject to such other conditions as may be found necessary.

In case, a probationer does not pass the 'end-of-the-course' test at the Acadmy, his/her first advance increments will be postponed by one year from the date on which he/she would have drawn it or up to the date on which under the departmental regulations, the second advance increment accrues, whichever is earlier.

NOTE 5.—It should be clearly understood by the probationers that their appointment would be subject to any change in the constitution of the Indian Customs & Cntral Excise Service, Class I, which the Government of India may think proper to make from time to time, and that they would have no claim for compensation in consequence of any such change.

*Indian Defence Accounts Service* :

Time Scale :—

Rs. 400—400—450—480—510—EB—700—40—1,100—1,100—1,150—1,200—1,200—1,250.

Junior Administrative Grade.

Rs. 1,300—60—1,600.

Rs. 1,600—100—1,800 (Selection Grade).

Senior Administrative Grade.

Rs. 1,800—100—2,000—125—2,250.

Controller General of Defence Accounts—Rs. 2,750 (fixed).

NOTE 1.—Probationary officers will start on the minimum of the time scale and will count their service for increments from the date of joining. The pay of a Government servant who held a permanent post, other than a tnure post in a substantive capacity prior to his appointment as a probationer will, however, be regulated subject to the provision of F.R. 22-B(1).

NOTE 2.—The Officers on probation will not be allowed the pay above the stage of Rs. 400 unless they pass the departmental examination in accordance with the rules in force from time to time; provided further that in the case of an officer who does not pass the 'end-of-the-course' test at the National Academy of Administration, Mussoorie, his first increment shall be postponed by one year from the date on which he would have drawn it on passing Part I of the Departmental Examination or up to the date on which the second increment accrues to him on passing Part II of the aforesaid examination, whichever is earlier.

8. *Indian Income-tax Service, Class I.*—(a) Appointments will be made on probation for a period of 2 years provided that this period may be extended if the officer on probation has not qualified for confirmation by passing the prescribed departmental examinations. Repeated failures to pass the departmental examinations within a period of 3 years will involve loss of appointment.

(b) If, in the opinion of Government ,the work or conduct of an officer on probation is unsatisfactory or show that he is unlikely to become an efficient Income Tax officer the Government may discharge his forthwith.

(c) On the conclusion of his period of probation, Government may confirm the officer in his appointment or if his work or conduct has in the opinion of Government been unsatisfactory. Government may either discharge him from the service or may extend his period of probation for such further period as Government may think fit, provided that in respect of appointments to temporary vacancies there will be no claim to confirmation.

(d) If the power to make appointments in the service is delegated by Government to any officer, that officer may exercise any of the powers of Government described in the above clauses.

(e) Scales of Pay :—

*Income-tax, officer, Class I*—

Rs. 400—400—450—30—510—EB—700—40—1,100—50/2—1,250.

*Assistant Commissioner of Income-tax*—

Rs. 1,300—60—1,600.

*Additional Commissioner of Income Tax*—

Rs. 1600—100—1800.

*Commissioners of Income-tax*—

As. 1,800—100—2,000—125—2,250.

(f) During the period of probation, an officer will undergo training at the National Academy of Administration, Mussoorie and the Indian Revenue Service (Direct Taxes) Staff College, Nagpur. At the end of training at Mussoorie, he/she will have to pass the 'end-of-the-course' test. In addition, I & II departmental examinations will also have to be passed during the period of probation. On passing the end-of-the-course test and the 1st departmental Examination, his/her pay will be raised to Rs. 450. On passing the 2nd departmental examination, the pay will be raised to Rs. 480. The pay beyond the stage of Rs. 480 will not be allowed unless he/she is confirmed and has completed 4 years of services object to such other conditions as may be found necessary.

In case he/she does not pass the end-of-the-course test at the Acedemy, the first increment will be postponed by one year from the date on which he/she would have drawn it or up to the date on which under the departmental regulations, the second increment accrues, whichever is earlier.

NOTE 1.—The officer on probation will not be allowed the pay before the stage of Rs. 400 unless he passes the departmental examinations in accordance with the rules which will be prescribed from time to time.

NOTE 2.—It should be clearly understood by probationers that their appointment would be subject to any change in the Constitution of the Income Tax Service Class I which the Government of India may think proper to make from time to time and that they would have no claim for compensation in consequence of any such changes.

9. Indian Ordnance Factories Service, Class I (Non-Technical Cadre).

(a) Selected candidates will be appointed as Assistant Managers (on probation). The period of probation will be

two years which may be reduced or extended by the Government on the recomendation of the Director General Ordnance Factories. An Assistant Manager (on probation) will undergo such training as shall be provided by Government and may be required to pass such departmental and language tests as Government may prescribe. The language tests will include a test in Hindi.

On the conclusion of his period of probation, Government will confirm the officer in his appointment. If, however, during or at the end of the period of probation his work or conduct has, in the opinion of Government, been unsatisfactory, Government may either discharge him or extend his period of probation for such period as Government may think fit, provided that before orders of discharge are passed, the officer shall be apprised by competent authority of the grounds on which it is proposed to discharge him and be given an opportunity to show cause against it.

(b) The Assistant Managers (on probation) in the Indian Ordnance Factories Service would draw pay in the prescribed scale of pay of Rs. 400—400—40—30—600—35—670—EB—35—950. During the period of probation, they will be required to undergo training in the various branches of the Department and in the National Academy of Administration, Mussoorie in a foundational course of training. On passing the end of the-course-test and the Department Examination, they will be entitled to grant of advance increment raising their pay to Rs. 450/- per month and 480/- per month from the date following the date on which the last paper of the 1st and 2nd Departmental examination, in which they pass, is held. Grant of further increment will be regulated according to their position in the time scale and after they have been confirmed in the grade.

In case any of the Assistant Managers (On probation) does not pass the 'end-of-the-course-test' at the National Academy of administration, Mussoorie, his first increment will be postponed by one year from the date on which he would have drawn it or up to the date on which under the Departmental regulations, the second increment accrues, whichever is earlier.

(c)(i) Selected candidates shall, if so required, be liable to serve as Commissioned Officers in the Armed Forces for a period of not less than four years including the period spent on training if any; provided that such person(s) shall not be required to serve as aforesaid after the expiry of ten years from the date of appointment and (ii) shall not ordinarily be required to serve as aforesaid after attaining the age of forty years.

(ii) The candidates shall also be subject to Civilians in Defence Services (Field Service Liability) Rules 1957, published under S.R.O. No. 92, dated 9th March 1957. They will be medically examined in accordance with the medical standards laid down therein.

(d) The following are the rates of pay admissible :—

| | |
|---|---|
| Assistant Manager Technical Staff Officer | Junior Scale ; Rs. 400—400—450—30—600—35—670—EB—35—950. |
| Deputy Manager/ Deputy Assistant Director General, Ordnance Factories | Senior Scale. Rs. 700—40—1,100—50/2—1,250. |
| Manager/Senior Deputy Assistant Director General, Ordnance Factories. | Rs. 1,100—50—1,400. |
| Deputy General Manager/ Assistant Director General Ordnance Factories, Grade | Rs. 1,300—60—1,600—100—1,800 |
| Assistant Director General Ordnance Factories, Grade I. | Rs. 1,800—100—2,000 |
| Deputy Director General, Ordnance Factories. | Rs. 2,000—125—2,250 |

10. *Indian Postal Service.*—(a) Selected candidates will be under training in this departmental for a period which will not ordinarily exceed two years. During this period they will be required to pass the prescribed departmental test.

(b) If in the opinion of Government, the work or conduct of an officer under training is unsatisfactory or shows that he is unlikely to become efficient, Government may discharge him forthwith.

(c) On the conclusion of his period of training Government may confirm the officer in his appointment or, if his work or conduct has in the opinion of Government been unsatisfactory Government may either discharge him from the service or may extend his period of training for such further period as Government may think fit, provided that in respect of appointments as temporary vacancies there will be claim to confirmation.

(d) If the power to make appointments in the Service is delegated by Government to any officer, that officer may exercise any of the powers of Government described in the above clauses.

(e)) Scales of Pay—

Time Scale : Rs. 400—400—450—30—510—EB—700—40—1,100—50/2—1,250 (Officers under training will draw pay in this time scale).

Directors of Postal Services : Rs. 1,300—60—1,600.

Postmasters-General : Rs. 1,800—100—2,000—125—2,250.

Members, Posts and Telegraphs Board : Rs. 2,500—125/2—2,750.

Senior Member, Posts and Telegraphs Board : Rs. 3,000.

(f) The probationers in the Indian Postal Service, would draw pay in the prescribed pay scale of Rs. 400—400—450—30—580—510—EB—700—40—1,100—50/2—1,250. During the period of probation, they will be required to undergo training in the various branches of the Department and in the National Academy of Administration, Mussoorie, in a foundational course of training. At the end of training at Mussoorie they will have to pass the 'end-of-the-course' test. They will also have to pass the Departmental examination as prescribed under the Departmental Rules. On passing the 'end-of-the-course' test and the Departmental examination, their pay will be raised to Rs. 450. confirmation, if they are confirmed on completion of the probationary period of two years, their pay will be fixed at the stage of Rs. 480. Further regulation of their pay will, however, be determined by their position in the time scale.

In case, any of the probationers does not pass the 'end-of-the-course' test at the National Academy of Administration, Mussoorie, his first increment will be postponed by one year from the date on which he would have drawn it or up to the date on which, under the departmental regulations, the second increment accrues, whichever is earlier.

Provided that the pay of a Government servant who held a permanent post, other than a tenure post in a substantive capacity prior to his appointment as a probationer will, be regulated subject to the provisions of F.R. 22-B(1).

(g) It should be clearly understood by the officers on probation that their appointment would be subject to any change in the constitution of the Indian Postal Service, which Government of India may think proper to make from time to time and that they would have no claim for compensation in consequence of any such changes.

(h) Selected candidates will be liable to serve in the Army Postal Service in India or abroad as required by Government.

11. *Indian Railway Accounts Service.*—(a) Appointments will be made on probation for a period of 2 years during which the service will be liable to termination on three months notice on either side. The period of probation may be extended if the officer on probation has not qualified for confirmation by passing the prescribed departmental examinations.

Government may terminate the appointment of a Probationary Officer who fails to pass all the Departmental Examinations within three years of the date of appointment.

(b) Probationers of the Indian Railway Accounts Service will also be required to undergo training in two phases at the Railway Staff College, Baroda and to pass the tests prescribed by the College authorities. The tests in the College are compulsory and a second chance, in the event of failure will not be given except in exceptional circumstances and provided the record of the officer is such that such a relaxation may be made. They may, however, be put on to a working post on satisfactory completion of two years' training but they may not be confirmed till they have passed the tests at the Railway Staff College, Baroda, and passed the higher and lower departmental examinations.

(c) Probationers should have already or should pass during the period of probation an examination in Hindi in the Dev Nagri script of an approved standard. This Examination may be the 'Praveen' Hindi Examination conducted by the Directorate of Education, Delhi, on behalf of the Ministry of Home Affairs or one of the equivalent Examinations recognized by the Central Government.

No probationary officer can be confirmed or his pay in the time scale raised to Rs. 450 p.m. unless he fulfils this requirement; and failure to do so will involve liability to termination of service. No exemption can be granted.

(d) Officers (including probationers) of the Indian Railway Accounts Service recruited under these rules—

(a) will be governed by the Railway Pension Rules; and

(b) shall subscribe to the State Railway Provident Fund (non-contributory) under the rules of that Fund; as amended from time to time.

(e) Officers recruited under these rules shall be eligible for leave in accordance with the liberalised leave rules as in force from time to time.

(f) If for any reason not beyond his control a probationer in the Indian Railway Accounts Service wishes to withdraw from training or probation, he will be liable to refund the whole cost of his training and any other moneys paid to him during the period of his probation.

(g) If, in the opinion of Government the work or conduct of an officer on probation is unsatisfactory, or shows that he is unlikely to become efficient, Government may discharge him forthwith.

(h) On the conclusion of his period of probation Government may confirm the officer in his appointment or if his work or conduct has, in the opinion of Government, been unsatisfactory, Government may either discharge him from the service or may extend his period of probation for such further period as Government may think fit.

(i) Scales of pay :—

(a) Junior Scale : Rs. 400—400—450—30—600—35—670—EB—35—950 (Authorised Scale).
Senior Scale : Rs. 700 (6th year and under)—40—1,100—50/2—1,250 (Authorised Scale).
Junior Administrative Grade : Rs. 1,300—60—1,600 (Authorised Scale).
Intermediate Administrative Grade : Rs. 1,600—100—1,800.
Senior Administrative Grade : Rs. 2,000—100—2,500.

(6) Increment from Rs. 400 to Rs. 450 will be stopped if they fail to pass the prescribed Departmental Examinations within the two years' probationary period. The probationary period will be extended and on their passing the prescribed Departmental tests and being subsequently conrmed, their pay will, from the date following that on which the last departmental examination ends, be fixed at the stage in the time scale which they would have otherwise attained but no arrears of pay would be allowed to them. In such cases the date of future increments will not be affected.

Advance increments from Rs. 400 to 450 and from Rs. 450 to Rs. 480 in the Junior Scale of Rs. 400—950 may, however, be granted during the period of probation as soon as the probationary officer passes the prescribed examinations. After the grant of advance increments, the pay of the officer will be regulated according to his normal position in the pay scale with reference to the year of service.

In case, any of the probationers does not pass the 'end-of-the course test' at the National Academy of Administration, Mussoorie, his first increment will be postponed by one year from the date on which he would have drawn it or up to the date on which under the departmental regulations, the second increment accrues, whichever is earlier.

NOTE 1.—Probationary officers will start on the minimum of the Junior Scale and will count their service for increments from the date of joining. They will, however, be required to pass any departmental examination or examinations that may be prescribed before their pay can be raised from Rs. 400 p.m. to Rs 450 p.m. in the time scale.

NOTE 2.—The pay of a Government servant who held a permanent post, other than a tenure post in a substantive capacity prior to his appointment as probationer, will, however, be regulated subject to the provisions of Rule 2018-A(1)-R.II. (F.R. 22-B(I).

12. *Military Lands and Cantonments Service (Class I and Class II)*—(a)(i) A candidate selected for appointment shall be required to be on probation for a period which shall not ordinarily exceed 2 years. During this period he shall be required to undergo such course of training in Cantonment and Land Administration as may be prescribed by Government for a period of not less than six months.

(ii) The pay of a Government servant who held a permanent post, other than a tenure post in a substantive capacity prior to his appointment as probationer, will, however, be regulated subject to the provisions of FR 22-B(1).

(b) During the period of probation a candidate will be required to pass the prescribed departmental examination.

(c) (i) If in the opinion of Government the work or conduct of an Officer on probation is unsatisfactory or shows that he is unlikely to become efficient, Government may discharge him after apprising him of the grounds on which it is proposed to do so, and after giving him an opportunity to show cause in writing before such order is passed.

(ii) If at the conclusion of the period of probation an Officer has not passed the Departmental Examination mentioned in sub para (b) above, Government may, in its discretion, either discharge him from service or if the circumstances of the case so warrant, extend the period of probation for such period not exceeding one year as Government may consider fit.

(iii) On the conclusion of the period of probation Government may confirm an officer in his appointment or, if his work or conduct has in the opinion of Government been unsatisfactory, Government may either discharge him after apprising him of the grounds out of which it is proposed to do so and after giving him an opportunity to show cause in writing before such order is passed, or extend the period of probation for such further period as Government may consider fit.

(d) If no action is taken by Government under Sub-para, (c) above, the period after the prescribed period of probation shall be treated as an engagement from month to month terminable on either side on the expiration of one calendar month's notice in writing provided that the Officer shall have no claim to confirmation.

(e) No annual increment which may become due will be admissible to a member of the Service during his probation, unless he has passed the departmental examination. An increment which was not thus drawn will be allowed from the date of passing the departmental examination.

(f) In case, any of the Probationers does not pass the 'end-of-the-course, test' at the National Academy of Administration, Mussoorie, his first increment will be postponed by one year from the date on which he would have drawn it or upto the date on which under the departmental regulations, the second increment accrues, whichever is earlier.

(g) The scales of pay are as under :—

*Administrative Posts*

| | | |
|---|---|---|
| (*i*) | Director, Military Lands and Cantonments. | Rs. 1,800—2,000—125—2,250. |
| (*ii*) | Joint Director, Military Lands and Cantonments. | Rs. 1,600—100—1,800. |
| (*iii*) | Deputy Director, Military Lands and Cantonments. | Rs. 1,300—60—1,600. |
| (*iv*) | Assistant Director, Military Lands and Cantonments. | Rs. 1,100—50—1,400. |

*Class I*

| | | |
|---|---|---|
| (*v*) | Deputy Assistant Directors, Military Lands and Cantonments, Military Estate Officers, and Executive Officers. | Rs. 400—400—450—30—510—EB—700—40—1,100—50/2—1,250. |

*Class II*

| | | |
|---|---|---|
| (*vi*) | Executive Officers | Rs. 350—25—500—30—590—EB—30—800—EB—830—35—900. |
| (*vii*) | Assistant Military Estates Officers. | Rs. 350—25—500—30—590—EB—30—800—EB—830—35—900. |

(h) (i) Class I Officers will normally be appointed as Deputy Assistant Directors, Military Estates Officers, and as Executive Officers to Class I Cantonments and Class II Cantonments to which sub-clause (i) of clause (e) of sub-

section (4) of Section 13 of the Cantonments Act, 1924 is applicable, (ii) Class II Executive Officers will normally be appointed to Cantonments other than those mentioned in (i) above.

(i) (i) All promotions will be made by selection (seniority being considered only when the claims of two or more candidates are equal on merits) by Government on the recommendations of a Departmental Promotion Committee appointed in this behalf by the Government. On promotion from Class II to Class I, pay will be regulated under the Fundamental Rules.

(ii) No officer will normally be promoted to Class I unless he has completed three years of service in Class II.

(j) The Revised Leave Rules, 1933, as amended from time to time will apply.

(k) No member of the Service shall undertake any work not connected with his official duties without the previous sanction of Government.

(l) The Military Lands & Cantonments Service carries with it a definite liability for service in any part of India as well as for Field Service in India.

13. *Indian Railway Traffic Service*

(a) Candidates selected for appointment will be appointed as probationary officers in the Indian Railway Traffic Service for a period of three years during which they will undergo the training as indicated in para. (m) and put in a minimum period of one year's probation in a working post. If the period of training has to be extended in any case due to the training having not been completed satisfactorily the total period of probation will be correspondingly extended.

(b) If for any reasons not beyond his control a probationer in the Indian Railway Traffic Service wishes to withdraw from training or probation, he will be liable to refund the whole cost of his training and any other moneys paid to him during the period of his probation.

(c) Appointments to the service will be on a probation for a period of three years during which the service of the officers will be liable to termination by three months notice on either side. Probationary Officers will be required to undergo practical training for the first two years. Those who complete this training successfully and are otherwise considered suitable will be placed in charge of a working post provided they have passed the prescribed departmental and other examinations. It must be noted that these examinations should as a rule, be passed at the first chance and that save under exceptional circumstances a second chance will not be allowed. Failure to pass any of the examination may result in the termination of the service and will, in any case, involve stoppage of increment.

At the end of one year in a working post, the Probationary Officers will be required to pass a final examination both practical and theoretical, and will as a rule, be confirmed if they are considered fit for appointment in all respects. In cases where the probationary period is extended for any reason, the drawal of the first and subsequent increments on their passing the departmental examinations, and on being confirmed, will be subject to the rules and orders in force from time to time.

(d) Probationers should have already passed or should pass during the period of probation an examination in Hindi in the Dev Nagri script of an approved standard. This Examination may be the 'Praveen' Hindi Examination conducted by the Directorate of Education, Delhi, on behalf of the Ministry of Home Affairs or one of the equivalent examinations recognised by the Central Government.

No probationary officer can be confirmed or his pay in the time scale raised to Rs. 450 p.m. unless he fulfils the requirement; and failure to do so will involve liability to termination of service. No exemption can be granted.

(e) Officers (including probationers) of the Indian Railway Traffic Service recruited under these rules:—

(a) will be governed by the Railway Pension Rules; and

(b) shall subscribe to the State Railway Provident Fund (non-contributory) under the rules of that Fund;

as amended from time to time.

(f) Pay will commence from the date of joining service. Service for increments will also count from that date.

(g) Officers recruited under these rules shall be eligible for leave in accordance with the liberalised leave rules as in force from time to time.

(h) Officers will ordinarily be employed throughout their service on the railway to which they may be posted on first appointment and will have no claim as a matter of right to transfer to some other Railway. But the Government of India reserve the right to transfer such officers in the exigencies of service to any other railway or project in or out of India.

(i) The relative seniority of officers appointed will ordinarily be determined by their order of merit in the competitive examination; if the period of training and consequently the period of probation has to be extended in any particular case due to the training having not been completed satisfactorily the officer will be liable to lose in seniority. The Government of India, however, reserve the right of fixing seniority at their discretion in individual cases. They also reserve the right of assigning to officers appointed otherwise than by a competitive examination positions in the seniority list at their discretion.

(j) Scales of pay :—

Junior Scale : Rs. 400—400—450—30—600—35—670—EB—35—950. (Authorised Scale).

Senior Scale : Rs. 700—(6th year and under)—40—1,100—50/2—1,250 (Authorised Scale).

Junior Administrative Grade : Rs. 1,300—60—1,600. (Authorised Scale).

Intermediate Administrative Grade : Rs. 1,600—100—1,800. (Authorised Scale).

Senior Administrative Grade : Rs. 2,000—100—2,500. (Authorised Scale).

NOTE 1.—Probationary officers will start on the minimum of the Junior Scale and will count their service for increments from the date of joining. They will, however, be required to pass any departmental examination or examinations that may be prescribed before their pay can be raised from Rs. 400 p.m. to Rs. 450 p.m. in the time scale

Increment from Rs. 400 to Rs. 450 will be stopped if they fail to pass the Departmental Examination within the first two years of the training and probationary period. The probationary period will be extended and on their passing the prescribed Departmental test and being subsequently confirmed, their pay will from the date following that on which the last departmental examination ends, be fixed at the stage in the time scale which they would have otherwise attained but no arrears of pay would be allowed to them. In such cases the date of future increments will not be affected.

Advance increments from Rs. 400 to Rs. 450 and from Rs. 450 to Rs. 480 in the Junior Scale of Rs.400—950 may, however, be granted during the period of probation as soon as the probationary officer passes the prescribed examinations. After the grant of advance increment, the pay of the Officer will be regulated according to his normal position in the pay scale, with reference to the year of Service.

In case, any of the probationers does not pass the 'end-of-the-course test' at the National Academy of Administration, Mussoorie, his first increment will be postponed by one year from the date on which he would have drawn it or up to the date on which under the departmental regulations, the second increment accrues, whichever is earlier.

NOTE 2.—The pay of a Government servant who held a permanent post, other than a tenure post in a substantive capacity prior to his appointment as probationer, will, however, be regulated subject to the provisions of Rule 2018-A(1)-R.II. (F.R. 22-B(1).

(k) The increments will be given for approved service only and in accordance with rules of the Department.

(l) Promotions to the administrative grade are dependent on the occurrence of vacancies in the sanctioned establishment and are made wholly by selection; mere seniority does not confer any claim for such promotion.

(m) Courses of training for probationers in the Indian Railway Traffic Service.

NOTE 1.—The Government of India reserve the right to reduce at their discretion, the period of training in the case of candidates who have had previous training or experience either in India or elsewhere.

NOTE 2.—Probationers will also have to undergo training at the Railway Staff College, Baroda, in two phases. The list in the Staff College is compulsory and a second chance in the event of failure, will not be given except in exceptional circumstances and provided the record of the Officer is such that such a relaxation may be made. Failure to pass the test may involve the termination of service and in any case the officers will not be confirmed till they pass the test their period of training and/or probation being extended as necessary.

NOTE 3.—The programme of training given below have been drawn up chiefly for the purpose of guidance; they may be varied at the discretion of General Managers to suit particular cases provided that the total aggregate period of training is not ordinarily curtailed

NOTE 4.—During the period of training, the probationer has to work as a Guard, Yard Master, Assistant Station Master, Station Master, Yard Foreman, Train Examiner, Assistant Loco Foreman, Assistant Controller, etc. as detailed below. After completion of training when the probationer is posted against a working post, his duties involve travelling with no facilities for camping at way-side stations. He has to visit sites of accidents at odd hours and inspect Control Offices and stations. The work is arduous and will involve night duties.

(1) *Length of Course—Two years.*

| Sl. No. | Item | Period (Weeks) |
|---|---|---|
| (1) | National Academy of Administration Mussoorie | 17 |
| (2) | Baroda Staff College (First Phase) | 13 |
| (3) | Area School, Guard's duties | 4·5 |
| (4) | Working as Guard | 3 |
| (5) | Booking/Parcel Office, Goods shed and Transhipment Shed | 4·5 |
| (6) | Traffic Accounts and Travelling Inspector of Accounts | 4 |
| (7) | Area School to qualify as Asstt. Station Master | 4·5 |
| (8) | Working as Yard Master Asstt. Station Master, Station Master, Yard Foreman and Train Examiner | 13 |
| (9) | Working as Asstt. Loco Foreman | 2 |
| (10) | Assistant Controller | 9 |
| (11) | (a) Training in Divisional Office | 4·5 |
| | (b) Training as Power Controller | 2 |
| (12) | Baroda Staff College (Second Phase) | 6·5 |
| (13) | Railway to which allotted—Headquarters Office (Operating) | 5 |
| (14) | Railway to which allotted—Headquarters Office Commercial) | 5 |
| (15) | Training in Computer Programming and system Desing | 4·5 |
| | Period set apart for journey time for taking up various items for training and inescapable leave | 2 |
| | TOTAL . | 104 weeks or 24 Months |

NOTE—Items (3) to (11) which will cover 1 year will be in Asansol Division.

(2) Provided he passes the examination at the end of his two years training, a probationer will be given charge of a working post on probation for a further year.

(3) Examination will be held as may be required at the close of courses as well as at intervals during the period of training.

NOTE.—Before a probationer is put to work independently as a Guard, Assistant Station Master, Station Master, Yard Foreman, Assistant Locomotive Foreman or Assistant Controller, he must be examined by a responsible officer of the administration in the respective duties for each of these posts and declared qualified.

14. *Delhi and Andaman & Nicobar island; Police Service, Class II.*—(a) Appointments will be made on probation for a period of two years which may be extended at the discretion of the competent authority. Candidates appointed on probation will be required to undergo such training and pass such departmental tests as the Central Government may prescribe.

(b) If in the opinion of Government the work or conduct of an officer on probation is unsatisfactory or shows that he is unlikely to become efficient, Government may discharge him forthwith.

(c) The officer who has been declared to have satisfactorily completed his period of probation may be confirmed in the service. If his work or conduct has in the opinion of Government been unsatisfactory, Government may either discharge him from the Service or may extend his period of probation for such further period as Government may think fit.

(d) An officer belonging to the Service will be required to serve in Delhi or Andaman & Nicobar Islands under the Administration/Government of any of these territories. He may also be required to serve in any police/intelligence organisation of the Government of India.

(e) Scales of pay :—

Grade I (Selection Grade)—Rs. 1,000/- fixed.
Grade II—Time scale—Rs. 350—25—500—30—590—EB—30—800.

A person recruited on the results of competitive examination shall, on appointment to the Service, draw pay at the minimum of the time-scale, provided that if he held a permanent post, other than a tenure post in a substantive capacity prior to his appointment to the Service, his pay during the period of his probation in the Service shall be regulated under the proviso of Fundamental Rule 22-B(I). The pay and increments in the case of other persons appointed to the Service shall be regulated in accordance with the Fundamental Rules.

(f) Officers of the Service are entitled to get dearness allowance at the Central Government rates applicable to employees drawing pay in revised Central scales of pay.

(g) In addition to dearness allowance officers of the Service are entitled to draw compensatory (city) allowance, house rent allowance and allowances to compensate for higher cost of living in hill stations, expensiveness incidental in remote localities etc. if they are posted at places, either for training or on duty, where such allowances are admissible.

(h) Officers of the Service are governed by the Delhi, and Andaman & Nicobar Islands Police Service Rules 1971, and such other regulations as may be made or instructions issued by the Central Government for the purpose of giving effect to those Rules. In regard to matters not specifically covered by the aforesaid Rules or by regulations or orders issued thereunder or by special orders, they are governed by the rules, regulations and orders applicable to corresponding officers serving in connection with the affairs of the Union.

15. *The Central Secretariat Service Section Officers' Grade, Class II—*

(a) The Central Secretariat Service has, at present, the following grades :—

| Grade | Scale of pay |
|---|---|
| Selection Grade—Deputy Secretary or equivalent | Rs. 1100—50—1300—60—1600—100—1800. |
| Grade I—Under Secretary | Rs. 900—50—1250. |
| Section Officer's Grade | Rs. 350—25—500—30—590—EB—30—800 EB—830—35—900. |
| Assistant's Grade | Rs. 210—10—270—15 300 —EB—15—450 EB—20—530. |

Selection Grade and Grade I are controlled by the Cabinet Secretariat (Department of Personnel) on an all-Secretariat basis, Section Officers'/assistant's, Grades, however, are controlled by the Ministries.

Direct recruitment is made to the Section Officers' Grade and to the Assistants' Grade only.

(b) Direct recruit to the Section Officers' Grade will be on probation for 2 years during which they will undergo such training and pass such departmental tests as may be prescribed by Government. Failure to show sufficient progress in the course of training or to pass the tests will result in the discharge of the probationers from service.

(c) On the conclusion of his period of probation Government may confirm the officer in his appointment, or if his work or conduct has in the opinion of Government been unsatisfactory, Government may either discharge him from the Service or may extend his period of probation for such further period as Government may think fit.

(d) If the power to make appointments in the Service is delegated by Government to any officer, that officer may exercise any of the powers of Government described in the above clauses.

(e) Section Officers will normally be heads of 'Sections' while officers of Grade I will normally be incharge of Branches consisting of one or more sections.

(f) Section Officers will be eligible for promotion to Grade I in accordance with the rules in force from time to time in this behalf.

(g) Officers of Grade I of the Central Secretariat Service will be eligible for appointment to the Selection Grade of the Service and to other higher administrative posts in the Central Secretariat.

(h) As regards leave, pension and other conditions of service officers of the Central Secretariat Service will be treated similarly to other Class I and Class II Officers.

16. *Customs Appraisers' Service, Class II.*

(a) Recruitment is made in the grade of appraiser in the scale of Rs. 350—25—500—30—590—EB—30—800—EB—830—35—900. Appointments are made on probation for a period of two years which may be extended at the discretion of the competent authority. During the period of probation the candidates will be required to undergo such training and pass such departmental tests as the Central Board of Excise & Customs may prescribe. They will not be allowed to draw pay above the stage of Rs. 375/- unless they pass the prescribed departmental Examination in full.

(b) If on the expiration of the period of probation or any extension thereof the appointing authority is of the opinion that the selected candidate is not fit for permanent employment or if at any time during such period of probation or extension thereof he is satisfied that the candidate will not be fit for permanent appointment on the expiration of such period of probation he may discharge him from the service or pass such orders as he thinks fit.

(c) On the successful completion of the period of probation and after passing of the departmental examination the officers will be considered for confirmation in the grade.

(d) Appraisers will be eligible for promotion to the next higher grade of Assistant Collector in the Indian Customs and Central Excise Service, Class I (Rs. 400/1,250) in accordance with the rules in force.

(e) Regarding leave and pension the officers will be treated like other Class II officers in Central Government department. As regards other terms and conditions of their service, they will be governed by the provisions in the Recruitment Rules for the Customs Appraisers' Service, Class II. These rules particularly provide that the members of the service will be liable to posting in any equivalent or higher posts under the Central Board of Excise and Customs anywhere in India.

17. *Delhi and Andaman & Nicobar Islands, Civil Service, Class II—*

(a) Appointments will be made on probation for a period of two years which may be extended at the discretion of the competent authority. Candidates appointed on probation will be required to undergo such training and pass such departmental tests as the Central Government may prescribe.

(b) If in the opinion of Government the work or conduct of an officer on probation is unsatisfactory or shows that he is unlikely to become efficient, Government may discharge him forthwith.

(c) The officer who has been declared to have satisfactorily completed his period of probation may be confirmed in the Service. If his work or conduct has in the opinion of Government been unsatisfactory, Government may either discharge him from the Service or may extend his period of probation for such further period as Government may think fit.

(d) An officer belonging to the Service will be required to serve in Delhi, or Andaman & Nicobar Islands under the Administration/Government of any of these territories.

(e) Scales of pay :—

Grade I (Selection Grade)—Rs. 900—50—1,250.

Grade II—Time scale—Rs. 400—25—500—30—590—EB—30—800—EB—30—830—35—900.

A person recruited on the results of competitive examination shall, on appointment to the Service, draw pay at the minimum of the time-scale, provided that if he held a permanent post, other than a tenure post in a substantive capacity prior to his appointment to the Service, his pay during the period of his probation in the Service shall be regulated under the provisions of Fundamental Rule 22-B(I). The pay and increments in the case of other persons appointed to the Service shall be regulated in accordance with the Fundamental Rules.

(f) Officers of the Service are entitled to get dearness allowance at the Central Government rates applicable to employees drawing pay in revised Central scales of pay.

(g) In addition to dearness allowance officers of the Service are entitled to draw compensatory (city) allowance, house rent allowance and allowances to compensate for higher cost of living in hill stations, expensiveness incidental in remote localities etc. If they are posted at place either for training or on duty where such allowances are admissible.

(h) Officers of the Service are governed by the Delhi, and Andaman & Nicobar Islands Civil Service Rules, 1971, and such other regulations as may be made or instructions issued by the Central Government for the purpose of giving effect to those rules. In regard to matters not specifically covered by the aforesaid Rules or by regulations or orders issued thereunder or by special orders, they are governed by the rules, regulations and orders applicable to corresponding officers serving in connection with the affairs of the Union.

18. *Indian Foreign Service, Branch 'B', Section Officers' Grade, Class II—*

(a) 33-1/3% of the maintenance vacancies in the Integrated Grade II & III of the Indian Foreign Service, Branch 'B' (Class II) are filled by direct recruitment through the U.P.S.C. The scale of pay attached to this grade is Rs. 350—25—500—30—590—EB—30—800—EB—30—830—35—900.

(b) Direct recruits to the Section Officers' Grade will be on probation for two years during which period they will be required to undergo such training and pass such departmental tests as may be prescribed by Government. Failure to show sufficient progress in the course of training or to pass the prescribed tests may result in the discharge of probationers from service.

(c) On the conclusion of the period of probation, Government may confirm an officer in his appointment subject to availability of permanent posts or if his work and conduct have, in the opinion of Government, been unsatisfactory, may either discharge him from the service, or may extend the period of his probation for such further period as Government may deem fit. The tool period of probation will not exceed 3 years.

(d) If the power to make appointments in the service is delegated by Government to any officer, that officer may exercise any of the powers of Government prescribed in the above clauses.

(e) Officers appointed to this service will normally be Heads of Sections. While employed at the Headquarters of the Ministry of External Affairs/Ministry of Foreign Trade they will be designated as Section Officers and sometimes Administrative Officers. While serving in Indian Missions abroad, their designation will be Registrars, although for local purposes they may be called Attaches with diplomatic status.

(f) Section Officers will be eligible for promotion to Grade I of the General Cadre of the IFS(B) in the scale of Rs. 900—50—1250, in accordance with the rules in force from time to time in this behalf.

(g) Officers of the Grade I of the General Cadre of the IFS(B) will in turn be eligible for appointment to posts in the senior scale of IFS(A) in the scale of pay of Rs. 900 (6 years or under)—50—1000—60—1600—50—1800, in accordance with the rules in force from time to time in this behalf.

(h) The Indian Foreign Service, Branch (B) is confined to the Ministry of External Affairs and Indian Missions abroad and the officers appointed to this service are not normally liable to transfer to other Ministries except the Ministry of Foreign Trade. They are, however, liable to serve anywhere inside or outside India.

(i) During service abroad, IFS(B) officers are granted foreign allowance in addition to their basic pay at rates which may be sanctioned from time to time, depending upon the cost of living etc. of the countries concerned. In addition, the following concessions are also admissible during service abroad, in accordance with the IFS(PLCA) Rules, 1961, as made applicable to I.F.S.(B) Officers :—

(i) Free furnished accommodation according to the scale prescribed by the Government.

(ii) Medical Attendance Facilities under the Assisted Medical Attendance Scheme.

(iii) Return air passages to India and back to the place of duty abroad up to a maximum of two throughout an officer's service for special emergencies such as the death or serious illness of an immediate relation in India as may be defined by the Government.

(iv) Annual return air passage for children between the ages of 8 and 21 studying in India to visit their parents during vacation subject to certain conditions.

(v) An allowance for the education of children up to a maximum of two children between the ages of 5 and 18 at rates prescribed by Government from time to time.

(vi) Outfit allowance in connection with service abroad, in accordance with the prescribed rules and at rates fixed by Government from time to time. In addition to ordinary outfit allowance, special outfit allowance is admissible to officers posted in countries, where abnormally cold climatic conditions exist.

(vii) Home leave passage for officers and their families in accordance with the prescribed rules.

(j) The Revised Leave Rules, 1933, as amended from time to time, will apply to members of the service, subject to certain modifications. For service abroad, except in some neighbouring countries, officers are entitled to an additional credit of leave to the extent of 50 per cent of leave admissible under the Revised Leave Rules.

(k) While in India, officers are entitled to such concessions as are admissible to other Central Government servants of equal and similar status.

(l) Officers of the IFS(B) are governed by the General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960, as amended from time to time and by orders issued thereunder.

(m) Officers appointed to this service are governed by the Liberalised Pension Rules 1950, as amended from time to time and by orders issued thereunder.

19. *The Railway Board's Secretariat Service, Class II*—

(a) The Railway Board Secretariat Service consists of the following :—

| Service | Scale of Pay |
|---|---|
| (i) Selection Grade Joit Director/Dy. Secretary | Rs. 1100—50—1300—60—1,600—100—1,800. |
| (ii) Dy. Directors Grade | Rs. 900—50—1,250+200 S.P. per month. |
| (iii) Assistant Director/Under Secretary | Rs. 900—50—1,250. |
| (iv) Section Officer | Rs. 350—25—500—30—590—EB—30—800—EB—30—830—35—900. |
| (v) Assistant | Rs. 210—10—270—15—300—EB—15—450—EB—20—530—. |

Direct recruitment is made to the posts of Section Officers and Assistants.

(b) Officers recruited direct as Section Officers will be on probation for two years during which they will undergo such training and pass such departmental tests as may be prescribed by Government. Failure to show sufficient progress in the course of training or to pass the tests will result in the discharge of the Probationer from Service.

(c) On the conclusion of his period of probation, the Government may confirm the officer in his appointment, or if his work or conduct has, in the opinion of Government, been unsatisfactory, Government may either discharge him from the service or may extend his period of probation for such further period as Government may think fit.

(d) If the power to make appointments in the service is delegated by Government to any officer that officer may exercise any of the powers of Govrnment described in the above clauses.

(e) Section Officers will normally be heads of Sections while Assistant Director/Under Secretary will normally be in charge of branches consisting of one or more sections.

(f) Section Officers will be eligible for promotion as Assistant Director/Under Secretary in accordance with the rules in force from time to time in this behalf.

(g) Assistant Director/Under Secretary will be eligibl for appointmnt to higher posts of Deputy Director and Selection Grade in the Railway Board's Secretariat.

(h) The Railway Board's Secretariat Service is confined to the Ministry of Railways and the Staff are not liable to transfer to other Ministries as in the Central Secretariat Service.

(i) The staff employed in the Ministry of Railways are entitled to the privilege of passes and Privilege Ticket Orders on the same scale as admisibl to Railway Officers.

(j) Officers including probationers of the Railway Board Secretariat Service recruited under these rules:—

(a) will be governed by the Railway Pension Rules; and

(b) Shall subscribe to the State Railway Provident Fund (non-contributory) under the Rules of that fund as amended from time to time.

(k) As regards leave and other conditions of service, officers of the Railway Board Secretariat Service will be treated similar to other Class I and Class II Officers on Railways but in the matter of Medical facilities they will be governed by the Rules applicable to other Central Government employees headquartered at New Delhi.

20. *The Armed Forces Headquarters Civil Service Superintendent's Grade, Class II—*

(a) The Armed Forces Headquarters Civil Service, has at present, the following grades :—

| Grade | Scale of Pay |
|---|---|
| Senior Civilians Staff Officer | Rs. 1100—50—1400— |
| Civilian Staff Officer | Rs. 740—30—800—50—1150. |
| Superintendent's Grade | Rs. 350—25—500—30—590—EB—30—800. |
| Assistant's Grade | Rs. 210—10—270—15—300—EB—15—450—EB—20—530. |

The above Service caters for the Armed Forces Headquarters and Inter Services Organisations of the Ministry of Defence.

Direct recruitment is made to the Superintendents' Grade and to the Assistants' Grade only.

(b) Direct recruits to the Superintendents' Grade will be on probation for 2 years during which they will undergo such training and pass such departmental tests as may be prescribed by Government. Failure to show sufficient progress in the course of training or to pass the tests will result in the discharge of the probationers from service.

(c) On the conclusion of his period of probation, Government may confirm the officer in his appointment, or if his work or conduct has in the opinion of Government been unsatisfactory, Government may either discharge him from the Service or may extend his period of probation for such further period as Government may think fit.

(d) If the power to make appointments in the Service is delegated by Government to any officer, that officer may exercise any of the powers of Government described in the above clauses.

(e) In the Armed Forces Headquarters and Inter Services Organisations of the Ministry of Defence, Superintendents will normally be heads of 'Sections' while Civilian Staff Officers will normally be incharge of one or more Sections.

(f) Superintendents will be eligible for promotion to the Grade of Civilian Staff Officer in accordance with the rules in force from time to time in this behalf.

(g) Civilian Staff Officers of the Armed Forces Headquarters Civil Service will be eligible for appointment to the Grade of Senior Civilian Staff Officer of the Service and to other administrative post in accordance with the rules in force from time to time in this behalf.

(h) As regards leave, pension and other conditions of service, officers of the Armed Forces Headquarters Civil Service will be governed by the rules, regulations and orders in force from time to time, in respect of civilians paid from the Defence Services Estimates.

21. *Manipur Police Service, Class II—*

(a) Appointment will be made on probation for a period of two years which may be extended at the discretion of the competent authority. Candidates appointed on probation will be required to undergo such training and pass such departmental tests as the administrator of the Union Territory of Manipur may prescribe.

(b) If in the opinion of the administrator the work or conduct of an officer on probation is unsatisfactory or shows that he is unlikely to become efficient, the administrator may discharge him forthwith.

(c) The officer who has been declared to have satisfactorily completed his period of probation may be confirmed in the service. If his work or conduct has in the opinion of the administrator been unsatisfactory, he may either discharge him from the service or may extend his period of probation for such further period as the administrator may think fit.

(d) An officer belonging to the Service will be required to serve at any place in the Union Territory of Manipur.

(e) Scales of pay—Rs. 300—35—450—EB—30—600—EB—30—900.

A person recruited on the results of a competitive examination will start drawing pay at the minimum of the scale of pay of the Service.

Officers of the Service will be eligible for promotion to posts in the senior scale of the Indian Police Service in accordance with the Indian Police Service (Appointment by Promoton) Regulations, 1955.

(f) Officers of the Service are governed by Manipur Police Service Rules, 1965, and such other regulations as may be made or instructions isued by the administrator for the purpose of giving effect to those rules.

22. *Tripura Police Service, Class II—*

(a) Appointments will be made on probation for a period of two years which may be extended at the discretion of the competent authority. Candidates appointed on probation will be required to undergo such training and pass such departmental tests as the administrator of the Union Territory of Tripura may prescribe.

(b) If in the opinion of the administrator the work or conduct of an officer on probation is unsatisfactory or shows that he is unlikely to become efficient, the administrator may discharge him forthwith.

(c) The officer who has been declared to have satisfactorily completed his period of probation may be confirmed in the service. If his work or conduct has in the opinion of the administrator been unsatisfactory, he may either discharge him from the service or may extend his period of probation for such further period as the administrator may think fit.

(d) An officer belonging to the Service will be required to serve at any place in the Union Territory of Tripura.

(e) Scale of pay—Rs. 300—30—510—EB—30—750—EB—30—900.

A person recruited on the results of competitive examination will start drawing pay at the minimum of the scale of pay of the Service.

Officers of the Service will be eligible for promotion to posts in the senior scale of the Indian Police Service in accordance with the Indian Police Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955.

(f) Officers of the Service are governed by Tripura Police Service Rules, 1967, and such other regulations as may be made or instructions issued by the administrator for the purpose of giving effect to those rules.

23. *Manipur Civil Service, Class II—*

(a) Appointments will be made on probation for a period of two years which may be extended at the discretion of the competent authority. Candidates appointed on probation will be required to undergo such training and pass such departmental tests as the administrator of the Union Territory of Manipur may prescribed.

(b) If in the opinion of the administrator the work or conduct of an officer on probation is unsatisfactory or shows that he is unlikely to become efficient, the administrator may discharge him forthwith.

(c) The officer who has been declared to have satisfactorily completed his period of probation may be confirmed in the service. If his work or conduct has in the opinion of the administrator been unsatisfactory, he may either discharge him from the service or may extend his period of probation for such further period as the administrator may think fit.

(d) An officer belonging to the Service will be required to serve at any place in the Union Territory of Manipur.

(e) Scales of Pay—

Grade I (Selection Grade)—Rs. 1000—40—1200.

Grade II—Rs. 350—30—500—EB—30—650—EB—35—1000.

A person recruited on the results of a competitive examination will start drawing pay at the minimum of the scale of pay of Grade II.

Officers of the Service will be eligible for promotion to posts in the senior scale of the Indian Administrative Service in accordance with the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955.

(f) Officers of the Service are governed by Manipur Civil Service Rules, 1965, and such other regulations as may be made or instructions issued by the administrator for the purpose of giving effect to those rules.

24. *Tripura Civil Service, Class II*—

(a) Appointments will be made on probation for a period of two years which may be extended at the discretion of the competent authority. Candidates appointed on probation will be required to undergo such training and pass such departmental tests as the administrator of the Union Territory of Tripura may prescribe.

(b) If in the opinion of the administrator the work or conduct of an officer on probation is unsatisfactory or shows that he is unlikely to become efficient, the administrator may discharge him forthwith.

(c) The officer who has been declared to have satisfactorily completed his period of probation may be confirmed in the service. If his work or conduct has in the opinion of the administrator been unsatisfactory, he may either discharge him from the service or may extend his period of probation for such further period as the administrator may think fit.

(d) An officer belonging to the Service will be required to serve at any place in the Union Territory of Tripura.

(e) Scales of pay—

Grade I (Selection Grade)—Rs. 1175/- fixed.

Grade II (Time-scale)—Rs. 325—30—475—35—545—EB—35—825—EB—35—1000.

A person recruited on the results of a competitive examination will start drawing pay at the minimum of the scale of pay of Grade II.

Officers of the Service will be eligible for promotion to posts in the senior scale of the Indian Administrative Service in accordance with the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations 1955.

(f) Officers of the Service are governed by Tripura Civil Service Rules 1967, and such other regulations as may be made or instructions issued by the administrator for the purpose of giving effect to those rules.

25. *Goa, Daman and Diu Civil Service, Class II*—

(a) Appointments will be made on probation for a period of two years which may be extended at the discretion of the competent authority. Candidates appointed on probation will be required to undergo such training and pass such departmental tests as the administrator of the Territory of Goa, Daman and Diu may prescribe.

(b) If in the opinion of the administrator the work or conduct of an officer on probation is unsatisfactory or shows that he is unlikely to become efficient, the administrator may discharge him forthwith.

(c) The officer who has been declared to have satisfactorily completed his period of probation may be confirmed in the service. If his work or conduct has in the opinion of the administrator been unsatisfactory, he may either discharge him from the service or may extend his period of probation for such further period as the administrator may think fit.

(d) An officer belonging to the Service will be required to serve at any place in the Union Territory of Goa, Daman and Diu.

(e) Scales of Pay—

Grade I (Selection Grade) Rs. 700—40—1100—50/2—1250.

Grade II—Rs. 350—25—500—30—590—EB—30—800 EB—35—825—EB—35—1,000.

A person recruited on the results of competitive examination shall, on appointment to the Service, draw pay at the minimum of the time-scale.

Provided that if he held a permanent post, other than a tenure post in a substantive capacity prior to his appointment to the Service, his pay during the period of his probation in service shall be regulated under the provisions of sub-rule (1) of rule 22-B of the Fundamental Rules. The pay and increments in the case of other persons appointed to the Service shall be regulated in accordance with the Fundamental Rules.

Officers of the Service will be eligible for promotion to posts in the senior scale of the Indian Administrative Service in accordance with the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955.

(f) Officers of the Service are governed by Goa, Daman and Diu Civil Service Rules, 1967, and such other regulations as may be made or instructions issued by the administrator for the purpose of giving effect to those rules.

26. *Pondicherry Civil Service, Class II*

(a) Appointments will be made on probation for a period of two years which may be extended at the discretion of the competent authority. Candidates appointed on probation will be required to undergo such training and pass such departmental tests as the administrator of the Union Territory of Pondicherry may prescribe.

(b) If in the opinion of the administrator the work or conduct of an officer on probation is unsatisfactory or shows that he is unlikely to become efficient, the administrator may discharge him forthwith.

(c) The officer who has been declared to have satisfactorily completed his period of probation may be confirmed in the service. If his work or conduct has in the opinion of the administrator been unsatisfactory, he may either discharge him from the service or may extend his period of probation for such further period as the administrator may think fit.

(d) An officer belonging to the Service will be required to serve at any place in the Union Territory of Pondicherry.

(e) Scale of pay—Rs. 375—25—800.

A person recruited on the results of competitive examination shall, on appointment to the Service, draw pay at the minimum of the time-scale.

Provided that if he held a permanent post, other than a tenure post in a substantive capacity prior to his appointment to the Service, his pay during the period of his probation in Service shall be regulated under the provisions of sub-rule (1) of rule 22-B of the Fundamental Rules. The pay and increments in the case of other persons appointed to the Service shall be regulated in accordance with the Fundamental Rules.

Officers of the Service will be eligible for promotion to posts in the senior scale of the Indian Administrative Service in accordance with the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955.

(f) Officers of the Service are governed by Pondicherry Civil Service Rules, 1967, and such other regulations may be made or instructions issued by the administrator for the purpose of giving effect to those rules.

## APPENDIX IV

## REGULATIONS RELATING TO THE PHYSICAL EXAMINATION OF CANDIDATES

[These regulations are published for the convenience of candidates and in order to enable them to ascertain the probability of their coming up to the required physical standard. The regulations are also intended to provide guide lines to the medical examiners and a candidate who does not satisfy the minimum requirements prescribed in the regulations, cannot be declared fit by the medical examiners. However, while holding that a candidate is not fit according to the norms laid down in these regulations, it would be permissible for a Medical Board to recommend to the Government of ndia for reasons specifically recorded in writing that he may be admitted to service without disadvantage to Government.

2. It should, however, be clearly understood that the Government of India, reserve to themselves absolute discretion to reject or accept any candidate after considering the report of the Medical Board].

The classification of various Services under the two categories, namely "Technical" and Non-technical" will be as under :—

*A. Technical*

(1) Indian Railway Traffic Service.

(2) Indian Police Service and other Central Police Services Class II.

*B. Non-Technical*

I.A.S., IFS, IA & AS Indian Customs Service, Indian Railway Accounts Service, Railway Board Secretariat Service Class II. Indian Defence Accounts Service, Income Tax Officers (Class I), Indian Postal Service, Military Lands and Cantonments Service Class I & II and other Central Civil Services Class I & II.

1. To be passed as fit for appointment a candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient performance of the duties of his appointment.

2. (a) In the matter of the correlation of age, height and chest girth of candidates of Indian (including Anglo-Indian) race it is left to the Medical Board to use whatever correlation figures are considered most suitable as a guide in the examination of the candidates. If there be any disproportion with regard to height, weight and chest girth, the candidate should be hospitalised for investigation and X-ray of the chest taken before the candidate is declared fit or not fit by the Board.

(b) however, for certain services the minimum standard for height and chest girth without which candidates cannot be accepted, are as follows :

| | Height | Chest girth fully expanded | Expansion |
|---|---|---|---|
| 1. Indian Railway Traffic Service | 152cm | 84cm | 5cm (For men) |
| | 150cm | 79cm | 5cm (For women |
| 2. Indian Police Service, Delhi and Andaman & Nicobar Islands Police Service Class II, Manipur Police Service, Class II and Tripura Police Service Class II. | 165cm | 84 cm | 5cm (For men) |
| | 150cm | 79 cm | 5cm (For women) |

The minimum height prescribed is relaxable in case of candidates belonging to races such as Gorkhas, Garwalis, Assamese, Nagaland Tribals etc. whose average height is distinctly lower.

3. The candidate's height will be measured as follows :—

He will remove his shoes and be placed against the standard with his feet together and the weight thrown on the heels and not on the toes or other sides of the feet. He will stand erect without rigidity and with the heels, calves, buttocks and shoulders touching the standard, the chin will be depressed to bring the vertex of the head level under the horizontal bar and the height will be record in centimetres and parts of a centimetre to halves.

4. The candidate's chest will be measured as follows :—

He will be made to stand erect with his feet together, and to raise his arms over his head. The tape will be so adjusted round the chest that its upper edge touches the inferior angles of the shoulder blades behind and lies in the same horizontal plane when the tape is taken round the chest. The arms will then be lowered to hang loosely by the side and care will be taken that the shoulders are not thrown upwards or backwards so as to displace the tape. The candidate will then be directed to take a deep inspiration several times and the maximum expansion of the chest will be carefully noted and the minimum and maximum will then be recorded in centimetres, 84—89, 86—93.5 etc. In recording the measurements fractions of less than half centimetre should be noted.

*N.B.*—The height and chest of the candidates should be measured twice before coming to a final decision.

5. The candidate will also be weighed and his weight recorded in kilograms fractions of half a kilogram should not be noted.

121GI/71

6. (a) The candidate's eye-sight will be tested in accordance with the following rules. The result of each test will be recorded.

(b) There shall be no limit for minimum naked eye vision but the naked eye vision of the candidates shall, however, be recorded by the Medical Board or other medical authority in every case, as it will furnish the basic information in regard to the condition of the eye.

(c) The following standards are prescribed for distant and near vision with or without glasses for different types of Services.

| Class of Service | Distant vision | | Near vision | |
|---|---|---|---|---|
| | Better eye (Corrected | Worse eye vision) | Better eye (Corrected | Worse eye vision) |
| I.A.S., I.P.S. and Central Services Class I & II | | | | |
| (*i*) Technical | 6/6 | 6/12 or 6/9 | J. I | J. II |
| (*ii*) Non-Technical | 6/9 | 6/12 | J. I | J. II |

(d) (i) In respect of the Technical Services mentioned above and any other Services concerned with the safety of public, the total amount of Myopia (including the cylinder) shall not exceed —4.00 D. Total amount of Hypermetropia (including the cylinder) shall not exceed +4.00 D.

(*ii*) In every case of myopia, fundus examination should be carried out and the results recorded. In the event of pathological condition being present which is likely to be progressive and affect the efficiency of the candidate, he should be declared unfit.

(e) *Field of Vision.*—The field of vision shall be tested in respect of all services by the confrontation method. When such test gives unsatisfactory or doubtful results, the field of vision should be determined on the perimeter.

(f) *Night Blindness.*—Broadly there are two types of night blindness; (1) as a result of Vit. A deficiency and (2) as a result of Organic disease of Retina—a common cause being retinitis pigmentosa. In (1) the fundus is normal generally seen in younger age group and ill nourished persons and improves by large doses of Vit. A. In (2) the fundus is often involved and mere fundus examination will reveal the condition in majority of cases. The patient in this category is an adult and may not suffer from malnutrition. Persons seeking employment for higher posts in the Government will fall in this category. For both (1) and (2), dark adaptation test will reveal the condition. For (2) specially when fundus is not involved electro-retino-graphy is required to be done. Both these tests (dark adaptation and retinography) are time-consuming and require specialized set up and equipment; and thus are not possible as a routine test in a medical check up. Because of these technical considerations, it is for the Ministry/Deptt. to indicate if these tests for night blindness are required to be done. This will depend upon the job requirement and nature of duties to be performed by the prospective Government employees.

(g) *Colour Vision.*—The testing of colour vision shall be essential in respect of the Technical Services mentioned above. As regards the non-Technical Services/posts, the Ministry/Department concerned will have to inform the Medical Board that the candidate is for a service requiring colour vision examination or not.

Colour perception should be graded into a higher and lower grade depending upon the size of aperture in the lantern as described in the table below :—

| Grade | Higher grade of colour perception | Lower grade of colour perception |
|---|---|---|
| 1. Distance between the lamp and candidate. | 16′ | 16′ |
| 2. Size of aperture. | 1·3mm. | 13m.m. |
| 3. Time of exposure | 5 seconds | 5 seconds |

For the Indian Railway Traffic Service and for other Services concerned with the safety of the public, higher grade of colour vision is essential but for others lower lower grade of colour vision should be considered sufficient.

Satisfactory colour vision constitues recognition with ease and without hesitation of signal red, signal green and white colours. The use of Ishihara's plates, shown in good light and a suitable lantern like Edridge Green's shall be considered quite dependable for testing colour vision. While either of the two tests may ordinarily be considered sufficient in respect of the Services concerned with road, rail- and air traffic, it is essential to carry out the lantern test. In doubtful cases where a candidate fails to qualify when tested by only one of the two tests, both the tests should be employed. However, both the ishinara's plates and Edrige's Green lantern shall be used for testing colour vision of candidates for appointment to the Indian Railway Traffic Service.

(h) *Ocular conditions other than visual acuity* :—

(i) Any organic disease or a progressive refractive error, which is likely to result in lowering the visual acuity, should be considered a disqualification.

(ii) *Squint* : For technical services where the presence of binocular vision is essential, squint, even if the visual acuity in each eye is of the prescribed standard, should be considered a disqualification. For other services the presence of squint should not be considered as a disqualification if the visual acuity is of the prescribed standard.

(iii) *One eye.*—If a person has one eye or if he has one eye which has normal vision and the other eye is ambylyopic or has subnormal vision, the usual effect is that the person lacks stereoscopic vision for perception of depth. Such vision is not necessary for many civil posts. The medical board may recommend as fit, such persons provided the normal eye has—

(a) 6/6 distant vision and J1 near vision with or without glasses, provided the error in any meridian is not more than 4 diopteres for distant vision.

(b) has full field of vision.

(c) normal colour vision wherever required.

Provided the board is satisfied that the candidate can perform all the functions for the particular job in question.

The above relaxed standards of visual actuity will NOT apply to candidates for posts/services classified as "TECHNICAL". The Ministry/Department concerned will have to inform the medical board that the candidate is for a "TECHNICAL" post or not.

(i) *Contact Lenses.*—During the medical examination of a candidate, the use of contact lenses is not to be allowed. It is necessary that when conducting eye test the illumination of the type letters for distant vision should have an illumination of 15 foot-candles.

7. *Blood Pressure*

The Board will use its discretion regarding Blood Pressure. A rough method of calculating normal maximum systolic pressure is as follows :—

(i) With young subjects 15—25 years of age the average is about 100 plus age.

(ii) With subjects over 25 year of age the general rule of 110 plus half the age seems quite satisfactory.

*N.B.*—As a general rule any systolic pressure over 140 mm and diastolic over 90 mm should be regarded as suspicious and the candidate should be hospitalised by the Board before giving their final opinion regarding the candidate's fitness or otherwise. The hospitalization report should indicate whether the rise in blood pressure is of a transient nature due to excitement etc., or whether it is due to any organic disease. In all such cases X-ray and electrocardiographic examinations of heart and blood urea clearance test should also be done as a routine. The final decision as to the fitness or otherwise of a candidate will, however, rest with the medical board only.

*Method of taking Blood Pressure*

The mercury manometer type of instrument should be used as a rule. The measurement should not be taken within fifteen minutes of any exercise or excitement. Provided the Patient, and particularly his arm is relaxed, he may be either lying or sitting. The arm is supported comfortably at the patient's side in a more or less horizontal position. The arm should be freed from the clothes to the shoulder. The cuff completely deflated should be applied with the middle of the rubber over the inner side of the arm, and its lower edge an inch or two above the bend of the elbow. The following turns of cloth bandage should spread evenly over the bag to avoid bulging during inflation.

The brachial artery is located by palpitation at the bend of the elbow and the stethoscope is then applied lightly and centrally over it below, but not in contact with the cuff. The cuff is inflated to about 200 mm. Hg. and then slowly deflatted. The level at which the column stands when soft successive sounds are heard represents the Systolic Pressure. When more air is allowed to escape the sounds will be heard to increase in intensity. The level at which the well-heard clear sounds change to soft muffled fading sounds represents the diastolic pressure. The measurements should be taken in a fairly brief period of time as prolonged pressure of the cuff is irritating to the patient and will vitate the readings. Rechecking, if necessary, should be done only a few minutes after complete deflation of the cuff. (Sometimes, as the cuff is deflated sounds are heard at a certain level; they may disappear as the pressure falls and reapear at a still lower level, This 'Silent Gap' may cause error in reading.)

8. The urine (passed in the presence of the examiner) should be examined and the results recorded. Where a Medical Board finds sugar present in a candidate's urine by the usual chemical test the Board will proceed with the examination with all its other aspects and will also specially note any signs or symptoms suggestive of diabetes. If except for the glycosuria the Board finds the candidate conforms to the standard of medical fitness required they may pass the candidate "fit subject to the glycosuria being non-diabetic" and the Board will refer the case to a specified specialist in Medicine who has hospital and laboratory facilities at his disposal The Medical Specialist will carry out whatever examinations clinical and laboratory he considers necessary including a standard blood sugar tolerance test, and will submit his opinion to the Medical Board, upon which the Medical Board will base its 'final opinion "fit" or "unfit". The candidate will not be required to appear in person before the Board on the second occasion. To exclude the effects of medication it may be necessary to retain a candidate for several days in hospital under strict supervision.

9. A woman candidate who as a result of tests is found to be pregnant of 12 weeks standing or over, should be declared temporarily unfit until the confinement is over. She should be re-examined for a fitness certificate six weeks after the date of confinement, subject to the production of a medical certificate of fitness from a registered medical practioner.

10. The following additional points should be observed :—

(a) that the candidates hearing in each ear is good and that there is no sign of disease of the ear. In case it is defective the candidate should be examined by the ear specilist. Provided that if the defect in hearing is remediable by operation or by use of a hearing aid, a candidate cannot be declared unfit on that account provided he has no progressive disease in the ear. This provision is not applicable in the case of Railway Services.

(b) that his speech is without impediment;

(c) that his teeth, are in good order and that he is provided with dentures where necessary for effective mastication (well filled teeth will be considered as sound);

(d) that the chest is well formed and his chest expansion sufficient; and that his heart and lungs are sound,

(e) that there is no evidence of any abdominal disease;

(f) that he is not ruptured;

(g) that he does not suffer from hydrocele, a severe degree of varicocele, varicose veins or piles;

(h) that his limbs, hands and feet are well formed and developed and that there is free and perfect motion of all his joints;

(i) that he does not suffer from any inveterate skin disease;

(j) that there is no congenital malformation or defect;

(k) that he does not bear traces of acute or chronic disease pointing to an impaired constitution;

(l) that he bears marks of efficient vaccination; and

(m) that he is free from communicable disease.

11. Radiographic examination of the chest should be done as a routine in all cases for detecting any abnormality of the heart and lungs, which may not be apparent by ordinary physical examination.

When any defect is found it must be noted in the certificate and the medical examiner should state his opinion whether or not it is likely to interfere with the efficient performance of the duties which will be required of the candidate.

12. The candidates filing an appeal against the decision of the Medical Board have to deposit an appeal fee of Rs. 50/- in such manner as may be prescribed by the Government of India in this behalf. This fee would be refunded if the candidate is declared fit by the Appellate Medical Board. The candidates may, if they like, enclose medical certificate in support of their claim of being fit. Appeals should be submitted within 21 days of the date of the communication in which the decision of the Medical Board is communicated to the candidates; otherwise, request for second medical examination by an Appellate Medical Board will not be entertained. The Medical examination by the Appellate Medical Boards would be arranged at New Delhi *only* and no travelling allowance or daily allowance will be admissible for the journeys performed in connection with the medical examination. Necessary action to arrange medical examination by Appellate Medical Boards would be taken by the Cabinet Secretariat (Department of Personnel) on receipt of appeals accompanied by the prescribed fee.

*Medical Board's Report*

The following intimation is made for the guidance of the Medical Examiner :—

1. The standard of physical fitness to be adopted should make due allowance for the age and length of service, if any, of the candidate concerned.

No person will be deemed qualified for admission to the Public Service who shall not satisfy Government, or the appointment authority, as the case may be, that he has no disease, constitutional affection, or bodily infirmity unfitting him, or likely to unfit him for that service.

It should be understood that the question of fitness involves the future as well as the present and that one of the main objects of medical examination is to secure continuous effective service, and in the case of candidates for permanent appointment to prevent early pension or payments in case of premature death. It is at the safe time to be noted that the question is one of the likelihood of continuous effective service, and that rejection of a candidate need not be advised on account of the presence of a defect which in only a small proportion of cases is found to interfere with continuous effective service.

A lady doctor will be co-opted as a member of the Medical Board whenever a woman candidate is to be examined.

Candidates appointed to the Indian Defence Accounts Service are liable for field service in or out of India. In the case of such a candidate, the Medical Board should specially record their opinion as to his fitness or otherwise for field service.

The report of the Medical Board should be treated as confidential.

In case where a candidate is declared unfit for appointment in the Government Service the grounds for rejection may be communicated to the candidate in broad terms without giving minute details regarding the defects pointed out by the Medical Board.

In cases where a Medical Board considers that a minor disability disqualifying a candidate for Government service can be cured by treatment (medical or surgical) a statement to that effect should be recorded by the Medical Board. There is no objection to a candidate being informed of the Board's opinion to this effect by the appointing authority and when a cure has been effected it will be open to the authority concerned to ask for another Medical Board.

In the case of candidates who are to be declared "Temporarily Unfit" the period specified for re-examination *should not ordinarily exceed six months at the* maximum. On re-examination after the specified period these candidates should not be declared temporarily unfit for a further period but a final decision in regard to their fitness for appointment or otherwise should be given.

(a) *Candidate's statement and declaration.*

The candidate must make the statement required below prior to his Medical Examination and must sign the Declaration appended thereto. His attention is specially directed to the warning contained in the Note below :—

1. State your name in full (in block letters).

2. State your age and birgh~place.....

2, (a) Do you belong to races such as Gorkhas, Garwalis, Assamese, Nagaland Tribals etc. whose average height is distinctly lower? Answer 'Yes' or 'No.' and if the answer is 'Yes', state the name of the race.

3. (*a*) Have you ever had small-pox, intermittent or any other fever, enlargement or suppuration of glands, spitting of blood, asthama, heart disease, lung disease, fainting attack, rheumatism, appendicitis ? .....

*Or*

(*b*) any other disease of accident requiring confinement to bed and medical or surgical treatment ? .....

4. When were your last vaccinated ?.....

5. Have you suffered from any form of nervousness due to over work or any other cause ? .....

6. Furnish the following particulars concerning your family:——

| Father's age if living and state of health | Father's age at death and cause of death | No. of brothers living, their ages and state of health | No. of brothers, dead, their ages at and cause of death |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Mother's age if living and state of health | Mother's age at death and cause of death | No. of sisters living, their ages and state of health | No. of sisters dead, their ages, at and cause of death |
|---|---|---|---|
| | | | |

7. Have you been examined by a Medical Board before ? .....

8. If answer to the above is 'Yes, please state what Service/Services you were examined for ? .....

9. Who was the examining authority ?.....

10. When and where was the Medical Board held ? .....

11. Result of the Medical Board's examination, if communicated to you or if..... known .....

I declare all the above answers to be, to the best of my belief, true and correct.

Candidate's signature.....

Signed in my presence.

Signature of the Chairman of the Board.

NOTE.—The candidate will be held responsible for the accuracy of the above statementl By wilfully suppressing any information he will incur the risk of losing the appointment and, if appointed, of forfeiting all claims on Superannuation allowance or Gratuity.

(b) Report of Medical Board on (name of candidate) physical examination :

1. General development : Good.....Fair..... Poor.....
Nutrition : Thin .....Average.....Obese....
Height (Without shoes).....Weight.....
Best Weight.....When.....any recent change in weight ?.....Temperature.....
Girth of Chest.

(1) (After full inspiration)

(2) (After full expiration)

2. Skin : Any obvious disease.....

3. Eyes :

(1) Any disease .....

(2) Night blindness .....

(3) Defect in colour vision .....

(4) Field of vision .....

(5) Visual acuity .....

(6) Fundus examination .....

| Acuity of vision | Naked eye | With Strength of glass glasses Sph. | Cyl. | Axis. |
|---|---|---|---|---|
| Distant vision | R.E. | | | |
| | L.E. | | | |
| Near vision | R.E. | | | |
| | L.E. | | | |
| Hypermetropia (Manifest) | R.E. | | | |
| | L.E. | | | |

4. Ears : Inspection.....Hearing : Right Ear.....
Left Ear.....

5. Glands..... Thyriod.....

6. Condition of teeth .....

7. Respiratory System : Does physical examination reveal anything abnormal in the respiratory organs ?.....
If yes, explain fully .....

8. Circulatory System :

(a) Heart : Any organic lessions ? .....Rate Standing.....
After hopping 25 times.....
2 minutes after hopping.....

(b) Blood Pressure : Systolic.....Diastolic....

9. Abdomen : Girth .....Tenderness.....
Hernia.....

(a) Palpable : Liver .....Spleen.....
Kidneys..... Tumours.....

(b) Hemorrhiods .....Fistula.....

10. Nervous System : Indication of nervous or mental disabilities.

11. Loco-Motor System : Any abnormality .....

12. Genito Urinary System : Any evidence of Hydrocele, Varicocele etc.

Urine Analysis :

(a) Physical appearance .....

(b) Sp. Gr. .....

(c) Albumen .....

(d) Sugar .....

(e) Casts .....

(f) Cells .....

13. Report of X-Ray Examination of Chest.

14. Is there anything in the health of the candidate likely to render him unfit for the efficient discharge of his duties in the service for which he is a candidate ?

15. (i) State the Services for which the candidate has been examined :—

(a) IAS & IFS.....

(b) IPS, Delhi and Andaman & Nicogar Islands Police Service Manipur Police Service and Tripura Police Service.

(c) Central Service, Class I & II.....

(ii) Has he been found qualified in all respect for the efficient and continuous discharge of his duties in :—

(a) IAS & IFS.....

(b) IPS, Delhi and Andaman & Nicobar Islands Police Srervice and Tripura Police Service (*see* especially height, chest girth, eye sight, colour blindness and locomotive system).....

(c) Indian Railway Traffic Service, (*see* especially height, chest eye sight, colour blindness).

(d) Other Central Services Class I/II. .....

(iii) Is the candidate fit for FIELD SERVICE.....

NOTE..—The Board should record their findings under one of the following three categories.

(i) Fit

(ii) Unfit on account of .....

(iii) Temporary unfit on account of .....

Place .....

Date .....

*Chairman*

*Member*

*Member*

## MINISTRY OF FINANCE

### (Department of Economic Affairs)

*New Delhi, the 9th June* 1971

*No. F.* 8(19)*NS*/70.—Shri Shashi Bhushan, M.P. (Lok Sabha) is appointed with immediate effect as Member, National Savings Central Advisory Board as reconstituted in the Government of India, Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) Resolution No. F. 8(19)-NS/70 dated 16th January, 1971.

P. N. MALAVIYA, Under Secy.

## MINISTRY OF HEALTH & FAMILY PLANNING

**(Department of Health)**

*New Delhi, the 29th May 1971*

### RESOLUTION

*No. F.* 1-15/71-*C&CD.I.*—The Government of India consider that in the interest of expeditious disposal of work relating to the implementation of the various Centrally Sponsored Schemes relating to the communicable diseases programmes and with a view to taking quick decisions for giving administrative and financial clearance without undue delay, it is imperative that an effective and speedy set-up be evolved for the purpose. It has accordingly been decided to constitute a high powered Board for control of communicable diseases, in the Ministry of Health and Family Planning (Deptt. of Health).

The Board will be called 'The Communicable Diseases Control Board' and will consist of the following :

*Chairman*

1. Joint Secretary in the Department of Health dealing with the Public Health programmes.

*Members*

2. Additional Director General of Health Services.
3. Deputy Secretary in the Department of Health in charge of the Public Health Division.
4. Internal Financial Adviser.
5. The concerned Programme Officer in the D.G.H.S.

*Member-Secretary*

6. Asistant Director General (C.H.) in the D.G.H.S.

2. The headquarters of the Board will be in New Delhi. The Board will hold meetings as and when necessary but at least once a month and may invite to its meetings such other Officers/Experts as it may consider necessary. It will also be empowered to appoint sub-committees that may be found necessary for any purpose.

3. The functions of the Board shall be :

1. To take decisions on all matters relating to the various Centrally Sponsored Programmes relating to the control of communicable diseases and exercise the powers vested in the Ministry of Health & Family Planning including authorisation of financial sanctions within the budget proivsions voted by Parliament;
2. To supervise the implementation of the Centrally Sponsored Programmes mentioned above and to conduct periodical review of progress;
3. To finalise the patterns of assistance to the States under the various programmes and to consider all proposals for modifications thereof;
4. To consider proposals for plan allocations and annual outlays for the programmes;
5. To locate deficiencies and loopholes, if any, for the implementation of the programmes and to suggest remedial steps wherever necessary;
6. To ensure the achievement of physical targets prescribed under the various programmes as also the proper utilisation of the financial outlays with a view to ensuring that there are no undue surrenders of allocated funds;
7. To examine and approve from time to time the delegation of such powers both administrative and financial as it may deem necessary to the Director General of Health Services;
8. To frame rules as to the delegation of powers and procedures for the purpose of carrying out its business;
9. To prescribe such reports and returns as it may deem necessary for getting reports on various programmes.

### ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution may be communicated to all the Ministries/Departments of the Govt. of India/Dte. General of Health Services/Members of the Communicable Diseases Control Board.

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

A. N. VARMA, Dy. Secy.

## MINISTRY OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE

**(Department of Education)**

*New Delhi, the 10th June 1971*

### *CORRIGENDUM*

*No. F.* 22-1/69-*CAI*(2).—The words "Dr. P. L. Mehta" occuring the line 3rd of the Ministry of Education and Youth Services Notification No. F. 22-1/69-CAI(2) dated the 3rd May, 1971 may be *substituted* by the words "Dr. P. L. Mehra".

S. C. SETH, Under Secy.

## DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS

**(Company Law Board)**

*New Delhi-1, the 10th June 1971*

### ORDER

*No.* 53/1/70-*CL.II.*- In pursuance of sub-clause (ii) of clause (b) sub-section (4) of Section 209 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) the Company Law Board hereby authorises Shri O. P. Jain, Assistant Inspecting Officer, Kanpur, an Officer of the Government of India, Department of Company Affairs for the purposes of the said Section 209.

M. K. BANERJEE, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971